एक चित्र पर 1,000 रुपए जीतिए

अन्तिम तिथि : 31-3-1972 तक दी गई है

चौथी अखिल भारतीय सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकारिता चित्र प्रतियोगिता आपको एक (ब्लैक एण्ड व्हाइट) चित्र पर 1,000 रुपए जीतने का अवसर देती है।

चित्र कार्योन्मुख हों जिससे उनमें कार्यक्रमों के प्रयास और उनकी भावना झलकती हो। इनमें ये गतिविधियां दिखाई जा सकती हैं—

सामुदायिक विकास : ग्रामीण रोजगार की कैश योजना, आदिवासी क्षेत्रों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, महिला मण्डलों के सहयोग से पोषाहार कार्यक्रम, ग्रामीण संचार, वातावरण की स्वच्छता।

पंचायती राज : न्याय पंचायतों की गतिविधियां

सहकारिता : छोटे किसानों की सेवा में सहकारिता, मछली, डेयरी और मुर्गीपालन के उत्पादनों के लिए, जो खराब हो सकते हैं, सहकारी शीत भण्डारण।

इन विषयों पर विस्तृत जानकारी सामुदायिक विकास और सहकारिता विभागों से मंगाई जा सकती हैं।

कैसे शामिल हों ?

प्रत्येक चित्र की दो प्रतियां— चिकने कागज पर 25 x 30 सेंटीमीटर के साइज में, जो दोबारा बनने योग्य हों, भेजी जाएं और निगेटिव प्रति भी भेजी जाएं।

प्रत्येक चित्र के पीछे यह जानकारी दी जाए (एक अलग कागज पर हाथ से लिखकर या टाईप करके चिपकाया जाए) —

1. प्रतियोगी का नाम और पता
2. स्थान के विवरण सहित चित्र का शीर्षक (ग्राम, खण्ड, पंचायत, जिला और राज्य)
3. घटना या विषय
4. चित्र लेने की तिथि वगैरह।

चित्र को सीधा और पूरी हिफाजत के साथ पैक किया जाए। चित्र भेजे जाने के दौरान होने वाली क्षति के लिए भारत सरकार जिम्मेदार नहीं होगी।

पुनः प्रकाशन के अधिकार

प्रतियोगिता में आनेवाले चित्र और उनके निगेटिव चाहे वे पुरस्कृत हों या नहीं, चित्र प्रदर्शनी में रखे जा सकते हैं। पुरस्कार जीतने वाले चित्र भारत सरकार की सम्पत्ति बन जाएंगे और इन्हें किसी भी प्रकार से और किसी भी उद्देश्य से पुनः प्रकाशित करने के सर्वाधिकार भारत सरकार के पास सुरक्षित रहेंगे। किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में भारत सरकार का निर्णय अन्तिम होगा और सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को मान्य होगा।

पुरस्कार चुने हुए चित्रों के लिए

प्रथम पुरस्कार 1000 रुपये

द्वितीय पुरस्कार 700 रुपए

सान्त्वना पुरस्कार :

(दो) प्रत्येक 100 रुपए

यदि कोई भी चित्र प्रथम या द्वितीय पुरस्कार प्राप्त नहीं कर पाता है तो 300 रुपए का एक विशेष पुरस्कार दिया जाएगा।

कोई भी व्यक्ति एक से अधिक पुरस्कार नहीं ले सकता। तो भी एक व्यक्ति एक से अधिक चित्र भेज सकता है।

चित्र भेजने के लिए कोई शुल्क नहीं है।

चित्र भेजने की अन्तिम तिथि : 31 मार्च, 1972

चित्र एवं सभी पत्रव्यवहार निम्न पते पर भेजे जाएं—

निदेशक (बुनियादी साहित्य),
सामुदायिक विकास और सहकारिता विभाग,
कृषि मन्त्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।

मज़दूर मंडल

वर्ष 17 फाल्गुन 1893 अंक 5

इस अंक में — पृष्ठ

छोटे किसान और खेतिहर मजदूर समृद्धि के पथ पर — 2
फखरुद्दीन अली अहमद
सहकारी कृषि विधायन उद्योगों के लिए वित्त व्यवस्था — 4
भारत अपना परिवार है (कविता) — 7
वेदव्यास
सामुदायिक विकास और पंचायती राज : एक मूल्यांकन — 8
(हमारे विशेष प्रतिनिधि द्वारा)
त्रिपुरा में सामुदायिक प्रगति और कृषि उत्पादन में वृद्धि — 10
ब्रह्मदत्त स्नातक
भूमि क्षरण की समस्या और उसका समाधान — 12
पुरुषोत्तमदास माहेश्वरी
खाद पड़े तो खेती नहीं तो नदी की रेती — 14
रुपेन्द्र बहादुर
लड़ रहे लड़ाई हैं हम सब इन खेतों में, खलिहानों में — 15
अमर बहादुर सिंह 'अमरेश'
खेती के राष्ट्रीय प्रदर्शन कार्यक्रम कैसे सफल हों ? — 16
दुर्गाशंकर त्रिवेदी
नए तरबूजे-खरबूजे बोकर अधिक आय लें — 18
कृष्ण कुमार
जनजातियों में बढ़ती हुई ऋणग्रस्तता — 19
लक्ष्मीभूषण प्रसाद
सहायक विकास अधिकारी श्री द्विवेदी — 21
हम स्वयं मंहगाई बढ़ाते हैं — 22
सुलेमान टाक
खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता — 24
एम० एस० स्वामीनाथन
देश में लघु उद्योगों की प्रगति — 26
कृषि पंडित श्री बोन्द्रे — 28
हरिश्चन्द्र सिंह
हार और ललकार — 29
विनोद विभाकर
न्याय (कहानी) — 31
जगदीश प्रसाद "कौशिक"
नीलगिरि में सहकारी चाय का कारखाना — 33
अवनीन्द्रकुमार विद्यालंकार
केन्द्र के सामाचार — 34
राज्यों के समाचार — 35

LIBRARY
MINISTRY OF I.

●

दूरभाष 382406
एक प्रति 30 पैसे : वार्षिक चन्दा 3.00 रुपए
स० सम्पादक : महेन्द्रपाल सिंह
उपसम्पादक : त्रिलोकी नाथ

अधिक पैदावार की समस्याएं

जहां देश में हरित क्रान्ति आई है वहां अपने साथ अनेक समस्याएं भी लाई है। पिछले वर्ष रबी के मौसम में किसानों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा वे किसी से छिपी नहीं है। फसल तो इतनी बढ़िया थी कि लांकों के अम्बार लग गए पर किसान गहाई-मड़ाई की आधुनिक सुविधाओं के अभाव में अनाज के दानों को वर्षा से पहले अपने घर न ला सका। नतीजा यह हुआ कि वर्षा होने पर देश का लाखों मन अनाज और भूसा खलिहानों में पड़ा-पड़ा सड़ गया। जिन किसानों को 'थ्रेसर' आदि की सुविधाएं उपलब्ध थीं और जो वर्षा से पूर्व अपना अनाज खलिहानों से घर ला सके उन्हें उसके भण्डारण की कठिनाई का सामना करना पड़ा। ब्याह शादी आदि की अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसान को अपना माल फसल पर बेचना ही पड़ता है। जब वह अपने माल को बाजार ले जाने के लिए तैयार हुआ तो परिवहन की समस्या उसके आड़े आई और किसी कदर अपना माल उसने बाजार में पहुंचा भी दिया तो उसे बिचौलियों का सामना करना पड़ा। इस तरह बेचारे किसान को एक रुपए के माल के आठ आने ही पल्ले पड़े।

रबी की मौजूदा फसल भी उतनी ही बढ़िया है जितनी कि पिछले वर्ष थी। किसान अपनी इस फसल पर आशा लगाए बैठा है और सोचता है कि सही सलामत उपज घर में आ गई तो उसके सदा-सदा के सारे दरिद्र धुल जाएंगे। पर जब वह उपरोक्त समस्याओं की ओर निगाह डालता है तो उसकी आशा निराशा में परिणत हो जाती है। वैसे तो किसान की समस्याओं का कोई ठिकाना नहीं, पर ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका हल तत्काल ढूंढ़ना होगा। ऐसी बात नहीं कि सरकार किसानों की इन समस्याओं के प्रति बेखबर है। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए बड़ी-बड़ी योजनाएं परियोजनाएं चालू हैं और आगे चलकर इनका लाभ भी किसानों को अवश्य मिलेगा ही। पर किसी प्यासे को तत्काल पानी उपलब्ध होने के बजाए उससे यह कहा जाए कि कुआं खोदा जा रहा है तो उसकी प्यास नहीं बुझाई जा सकती। मौजूदा हालत में हमारा विचार यह है कि किसानों को कम कीमत या किराए पर जल्दी से जल्दी 'थ्रेसर' उपलब्ध किए जाएं ताकि किसान वर्षा आने से पहले ही अपनी फसल के लांक की गहाई-मड़ाई करके अनाज को खलिहान से घर ला सके। विपणन के लिए खाद्य निगम ऐसी व्यवस्था करे कि उसका माल गांव में जाकर खरीदा जाए जिससे उसके आगे परिवहन की समस्या न आए और उसे बिचौलियों से पाला न पड़े। यदि फसल के मौके पर ही उसका माल खरीद लिया जाएगा तो उसके आगे भण्डारण की समस्या भी नहीं होगी।

आज का हमारा किसान जागरूक है और वह कृषि के पुराने तरीकों की जगह आधुनिक तरीके अपना कर देश को अन्न की दृष्टि से आत्म निर्भर बनाए रखने के लिए कृतसंकल्प है। यदि उसकी उपरोक्त समस्याओं की ओर तत्काल ध्यान नहीं दिया गया तो उसमें निराशा और हतोत्साह की भावना पैदा हो जाने की सम्भावना है।

छोटे किसान और खेतिहर मजदूर समृद्धि के पथ पर

सार्वजनिक न्याय के साथ-साथ आर्थिक विकास करना ही भारतीय नियोजन का उद्देश्य है और हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। यहां किसानों की तरफ सबसे पहले ध्यान देना अति आवश्यक है। हमारी ग्रामीण जनसंख्या में छोटे किसानों और खेतिहर मजदूरों की संख्या बहुत ज्यादा है। जिन क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम होती है और जहां सिंचाई की सुविधाएं अपर्याप्त हैं वहां इस गरीब तबके की समस्याएं बड़ी विकट हैं।

इतने अधिक लोगों के लिए विकास कार्यक्रम बनाते समय ध्यान रखना चाहिए कि साधनों का ऐसा वितरण न हो जिससे इनकी जीवनयापन स्थितियों पर कुछ भी प्रभाव न पड़े। इस बात को ध्यान में रखते हुए कुछ चुने हुए क्षेत्रों में समाज के कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए कई विशिष्ट कार्यक्रम आरम्भ किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य गरीब लोगों को रोजगार तथा पैसा कमाने के अवसर प्रदान करना तथा आर्थिक रूप से पिछड़े किसान का उपज क्षमता को बढ़ाना है। इस प्रकार इस समस्या के दो पहलू हैं। पहला है विकास कार्यों में ग्रामीण जनता का अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त कर सामाजिक न्याय प्रदान करना और विकास कार्यों से उन्हें लाभान्वित करना, और दूसरा पहलू आर्थिक है, जिसके अनुसार जोती गई भूमि से अधिकतम कृषि उत्पादन लेना है।

समय पर ऋण न मिलने, सही निर्देशन तथा आवश्यक वस्तुओं के अभाव आदि के कारण छोटे किसान खेती के नए तरीकों का फायदा नहीं उठा पाते हैं। भूमि के छोटे-छोटे भागों में बंटे होने के कारण भी किसान आधुनिक तरीके से खेती नहीं कर पाते हैं। केवल अपना गुजारा कर पाने वाले किसानों और सीमान्त किसानों के सम्बन्ध में तो यह समस्या और भी जटिल है क्योंकि उनके लिए रोजगार के अवसर जुटाने के सहायक धन्धे आरम्भ करने आवश्यक हो जाएंगे।

समाज के इस कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए लगभग प्रयोगात्मक रूप में जिला स्तर पर विशेष एजेन्सियों की स्थापना की गई है। देश के सभी जिलों के लिए ग्रामीण रोजगार की एक जोरदार योजना शुरू की गई है। इन विशेष योजनाओं के अलावा सरकार किसानों को ऋण देने, छोटी सिंचाई योजनाएं, पशु चिकित्सा इत्यादि कार्यक्रमों का नवीनीकरण भी कर रही है ताकि छोटे किसान और खेतिहर मजदूरों को सुविधाएं प्रदान की जा सकें। इन कार्यक्रमों में छोटे किसानों के लिए सामुदायिक सिंचाई योजनाओं के लिए सरकारी क्षेत्र में 3 अरब रु० की पूंजी लगाई जाएगी। ग्रामीण ऋण सुविधाओं के विस्तार के लिए भूमि विकास बैंकों का ऋण देने का तरीका सरल किया जा रहा है। छोटे किसानों को खेती, दुग्ध व्यवसाय, मुर्गीपालन तथा अन्य सहायक धन्धों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कृषि पुनः विनियोजन निगम द्वारा व्यवस्था की जा रही है।

फखरुद्दीन अली अहमद

समाज के कमजोर वर्ग के लिए विशेष कार्यक्रम इन योजनाओं पर आधारित किए गए हैं :

(1) छोटे लेकिन सक्षम किसान, (2) सीमान्त किसान और खेतिहर मजदूर, (3) पड़ुआ खेती, (4) लगातार सूखा-ग्रस्त क्षेत्र (5) रोजगार के लिए जोरदार कार्यक्रम और (6) जनजाति कल्याण विकास।

चुने हुए जिलों में छोटे किन्तु सक्षम किसानों के लिए कार्यक्रम आरम्भ किए गए हैं। इन जिलों में से हर जिले में छोटे किसानों की एक विकास एजेन्सी होती है। यह एजेन्सी उचित कार्यक्रम तैयार करती है और जिन किसानों को आवश्यकता होती है उन्हें बीज आदि, सलाह और ऋण देने की व्यवस्था करती है। किसानों को अधिक मात्रा में सहकारी ऋण उपलब्ध कराने के लिए एजेन्सी उस क्षेत्र में केन्द्रीय सहकारी बैंकों, कृषि संस्थाओं और सहकारी भूमि विकास बैंकों को अनुदान भी प्रदान करेगी। जहां छोटे किन्तु सक्षम किसानों के लिए योजनाएं भरपूर खेती पर आधारित हैं, वहां सीमान्त किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए कार्यक्रम में उस क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत पूर्ण रोजगार देने पर जोर दिया गया है। इस श्रेणी के किसानों के लिए योजनाएं सम्बद्ध क्षेत्रों के उपभोक्ताओं की मांग पर आधारित होंगी।

देश भर में 88 परियोजना क्षेत्रों में छोटे और सीमान्त किसानों तथा खेतिहर मजदूरों के लिए एजेन्सियां स्थापित की गई हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र द्वारा इन एजेन्सियों के लिए 1 अरब 15 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

गांवों में निर्माण कार्य

इस कार्यक्रम का उद्देश्य लगातार सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लोगों की दिक्कतों को कम करना है। इन क्षेत्रों में खेतिहर मजदूरों की समस्याएं बड़ी जटिल हैं। समस्याओं का हल गांवों में निर्माण कार्य आरम्भ करके भी निकाला जा सकता है, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। चौथी योजना की अवधि में सिंचाई योजनाओं, भू-संरक्षण, चारे का प्रबन्ध एवं वन-रोपण योजनाओं, गांव तथा जिले की सड़कों की निर्माण योजनाओं पर एक अरब रुपए व्यय किए जाएंगे। खेतिहर मजदूरों के लिए अधिक समय तक रोजगार देने की व्यवस्था करने के लिए क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों के साथ इन निर्माण कार्यों को सम्बद्ध किया जाएगा। अनुमान लगाया जाता है कि इस कार्यक्रम में खर्च किए गए प्रत्येक करोड़ रुपए से उस सीजन में 25 हजार से 30 हजार लोगों को रोजगार मिल सकेगा। इस कार्य के लिए चुने गए 54 जिलों में कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए योजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

पड़ती खेती

पड़ती खेती के अन्तर्गत उत्तम शुष्क खेती की तकनीक का अनुसन्धान और शुष्क क्षेत्रों में इस तकनीक का उपयोग जैसे पूरक कार्यक्रम आते हैं। पहली श्रेणी के अन्तर्गत भारतीय संयुक्त अनुसन्धान परियोजना की रूपरेखा तैयार की है। अनुसन्धान के परिणामों तथा जानकारी को व्यावहारिक रूप देने के लिए प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण के 24 प्रयोगात्मक केन्द्र स्थापित किए गए हैं। किसानों को इन कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेने को प्रोत्साहित करने के लिए सहायता देने की एक विशेष योजना बनाई गई है। चौथी योजना के अन्तर्गत अनुसन्धान कार्यों के लिए 1 करोड़ 47 लाख रु० की व्यवस्था के अलावा इन प्रयोगात्मक परियोजनाओं के लिए 20 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है।

ग्रामीण रोजगार योजना

देश के अधिकांश जिले उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत नहीं आते थे। अतः सभी जिलों में ग्रामीण रोजगार प्रधान करने के लिए एक योजना बनाई गई है। इस योजना के अन्तर्गत श्रम-प्रधान परियोजनाओं द्वारा लोगों को रोजगार प्रदान किया जाएगा। इस योजना के दो उद्देश्य हैं, पहला हरेक परियोजना के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में एक साल के दौरान लगभग 2 लाख 20 हजार जन-दिन के बराबर रोजगार प्रदान करना और दूसरा, प्रत्येक परियोजना के अन्तर्गत स्थानीय विकास योजनाओं के साथ-साथ स्थायी सम्पत्तियां तैयार करना। मजदूरी की दर आमतौर से गैर सीजन दिनों में जिले में खेतिहर मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी के बराबर होगी तथा आमतौर पर 100 रुपए प्रतिमास से अधिक नहीं होगी। 1973-74 तक अपनी तीन वर्ष की कार्यावधि में इस योजना पर 1 अरब 50 करोड़ रुपए सालाना खर्चा आएगा। इस योजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण, भूमि का सुधार एवं विकास, नालियां बनाने, जल-संचय कार्यक्रम, छोटी सिंचाई योजनाएं, भू-संरक्षण, वन-रोपण तथा विशेष मरम्मत आदि काम आते हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत तैयार सम्पत्तियों तथा निर्माण कार्यों की देखरेख का उत्तरदायित्व राज्य-सरकारों का होगा।

अन्य योजनाएं

यहां पर दो अन्य विशेष योजनाओं का उल्लेख करना आवश्यक है। पहली योजना जन-जातियों के कल्याण के विषय में है। ये जन-जातियां अभी तक हमारे विकासशील समाज के विकास में पूरी तरह से अपना योगदान नहीं दे पाई हैं। आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 जिलों में 6 परियोजनाओं के अन्तर्गत जनजाति विकास एजेन्सियां स्थापित की जाएंगी। ये एजेन्सियां जनजाति क्षेत्रों की संचार, प्रशासन, आर्थिक विकास और समाज सेवाओं सम्बन्धी समस्याओं का गहन अध्ययन करेंगी। चौथी योजना की अवधि के दौरान अत्यन्त आवश्यक और बुनियादी कार्यक्रमों की हर परियोजना पर डेढ़ करोड़ रुपए के व्यय का अनुमान है।

दूसरी योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब लोगों को पौष्टिक आहार प्रदान करना है। स्त्रियों तथा शिशुओं के लिए कार्यक्रम स्वयसेवी संगठनों तथा स्थानीय साधनों पर निर्भर है। इस योजना के अन्तर्गत विशेष प्रदर्शनों के माध्यम से स्थानीय महिलाओं को पोषण के उत्तम तरीकों से अवगत कराया जाएगा ताकि वे ग्रामीण क्षेत्रों में पौष्टिक आहार कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दे सकें।

यह भी जान लेना चाहिए कि गरीब लोगों के कल्याण को बाकी समाज से अलग नहीं किया जा सकता। उनका भविष्य भी ग्रामीण क्षेत्रों के समान्य विकास से जुड़ा हुआ है। इस सन्दर्भ में विकास के लिए क्षेत्र के आधार पर विकास का महत्व अधिक हो जाता है। इसलिए ग्रामीण विकास के सुझावों पर संयुक्त क्षेत्र विकास के आधार पर ही विचार करना चाहिए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थ-व्यवस्था का स्तर ऊंचा हो और हर वर्ग के लोगों का कल्याण हो सके। न्यायपूर्ण समाजवादी समाज की स्थापना का हमारा उद्देश्य तभी पूर्ण हो सकता है जबकि समाज के किसी भी वर्ग को भुलाया न जाए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें समाज के सभी वर्गों और विशेषकर गण्यमान वर्ग का सहयोग वांछित है।

सहकारी कृषि विधायन उद्योगों के लिए वित्त व्यवस्था

कृषि उत्पादन में बहुमुखी वृद्धि होने से तत्काल विधायन सुविधाएं बढ़ाना भी जरूरी हो गया है। व्यापारिक फसलों का लाभदायक विपणन तो इस बात पर निर्भर करता है कि विधायन सुविधाओं का कितना विकास हुआ है ? इस तथ्य का पता इसी से चल जाता है कि 3,521 विपणन सहकारियों में बहुत कम ही व्यापारिक फसलों, विशेषकर तिलहन, कपास, पटसन आदि के विपणन का काम हाथ में लेती हैं। इन फसलों के विपणन का काम करने के लिए इन सहकारियों की क्षमता उनकी स्वयं की विधायन सुविधाओं के विकास पर ही निर्भर करती है।

प्रतियोगिता की स्थितियों में किसानों के उचित हितों की रक्षा करने की दृष्टि से सहकारी विधायन इकाइयों की संख्या और किसी खास फसल की कुल विधायन क्षमता में उनका हिस्सा एक महत्वपूर्ण पहलू है। जहां विधायन क्रियाओं के अपने मान के आधार पर सहकारियां कच्चे माल और तैयार माल के मूल्यों पर प्रभाव डाल सकती हैं वहां बाजार के कारोबार में स्वतः उनका एक महत्वपूर्ण स्थान बन जाता है। गन्ने को छोड़कर, कृषि विधायन की दिशा में सहकारियों को अभी बहुत कुछ करना है।

चावल मिलों, तेल मिलों और कपास उटाई आदि जैसी छोटी सहकारी विधायन इकाइयों के कामकाज को समन्वित करने के लिए यह जरूरी है कि उनका उपोत्पाद/आनुसंगिक उद्योगों, विधायन की दूसरी और तीसरी अवस्था के साथ तालमेल बिठाया जाए। साथ ही इस दिशा में प्रगति होने से ग्रामीण औद्योगीकरण में तेजी आएगी और गांवों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए घोल निकालने के प्लाण्टों, वनस्पति फैक्टरियों, बिनौले से तेल निकालने के प्लाण्टों और पशुओं के चारे की फैक्टरियों आदि जैसी समेकित विधायन इकाइयां स्थापित करने को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

कई एक कारणों से, सहकारियों के सामने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, औद्योगिक वित्त निगम, जीवन बीमा निगम, राज्य वित्त निगम आदि वित्तदायी संस्थाओं की ऋण देने की शर्तों को पूरा करने में कठिनाई आती है। लघु और मध्यम विधायन इकाइयों के मामले में यह बात अधिक साफ है। राज्य सरकारें सहकारियों की कृषि विधायन परियोजनाएं स्थापित करने में सहायता करने की इच्छा रखती हैं पर अपने सीमित संसाधनों के कारण "ब्लाक लागत" भी उपलब्ध नहीं करा सकी हैं। अतः इस कमी को पूरा करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने एक योजना चलाना जरूरी समझा। चूंकि इस योजना के लिए केन्द्रीय सरकार से ऋण लिया जाता है अतः इसे 'केन्द्रीय क्षेत्र योजना' कहते हैं। यह वित्तीय वर्ष 1970-71 में शुरू की गई थी।

इस केन्द्रीय क्षेत्र योजना के शुरू होने के कारण राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम कृषि उपज के सहकारी विधायन के विकास में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। इस योजना का एक लाभ यह भी है कि ऐसे कार्यक्रम को वित्त देने की व्यवस्था संस्थात्मक रूप से की जाती है।

योजना का क्षेत्र

चीनी मिलें, कताई मिलें, जूट मिलें और अन्य बड़ी सहकारी कृषि विधायन इकाइयां, जो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, औद्योगिक वित्त निगम, जीवन बीमा निगम, राज्य वित्त निगम आदि संस्थाओं से सावधिक ऋण जुटा सकती हैं, इस योजना के अन्तर्गत नहीं आतीं। इस योजना में केवल छोटी और मध्यम सहकारी विधायन इकाइयां—उपोत्पाद आनुसंगिक उद्योग, दुग्ध उद्योग आदि को ही अकेले या संयुक्त रूप से वित्तीय सहायता उपलब्ध की जा सकती है। मौजूदा इकाइयों के विस्तार के लिए या उनके आधुनिकीकरण के लिए इस योजना में वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाती। इस योजना के अन्तर्गत सहायता "ब्लाक ऋण" के रूप में दी जाती है।

जिन सहकारी विधायन इकाइयों की "ब्लाक लागत" 10 लाख रुपए तक है वे छोटी इकाइयां हैं और जिनकी "ब्लाक लागत" 10 लाख रुपये से लेकर 40 लाख रुपये के बीच है वे मध्यम इकाइयां हैं। 40 लाख रुपये से अधिक लागत की परियोजनाएं इस योजना के अन्तर्गत सहायता नहीं ले सकती। कार्यकारी पूंजी जुटाने के लिए जो सीमान्त धन चाहिए उसे "ब्लाक लागत" का जायज भाग माना जाता है।

वित्तीय सहायता

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम केवल पुनर्वित्त की सुविधाएं ही उपलब्ध कराता है। प्रारम्भिक वित्तीय सहायता तो राज्य सरकारों से और/या शीर्ष सहकारी बैंकों से ही लेनी होती है। निगम राज्य सरकारों और शीर्ष सहकारी बैंकों द्वारा मुहैया की गई राशि की पूरी प्रतिपूर्ति कर देता है। केवल राष्ट्रीय और अन्तर्राज्यीय सहकारी संस्थाओं द्वारा संचालित विधायन इकाइयों को निगम सीधी वित्तीय सहायता देता है। यह

राज्य सरकारों को स्वयं तय करना होता है कि राज्य में किसी विशेष मामले में या सभी मामलों में पुनर्वित्त सहायता की राशि शीर्ष सहकारी बैंक के माध्यम से या स्वयं राज्य सरकार के माध्यम से दी जाएगी। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को पुनर्भुगतान की गारंटी राज्य सरकार को देनी होती है।

ऋण-इक्विटी अनुपात

विधायन इकाइयों के स्तर पर शीर्ष बैंक या राज्य सरकार छोटी विधायन इकाइयों की "ब्लाक लागत" के 75 प्रतिशत तक और मध्यम विधायन इकाइयों की "ब्लाक लागत" के 70 प्रतिशत तक की राशि "ब्लाक ऋणों" के रूप में मंजूर कर सकती है। "ब्लाक लागत" की बकाया राशि इन इकाइयों को स्वयं ही हिस्सा पूंजी के रूप में और / या जमा पूंजी के रूप में, यदि कोई हो, जुटानी होती है। दूसरे शब्दों में ऋण और इक्विटी का अनुपात छोटी विधायन इकाइयों के लिए 75 : 25 तथा मध्यम विधायन इकाइयों के लिए 70 : 30 है।

सहकारी और आर्थिक रूप से कम विकसित क्षेत्रों में छोटी और मध्यम दोनों विधायन इकाइयों के लिए 80 : 20 का एक सा अनुपात करने का प्रश्न अभी विचाराधीन है।

इस प्रकार राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को छोटी और मध्यम विधायन इकाइयों की "ब्लाक लागत" के, जो क्रमशः 10 लाख रु० तक और 40 लाख रुपये तक है, 75 प्रतिशत और 70 प्रतिशत तक ही पुनर्वित्त राशि अदा करनी होगी। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम विधायन इकाइयों की "ब्लाक ऋणों" की जरूरतों के एक भाग के लिए पुनर्वित्त सहायता पर विचार कर सकता है बशर्ते कि सम्बन्धित विधायन इकाइयां स्थगित भुगतान प्रबन्धों के अधीन और / या वित्तदायी संस्थाओं, सरकार आदि से सावधिक ऋणों द्वारा "ब्लाक ऋणों" की बकाया राशि पूरी तरह प्राप्त कर लें।

इक्विटी पूंजी

जमानत के 'मार्जिन' के प्रयोजन के लिए (अर्थात् प्रत्येक मामले के अनुसार "ब्लाक लागत" का 25 प्रतिशत या 30 प्रतिशत) सम्बन्धित विधायन इकाइयों की इक्विटी पूंजी राज्य सरकारों के हिस्सा पूंजी अंशदान के साथ ही ली जाएगी। साधारणतया विधायन इकाइयां अपनी हिस्सा पूंजी के लिए सदस्यों और राज्य सरकार से 1 : 2 के अनुपात में राशि इकट्ठा करेंगी।

मगर, जहां सम्बन्धित विधायन इकाई की "ब्लाक लागत" के सम्बन्ध में कुल इक्विटी 2 लाख रु० से कम की बैठेगी वहां उत्पादकों / उनकी सहकारियों और राज्य सरकार के बीच हिस्सा पूंजी में अंशदान का अनुपात 1 : 1 से अधिक उदार नहीं होगा और यदि कुल "ब्लाक लागत" (टोटल ब्लाक कौस्ट) के सम्बन्ध में इक्विटी की राशि 2 लाख रु० से अधिक हो तो हिस्सा पूंजी में उत्पादकों/ उनकी सहकारियों का अंशदान 1 लाख से कम नहीं होगा।

योजना आयोग द्वारा औद्योगिक दृष्टि से अल्प विकसित करार दिए गए जिलों और सहकारिता की दृष्टि से अल्प विकसित राज्यों — असम, बिहार, उड़ीसा मेघालय, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तरप्रदेश में सदस्यों और राज्य सरकार से ली जाने वाली हिस्सा पूंजी के अनुपात को क्रमशः 1 : 2 से बदलकर 1 : 5 करने के लिए राज्य सरकारों को विवेकाधिकार देने का प्रश्न भी विचाराधीन है।

सहायता

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम मंजूरशुदा इकाई के काम की वास्तविक प्रगति और इस पर किए गए कुल व्यय के आधार पर ही पुनर्वित्त सहायता की राशि जारी करेगा। इसका अर्थ है कि निगम राज्य सरकारों और शीर्ष सहकारी बैंकों को राशि किस्तों में जारी करेगा और यह राशि एक समय में छोटी और मध्यम इकाइयों द्वारा किए गए वास्तविक "ब्लाक व्यय" के क्रमशः 75 प्रतिशत और 70 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। मंजूरी पत्र में इकाई पूरी होने के लिए जो अवधि दी गई है स्वीकृत सहायता की कुल राशि उसी अवधि में ली जा सकती है।

साधन ऋण

मगर, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम पुनर्वित्त सहायता की पहली राशि उपाय और साधन ऋण के रूप में जारी करेगा जो योजना के अधीन स्वीकृत "ब्लाक ऋण" के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, पर इसके लिए शर्त यह होगी कि सम्बन्धित सहकारी ने प्रस्तावित विधायन इकाई के लिए स्थान प्राप्त कर लिया हो और जमानत के 'मार्जिन' के तौर पर लिए गए राज्य सरकार के अंशदान सहित कुल हिस्सा पूंजी की 50 प्रतिशत रकम जुटा ली हो, अथवा उसके पास अपनी इतनी निजी राशि हो जो जमानत के लिए आवश्यक 'मार्जिन' के 50 प्रतिशत से कम न हो।

ब्याज की दर

विधायन इकाई को दिए गए धन पर राज्य सरकार या शीर्ष सहकारी बैंक जिस दर से ब्याज लेंगे वह राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा पुनर्वित्त सुविधा पर लिए गए ब्याज से 1 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा योजना आयोग द्वारा घोषित अल्प विकसित जिलों में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम राज्य सरकारों और शीर्ष सहकारी बैंकों से अन्य क्षेत्रों में लागू अपनी सामान्य ब्याज दरों की अपेक्षा $\frac{1}{2}$ प्रतिशत कम लेता है। फलस्वरूप इन क्षेत्रों में विधायन इकाइयों को भी $\frac{1}{2}$ प्रतिशत ब्याज कम देना पड़ता है।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम पुनर्वित्त पर इस समय 7 प्रतिशत की दर से ब्याज लेता है, अतः शीर्ष बैंक और राज्य सरकार विधायन इकाइयों से 8 प्रतिशत से अधिक ब्याज नहीं ले सकते। अल्प विकसित क्षेत्रों में ब्याज की दर $\frac{1}{2}$ प्रतिशत कम होने के कारण क्रमशः $6\frac{1}{2}$ प्रतिशत और $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत है। यदि

भारत सरकार राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को दी जाने वाली राशि पर दरें बदल दे तो ये दरें भी बदली जा सकती हैं।

ब्याज पर छूट

मूलधन या उस पर लगने वाले ब्याज की राशि का समय पर पुनर्भुगतान करने पर निगम शीर्ष बैंकों और राज्य सरकारों को ½ प्रतिशत की छूट देता है पर शर्त यह होती है कि वे भी यही छूट सम्बन्धित विधायन इकाइयों को देंगे।

दण्डनीय ब्याज

ऋण के पुनर्भुगतान या/और उस पर लगे ब्याज के भुगतान में कोई चूक होने पर बकाया राशि पर निगम राज्य सरकारों और शीर्ष सहकारी बैंकों से सामान्य ब्याज की दर के साथ ही 2½ प्रतिशत की दर से 'दण्डनीय ब्याज' भी लेता है। विधायन इकाइयों से भी दण्डनीय ब्याज की दर सामान्य ब्याज दर के ऊपर 2½ प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

पुनर्भुगतान की अवधि

सहकारियों द्वारा वित्तदायी संस्थाओं के ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए अधिक से अधिक 15 वर्ष का समय होता है। व्यक्तिगत विधायन इकाइयों को होने वाले लाभ और उनकी नकद पूंजी के आधार पर यह अवधि हर परियोजना के लिए अलग अलग हो सकती है। तो भी यह अवधि 7 वर्ष से कम नहीं की जाती है। राज्य सरकारें और/या शीर्ष सहकारी बैंकों द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के ऋणों के पुनर्भुगतान की अवधि वैयक्तिक विधायन इकाइयों के लिए स्वीकृत ऋणों के पुनर्भुगतान की अवधि पर निर्भर करती है।

अधिस्थगन

योजना में मूलधन के पुनर्भुगतान की अवधि में ज्यादा से ज्यादा 3 वर्ष की अधिस्थगन अवधि देने (छूट देने) की व्यवस्था है। ब्याज के पुनर्भुगतान की अवधि में किसी भी स्तर पर कोई भी अधिस्थगन नहीं है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा दी गई यह सुविधा राज्य सरकार और शीर्ष बैंक को भी सम्बन्धित इकाई को देनी होगी।

ऋण के लिए आवेदन

केन्द्रीय क्षेत्र योजना के अधीन "ब्लाक ऋण" के लिए आवेदन करने से पहले सहकारियों को उन विधायन इकाइयों की परियोजना/तकनीकी आर्थिक सम्भावना रिपोर्ट तैयार करनी होगी जिन्हें वे स्थापित करना चाहती हैं। जिन परियोजनाओं में तकनीकी ज्ञान आसानी से उपलब्ध नहीं होता या फिर वहां स्थापित की जानेवाली इकाइयां आधुनिक ढंग की हों उनको ये रिपोर्टें उचित सलाहकारों की मदद से तैयार करनी आवश्यक हैं। सलाहकार फर्मों से तकनीकी आर्थिक सम्भावना रिपोर्ट तैयार करवाने में सहकारियों और राज्य सरकारों द्वारा किया गया कुल व्यय राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम भरेगा। सहकारियों और राज्य सरकारों को उचित निर्देश और ब्लू प्रिंट आदि उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का अपना एक तकनीकी सैल है।

ऋण के लिए आवेदन पत्र राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा निर्धारित फार्म पर ही भेजना होता है। ऋण के आवेदन के साथ आवेदक समिति के निदेशक मण्डल द्वारा सम्बन्धित विधायन इकाई की स्थापना की मंजूरी और ऋण की राशि के लिए पास किए गए संकल्प की एक नकल भी भेजनी होती है।

जहां वित्तदायी अभिकरण एक सहकारी बैंक हो वहां सहकारी समिति ऋण आवेदन पत्र की तीन प्रतियां इस शीर्ष सहकारी बैंक को देगी और इसकी अग्रिम प्रतियां सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को भेजेगी तथा इनके साथ ही ये कागजात भी भेजेगी :—

1. मण्डल के संकल्प की एक प्रति
2. अन्तिम चिट्ठा
3. सलाहकार फर्म की परियोजना/तकनीकी आर्थिक सम्भावना रिपोर्ट की एक प्रति, यदि कोई हो।

जहां वित्तदायी अभिकरण राज्य सरकार हो वहां सम्बन्धित सहकारी समिति आवेदन पत्र की दो प्रतिलिपियां भेजे और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को अग्रिम प्रतियां भेजे।

आवेदक समिति की आर्थिक स्थिति और परियोजना के तकनीकी-आर्थिक सम्भावना सम्बन्धी ब्यौरे की जांच पड़ताल करने की जिम्मेदारी मुख्यतया वित्तदायी अभिकरणों, राज्य सरकारों और शीर्ष सहकारी बैंकों की है। इन्हें यह भी देखना है कि ऋण आवेदन पत्र राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा इस सम्बन्ध में समय समय पर बनाए गए फार्मों और कार्यविधि के अनुसार सब प्रकार से पूरे हैं।

पुनर्वित्त के लिए आवेदन

यदि वित्तदायी अभिकरण एक शीर्ष सहकारी बैंक हो, तो उसे अपनी प्रतिलिपियों में से एक राज्य सरकार को भेजनी होती है ताकि इसकी सिफारिश के साथ यह राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के पास गारण्टी की कारंवाई आदि पूरी करने के लिए भेजी जा सके। दूसरी प्रतिलिपि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को पुनर्वित्त सुविधा की मंजूरी के लिए भेजी जाएगी और इसके साथ ये कागजात भी भेजे जाएंगे :—

1. पुनर्वित्त सुविधा के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के नाम निर्धारित फार्म पर बैंक का आवेदन।

2. आवेदक सहकारी समिति को वित्तीय सहायता देने और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से पुनर्वित्त सहायता की मंजूरी के बारे में बैंक के निदेशक मण्डल की कार्यकारी ऋण समिति का प्रस्ताव।

यदि वित्तदायी अभिकरण राज्य सरकार हो तो आवेदक समिति का ऋण आवेदन पत्र, राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सावधिक ऋण के लिए, पुनर्वित्त की

प्रार्थना सहित राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को भेजा जाए। ऐसा करते समय राज्य सरकार को यह भी देखना है कि आवेदन पत्र हर तरह से पूरा है और निर्धारित फार्म पर है तथा सभी जरूरी कागजात उसके साथ लगे हैं।

जहां विधायन इकाइयों की इक्विटी पूंजी (जमानत के मार्जिन) का एक भाग राज्य सरकार के हिस्सा पूंजी अंशदान से जुटाया जाना है, वहां राज्य सरकार को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को पुनर्वित्त सुविधा के लिए भेजे जाने वाले अपने प्रार्थना पत्र में इस दिशा में किए गए सभी प्रबन्धों का विवरण देना होगा। इसी तरह राज्य सरकार को ऐसी राशियों की मांग को ध्यान में रखते हुए अपने वार्षिक बजट में उचित बन्दोबस्त (इन्तजाम) कर लेने होंगे।

निगम की मंजूरी

वित्तदायी अभिकरण, राज्य सरकार/शीर्ष सहकारी बैंक से प्रस्ताव आने पर राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम सबसे पहले परियोजना की तकनीकी आर्थिक सम्भावनाओं, उसकी सहकारी संरचना, जमानत के जरूरी मार्जिन के लिए किए गए प्रबन्धों, सहकारी समिति की आर्थिक स्थिति और इसके उपनियमों के सम्बन्ध में अपनी तसल्ली करेगा।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा पुनर्वित्त की सुविधा और सम्बन्धित सहकारी समिति को सावधिक ऋण की मंजूरी वित्तदायी अभिकरण को एक मंजूरी पत्र द्वारा भेजी जाती है और साथ में निबन्धन और शर्तें भी भेजी जाती है। इसकी एक प्रति सम्बन्धित सहकारी के पास भी भेजनी होती है।

दस्तावेज

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से मंजूरी पत्र मिलने पर सम्बन्धित सहकारी को यदि धन की राशि शीर्ष बैंक के माध्यम से दी गई है तो वह शीर्ष बैंक से एक करार करेगी। यह करार राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा निर्धारित फार्म पर किया जाएगा।

शीर्ष बैंक को इस ऋण करार की एक प्रतिलिपि निबन्धनों और शर्तों सहित (यदि कोई हो) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को और एक नकल ऋण लेनेवाली सहकारी समिति को भेजनी होगी। शीर्ष बैंक को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से भी पुनर्वित्त सुविधा के लिए निर्धारित फार्म पर एक करार करना होगा। इस करार में मंजूरशुदा ऋण की कुल राशि भी लिखनी होगी।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम इन करारों और राज्य सरकार से एक पत्र मिलने के बाद, जिसमें सम्बन्धित परियोजना के लिए शीर्ष बैंक को स्वीकृत ऋण के प्रति राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को गारंटी देने की इच्छा प्रकट की है, पुनर्वित्त देना शुरू कर देगा। राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली गारण्टी के लिए भी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का एक निर्धारित फार्म होता है।

यदि सहकारी समिति इस परियोजना में, जिसके लिए ऋण मंजूर किया गया है, कुछ नई विधायन सुविधाएं शामिल करना चाहे और/या इसकी क्षमता बढ़ाना चाहे और/या तकनीकी व्यवस्था सम्बन्धी और वित्तीय मामलों में कुछ फेर बदल करना चाहे तो उसे राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और अपने वित्तदायी अभिकरण से पहले इजाजत लेनी होगी।

वित्तदायी अभिकरण को यह भी देखना है कि ऋण देने वाली सहकारी समय-समय पर विधायन की प्रगति के बारे में इस प्रयोजन के लिए नियत फार्म पर राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को रिपोर्ट भेजती रहे। निरीक्षण/पर्यवेक्षण के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के अधिकारियों को सम्बन्धित विधायन इकाइयों के बही-खाते भी दिखाए जाने होंगे।

भारत अपना परिवार है

सुख पर सबका अधिकार है,
भारत अपना परिवार है।
आओ मिलकर कुछ काम करें।
मेहनत अपना संसार है।
क्यों आपस में तकरार करें
मानव मानव से प्यार करें।
सहकार हमारा नारा हो,
घर घर सुख के आधार धरें।
यह देश बढ़ेगा हिम्मत से,
बातों से देश नहीं बनता।
नूतन सपना लिखने वाली,
भारत की बलशाली जनता।।
खेतों में गेहूं की बाली,
सुन्दर भविष्य की भाषा है।
खानों में मजदूरी करते,
मजदूर सृजन की आशा हैं।।
आओ विकास की बात करें,
युग को नूतन आकार दें।
विश्वासों की इस बेला में,
जन जन को नया विचार दें।

वेदव्यास

सामुदायिक विकास और पंचायती राज : एक मूल्यांकन

योजना आयोग द्वारा चौथी पंचवर्षीय योजना का मध्यावधि मूल्यांकन किए जाने के पश्चात् सामुदायिक विकास और पंचायती राज का भी मूल्यांकन 28 जनवरी, 1972 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई सामुदायिक विकास और पंचायती राज की परामर्श समिति की बैठक में किया गया। सामुदायिक विकास और पंचायती राज की दो परामर्श समितियों का अभी हाल में विलय करके एक समिति बनाई गई है।

योजना आयोग ने कहा था, "वार्षिक योजना परिव्यय के मुकाबले राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में तो स्थिति बहुत ही विषम रही है।" आयोग की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि "महिलाओं और पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों के संयुक्त कार्यक्रमों और स्कूलों के अध्यापकों के और 'ओरिएण्टेशन' तथा कई प्रचार कार्यक्रमों के अन्तर्गत "केन्द्रीय क्षेत्र में व्यय की गति बहुत धीमी रही है।" इसमें कहा गया है कि "पोषाहार कार्यक्रम की योजना काफी सफल रही है। विकास केन्द्रों में प्रायोगिक अनुसन्धान परियोजना बहुत कम सफल रही है तो भी आशा की जाती है कि योजना के शेष वर्षों में यह योजना तेजी पकड़ेगी।"

परामर्श समिति के सदस्यों का स्वागत करते हुए केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री फखरुद्दीन अलीअहमद ने जोर देकर कहा कि साम्प्रदायिक विकास और पंचायती राज संस्थाओं को पूरे ग्रामीण क्षेत्र का विकास करने में, विशेषकर रोजगार केन्द्रित कार्यक्रम चलाने में, प्रयुक्त किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि "इस समय खण्ड संगठन ही एकमात्र क्षेत्रीय एजेंसी है जो ग्रामीण इलाकों में विकास की गतिविधियों को चला सकती है। पर प्रश्न यह है कि यह विभिन्न भागों में कितनी प्रभावपूर्ण है और इसे हर स्थान के लिए कारगर कैसे बनाया जाए।"

पहले दो वर्षों में विभिन्न राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में सामुदायिक विकास और पंचायती राज कार्यक्रमों पर हुए विषम व्यय के सन्दर्भ में उन्होंने कहा कि योजना के शेष वर्षों में पूरे देश में इन गतिविधियों में तेजी लाई जानी चाहिए। मन्त्री महोदय ने इच्छा व्यक्त की कि ग्रामीण समुदाय की निरन्तर बढ़ती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर सामुदायिक विकास की अवधारणा में परिवर्तन किया जाना चाहिए। विकास केन्द्र योजना के बारे में उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में क्रियान्वयन में अभी कुछ समय लगेगा क्योंकि पहले आंकड़े इकट्ठे करने होंगे।

पंचायती राज की समस्याओं का

हमारे विशेष प्रतिनिधि द्वारा

उल्लेख करते हुए श्री फखरुद्दीन अली अहमद ने कहा कि "पंचायती राज संस्थाओं" के प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन और विशेषकर उनके समय पर चुनावों पर बल दिया जाए और संसाधन जुटाने और विभागीय राशियों को पंचायत समितियों को उपलब्ध कराने के माध्यमों में सुधार के लिए कदम उठाने पर जोर दिया जाए।

चार घंटे की बहस के बाद एकमत से यही निर्णय किया गया कि पंचायती राज और सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलते रहने चाहिए और इनकी खामियों को तेजी से दूर किया जाना चाहिए। कार्यक्रमों के मध्यावधि मूल्यांकन के अलावा इस संयुक्त समिति ने समितियों की इससे पहले हुई बैठकों के जरूरी फैसलों की समीक्षा की और चल रहे कई विशेष कार्यक्रमों में सामुदायिक विकास और पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका तथा विभिन्न राज्यों में पंचायती राज की स्थिति पर भी विचार विमर्श किया।

बहस के दौरान केन्द्रीय राज्यमन्त्री प्रोफेसर शेरसिंह ने कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं। उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा कि उच्चाधिकार आयोग का मामला काफी समय से लटका हुआ है पर अब इस आयोग की नियुक्ति शीघ्र ही की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि सामुदायिक विकास और पंचायती राज के सभी पहलुओं पर पुनर्विचार किया जा रहा है और उच्चाधिकार आयोग की नियुक्ति की प्रतीक्षा किए बिना जरूरी प्रबन्ध किए जा सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि पोषाहार कार्यक्रम के सम्बन्ध में अध्ययन दल की सिफारिशें कुछ ही महीनों में सामने आ जाएंगी। राज्यमंत्री, सचिव श्री टी० पी० सिंह और अपर सचिव श्री एम० रामकृष्णय्या ने सदस्यों को विश्वास दिलाया कि विशेष कार्यक्रमों के सम्बन्ध में केन्द्र की नीति बड़ी लचीली है और प्रत्यक्ष अनुभव और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार उसमें सुधार किए गए हैं और आगे भी आवश्यक सुधार किए जा सकते हैं। सचिव ने इस बात

पर भी जोर दिया कि ग्रामीण रोजगार की कैश (जोरदार) योजना को पुराने ग्रामीण कार्यक्रमों की राह नहीं जाने दिया जाएगा। केन्द्रीय प्रतिनिधि बार-बार राज्य सरकारों से दरखास्त कर रहे हैं कि वे पिछले सालों की प्रगति की रिपोर्ट और आगामी दो वर्षों के लिए प्रस्ताव भेज दें ताकि धन की मंजूरी देकर काम तुरन्त शुरू कराया जा सके।

योजना आयोग के डा० मिन्हास ने कहा कि सामाजिक न्याय लाने और गरीबी हटाने के लक्ष्य तो जनसाधारण की ही समस्याएं हैं तथा इसके लिए सरकार का पहला दायित्व चार या पांच विशेष कार्यक्रम चलाने का होना चाहिए। ग्रामीण जल प्रदाय, प्रारम्भिक शिक्षा और आवास की समस्याओं का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि योजना आयोग शीघ्र ही ऐसे सूचक बनाएगा। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान कार्यक्रम अपेक्षाकृत बहुत छोटे हैं और इनसे समस्या हल नहीं हो सकती तथा इसके लिए जरूरी है कि पूरे देश के लिए विशाल कार्यक्रम शुरू किए जाएं।

विचार विमर्श

बहस के दौरान एक गैर सरकारी सदस्य ने कहा कि कुछ राज्य सरकारें पिछड़े क्षेत्रों की ओर ध्यान नहीं दे रही हैं और केन्द्र को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। प्रोफेसर शेर सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि केन्द्र राज्यों को "ब्लाक अनुदान" देता है और राज्य सरकार उसका वितरण करने के लिए स्वतन्त्र हैं तथा इस मामले में केन्द्र हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

विभिन्न विशेष कार्यक्रमों के बारे में एक प्रमुख सदस्य ने शिकायत की कि समस्याओं के प्रारम्भिक अध्ययन पर काफी धन और समय बेकार लगाया जा रहा है जबकि इन अध्ययनों के परिणाम लगभग पेटेण्ट से होते हैं तथा कार्यक्रम और कर्मचारियों को ठीक से समंकित नहीं किया गया है। उन्होंने कई कार्यक्रमों की "विदेशी कृपा" पर निर्भरता की भी आलोचना की। कुछ सदस्यों ने ग्रामसेवकों के गुटबन्दी और दलगत राजनीति में भाग लेने की आलोचना की और कुछ अन्य सदस्यों ने कहा कि इनको निश्चित काम दिए जाएं और इन पर राज्य सरकारों की देखरेख हो। गुजरात से आए प्रतिनिधि ने कहा कि कार्यक्रमों का मूल्यांकन आदानों और उपज के आधार पर आसानी से किया जा सकता है। कुछ सदस्यों ने जोर दिया कि भूमिहीन मजदूरों की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। राजस्थान और उत्तरप्रदेश के प्रतिनिधियों ने इच्छा व्यक्त की कि तकनीकी मंजूरी का तरीका सरल बनाया जाए ताकि कार्यक्रमों में होनेवाली देरी को रोका जा सके।

इस बात पर जोर दिया गया कि पंचायती राज संस्थाओं की असफलता का मुख्य कारण है इन संस्थाओं के चुनावों का अत्यन्त देर से होना। नियमित चुनाव होने से इन संस्थाओं की कई बुराइयां दूर हो जाएंगी। कुछ सदस्यों ने तो यहां तक कहा कि जिन राज्यों में चुनाव नहीं कराए जाते उन राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता रोक दी जानी चाहिए। उत्तरप्रदेश के प्रतिनिधि पर जब व्यंग कसा गया तो उसने कहा कि इस साल मार्च और जून के बीच चुनाव अवश्य करा दिए जाएंगे। जब पंचायती राज के आकार-प्रकार और कार्यों की बेतरतीबी की चर्चा हुई तो महाराष्ट्र और गुजरात में चल रही पंचायती राज की पद्धति की प्रशंसा भी की गई। बिहार और मध्यप्रदेश के प्रतिनिधियों ने भी अपने राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं में हो रहे नए मूल परिवर्तनों के बारे में बताया। पंचायतों को अधिक अधिकार, संसाधन और काम दिए जाने के बारे में लगभग सभी एकमत थे। प्रोफेसर शेर सिंह ने जोर दिया कि पंचायती राज अधिकारियों के प्रशिक्षण की सुविधाएं बढ़ाई जानी चाहिए।

मेघालय के प्रतिनिधि ने आशंका व्यक्त की कि कमजोर तबकों को ऋण देने के नए कार्यक्रम शायद कामयाब न हों, क्योंकि ग्रामीण लोग पहले से ही भारी ऋणों के बोझ से दबे पड़े हैं और हो सकता है कि यह ऋण की राशि वे सूदखोर साहूकारों को दे दें। इस प्रतिनिधि ने मांग की कि पहले ऋणों का परिसमापन किया जाए। प्रोफेसर शेर सिंह ने उन्हें फिर बताया कि ऐसा कानून बनाने का काम राज्य सरकारों का है और ऐसा कानून नई ऋण सुविधाओं के साथ ही बनाया जा सकता है।

कुछ सदस्यों ने आदिवासी विकास खण्डों की अवधि बढ़ाने की मांग की तो सचिव ने कहा कि इस मामले पर ध्यान दिया जाएगा।

उड़ीसा के प्रतिनिधि ने कहा कि समिति की बैठक ज्यादा बार बुलाई जानी चाहिए। उन्होंने अगली बैठक उड़ीसा राज्य में रखने का निमन्त्रण भी दिया। ●

त्रिपुरा में सामुदायिक प्रगति और कृषि उत्पादन में वृद्धि

ब्रह्मदत्त स्नातक

हमारे देश के समग्र विकास और सुरक्षा दोनों दृष्टियों से त्रिपुरा का एक विशेष महत्व है जिसे इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं :—

(1) यह प्रदेश केवल एक ओर से भारत से जुड़ा हुआ है। शेष तीन ओर से बंगला देश (भूतपूर्व पू० पाकिस्तान) की सीमाएं हैं। अतः भौगोलिक सम्पर्क न्यूनतम होने से इस राज्य का स्वावलम्बी और विकसित होना परमावश्यक है। बाहरी सप्लाई पर निर्भरता ठीक नहीं है।

(2) भारत स्वाधीन होने से पूर्व दो लाख जनसंख्या वाले इस राज्य की वर्तमान जनसंख्या पूर्व पाकिस्तान के शरणार्थियों के आने से 16 लाख हो गई है जो भारत-पाक युद्ध से पूर्व दुगुनी यानी 32 लाख हो गई थी। इतनी विशाल जनसंख्या ने अकल्पनीय समस्याएं खड़ी कर दी थीं और अधिकांश में अब भी हैं। हाल में ही स्वायत्त शासन प्राप्त इस राज्य को पूरी दृढ़ता से इनका सामना करना है। यों अब भी वहां की जनसंख्या काफी विरल (277 व्यक्ति प्रति वर्ग मील) है।

(3) राज्य के बड़े भाग में वन और पर्वत हैं। स्थानीय व्यक्ति अधिकांश में आदिवासी होने के कारण देश की राष्ट्रीय, सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक जीवन धारा के साथ निकटता से गुथे हुए नहीं हैं। कुल मिलाकर दस नदियां इस राज्य में से होकर बहती हैं और छोटे नदी नाले तो दर्जनों हैं। फेनी, हावरा, देव, मानू, लंगाई, जुरी, खोवाई, गोमती आदि प्रमुख नदियां हैं। इन कारणों से इस राज्य में कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा सामुदायिक विकास के कार्यक्रम में बाधाएं हैं।

हाल ही में लेखक को इस भू-भाग में जाने का अवसर मिला और इन क्षेत्रों में हुई प्रगति को निकटता से देखा। आशा है कि भारत के अन्य भागों के निवासियों एवं कार्यकर्त्ताओं को इसका परिचय मिलेगा।

सामुदायिक विकास

सारे देश की भांति 1951-52 में यहां भी एक समुदायिक विकास केन्द्र की स्थापना हुई। आज वहां कुल मिलाकर 17 विकास खण्ड काम कर रहे हैं। इनमें सर्वाधिक प्रमुखता ऊपर लिखे कारणों से कृषि उत्पादन को दी गई है। साथ ही सिंचाई, पशु-पक्षी पालन एवं आवास योजनाओं के अतिरिक्त पोषाहार कार्यक्रम को भी शामिल किया गया है।

कम मूल्य पर बीज बांटने के कार्यक्रम के अन्तर्गत पहली योजना में 15 लाख रुपए की राशि निर्धारित थी जो बढ़कर तीसरी योजना में 90 लाख हो गई। चौथी योजना में यह राशि धीरे-धीरे कम कर दी गई है जिससे लोग स्वावलम्बी हो जाएं।

1956-57 में शुरू की गई अल्प आय समूह आवास योजना को 1959-60 में मध्यम वर्ग के लिए भी लागू कर दिया गया। इसी प्रकार की एक अन्य योजना के अन्तर्गत ग्रामवासियों को समूची धन राशि का चौथाई भाग सड़क, बाजार आदि बनाने और शेष तीन चौथाई घर बनाने के लिए दिया जाता है। बढ़ने वाले बच्चों को पोषक खाद्य देने की योजना भी इसी वर्ष से राज्य के तीन ब्लाकों में चलाई जा रही है। गत वर्ष से इसे 5 ब्लाकों में चलाने के लिए पौने दो लाख रुपए वार्षिक दिए जा रहे हैं।

कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षित करने की दृष्टि से गत दो वर्षों में कुल मिलाकर 102 ग्रामसेवकों को प्रशिक्षित किया गया है। आदिवासी किसानों, उनकी सन्तान तथा मालियों को प्रशिक्षण देने के अलावा कृषि शिक्षा लेने वाले 48 छात्रों ने वृत्ति पाकर स्नातक स्तर पर पढ़ाई समाप्त की और चार छात्रों ने सरकारी वजीफे से कृषि में स्नातकोत्तर शिक्षा लेकर उपाधि प्राप्त की।

पंचायती राज

उपर्युक्त 17 ब्लाकों में इस समय 448 गांव पंचायतें और 134 न्याय पंचायतें काम कर रही हैं। पिछले आपातकाल में बनाए गए ग्राम स्वयं सेवक दल एवं रक्षक दल में 21,857 लोगों को शामिल करके सुरक्षा एवं विकास के लिए (एक लाख पचास हजार श्रमिक दिवस) कार्य किया गया। इसके अतिरिक्त इन पंचायतों को कार्यों, दक्षता, स्वावलम्बन और आर्थिक दृष्टि से समर्थ बनाने के लिए उपर्युक्त व्यवस्था की गई है।

सहकारिता के क्षेत्र में ग्रामवासियों की कर्जदारी समाप्त करने और विकास कार्यों के लिए धन जुटाने की दृष्टि से राज्य का सहकारी बैंक, भूमि बन्धक बैंक, उपभोक्ताओं का थोक स्टोर, क्रय-विक्रय सहकारी समितियां तथा कृषि ऋण सहकारी समितियां बड़े पैमाने पर राज्य के ब्लाकों में काम कर रही हैं। पिछले वर्ष में 60 लाख रुपए का माल इन समितियों ने क्रय-विक्रय किया और राज्य सहकारी बैंक के एक मात्र कार्यालय ने 52 हजार रुपए मुनाफा कमाया। गोकुल नगर का नवोदय संघ सहकारिता के क्षेत्र में एक फलती-फूलती संस्था है।

कृषि

त्रिपुरा खाद्य उत्पादन की दृष्टि से एक कमी वाला राज्य है। इसके विशेष कारण हैं, जिनका उल्लेख हम लेख के शुरू में कर चुके हैं। शरणार्थियों की दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई संख्या, झूम जैसे कृषि के आदिम तरीके तथा भौगोलिक परिस्थितियों के कारण बहूद्देश्यीय, विशेषतः सिंचाई की बड़ी योजनाओं का सर्वथा अभाव इसके मुख्य कारण हैं। फिर भी इस दिशा में कार्य सफलतापूर्वक किया गया है।

सर्वप्रथम उन्नत किस्म के बीजों के द्वारा चतुर्थ योजना काल में 20 हजार एकड़ भूमि में धान बोया गया। पहले यहां गेहूं बिलकुल नहीं बोया जाता था पर उसे भी 1300 एकड़ में सफलतापूर्वक उगाया गया है। इस प्रकार 15 मन से बढ़कर 35 मन प्रति एकड़ धान की पैदावार हुई। पूसा पन्तनगर आदि स्थानों से उन्नत किस्म के बीज लाने में हुई कठिनाइयों और व्यय को देखकर अरुन्धतीनगर के फार्म में परीक्षणों द्वारा नए बीज तैयार किए गए हैं। गेहूं के सोनारा-64, कल्याण सोना और सोनालिका बीजों की अच्छी मांग है और वे लोकप्रिय हैं।

उन्नत किस्म के बीजों से बगफा ब्लाक के श्री शान्तिरंजन पाल ने टी० एन० 1 से जहां प्रति एकड़ 120 मन धान उपजाया, वहां जिरानिया ब्लाक के श्री गुरुदयाल ने आई० आर० 8 से भी इतना ही धान पैदा किया। यद्यपि इन उन्नत बीजों को सीमित क्षेत्र में ही बोया गया है, फिर भी इसका प्रभाव समूचे राज्य के धान के उत्पादन पर पड़ा है। यह इसी से स्पष्ट है कि 1966-67 में जब कि औसतन प्रति एकड़ धान की उपज 328 किलोग्राम थी, वह 1969-70 में 356 किलोग्राम हो गई।

देश के अन्य भागों में जबकि रासायनिक खादों की अत्यन्त मांग है, और कृषि विभाग के अतिरिक्त गैर सरकारी एजेंसियां भी इसका वितरण करती हैं, त्रिपुरा के किसानों की आर्थिक दशा को देखते हुए यहां गैर सरकारी तौर पर इसकी मांग या बिक्री नहीं है। अतः वितरण का काम सरकार के हाथ में ही है और इसके लिए 3 बड़े गोदाम बनाए गए हैं। इन रासायनिक खादों को लोकप्रिय बनाने के लिए सारे राज्य में उसका विस्तृत प्रदर्शन व प्रचार किया गया है। भारत सरकार भी विशेष छूट देकर इन खादों की ढुलाई का खर्चा नहीं लेती, और इसके अलावा नाइट्रोजन के खाद पर 15 प्रतिशत और फास्फेटिक किस्म पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त छूट दे रही है। त्रिपुरा की भूमि बहुत अम्लयुक्त है। ग्राम सेवकों के माध्यम से खादों का वितरण होता है और लगातार उनके उपयोग में वृद्धि हो रही है।

सुधरे किस्म के कृषि यन्त्र, उत्तम नस्ल के पशु व पक्षी व अच्छी कृषि सम्बन्धी सूचनाएं देकर उत्पादन में वृद्धि की जा रही है। नकदी फसलों में सर्व प्रमुख स्थान जूट, चाय व गन्ने का है। थोड़ी बहुत कपास भी होती है।

राज्यों में ऊंची नीची भूमि व नदी नालों की बहुलता से बड़ी सिंचाई योजनाएं नहीं चल सकतीं। इस दृष्टि से मझली और छोटी योजनाएं ही उपयोगी सिद्ध हुई हैं। कुछ लिफ्ट स्कीमों द्वारा नदी तल से पानी ऊपर चढ़ाया जाता है। हाल ही में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 3/5 हार्सपावर के पम्पिंग सैटों को खरीद से आधे मूल्य पर किसानों को दिया जा रहा है। इसी प्रकार ट्यूबवैल लगाने के लिए भी अनुदान के रूप में आधी कीमत किसानों को दी जा रही है। सिंचाई की इस सुविधा से किसान पूरा लाभ उठा रहे हैं। बड़ी संख्या में पम्पिंग सैट और ट्यूबवैल काम कर रहे हैं। गोमती नदी के दोनों किनारों पर दो चल यूनिटें चल पम्पिंग सैटों द्वारा किसानों को सिंचाई की पूरी सुविधा दे रही हैं।

भूमि-क्षरण की समस्या और उसका समाधान

[सन् 1965 के बाद पुनः "जय जवान—जय किसान" का नारा सारे देश में गूंज उठा। पिछले 14 दिन के भारत-पाकिस्तान के युद्ध में हमारी सेनाओं ने यह सिद्ध कर दिया कि वे विश्व की श्रेष्ठतम सेनाओं में से हैं। अब आवश्यकता यह है कि हमारे देश के किसान भी पीछे न रहें और विश्व को दिखा दें कि भारत सभी तरह से आत्मनिर्भर है। इस सन्दर्भ में प्रस्तुत लेख में क्षरण की समस्या पर प्रकाश डाला गया है।]

भूमि-क्षरण की समस्या संसार की एक गम्भीर समस्या है। इसने बेबीलोन के साम्राज्य तथा सिन्धु की महान सभ्यता को नष्ट कर दिया है। धीरे-धीरे यह आस्ट्रेलिया की भूमि को भी समाप्त कर रही है। इसने मेक्सिकन राज्य के मिशोकन को सर्वथा जनहीन कर दिया। भारत में स्थित राजस्थान, जोकि सिकन्दर के आक्रमण के समय घने जंगलों से पूर्ण था, अब रेगिस्तान में बदलता जा रहा है।

अतः भूमि की उपजाऊ शक्ति को कायम रखने के लिए यह जरूरी है कि भूमि को हवा, पानी एवं अन्य प्राकृतिक तत्वों द्वारा नष्ट होने से बचाया जाए। साधारणतया भूमि की ऊपरी सतह ही अक्सर तेज हवा, अधिक पानी और वर्षा के बहाव से नष्ट हो जाती है। यद्यपि हवा एवं पानी भूमि को उपजाऊ हालत में रखने में सहायक होते हैं, तथापि इनसे भूमि के कटाव को बचाना भी कृषि कार्यक्रमों का आवश्यक अंग है। अनुसन्धान विशेषज्ञों का अनुमान है कि देश में कटाव के कारण 50 टन तक उपजाऊ मिट्टी एक वर्ष में नष्ट हो जाती है। इन्हीं विशेषज्ञों ने यह भी अनुमान लगाया है कि 400 वर्षों से भी अधिक समय में 1 इंच उपजाऊ भूमि की सतह तैयार होती है। अतः यह स्पष्ट है कि भूमि-क्षरण से खेतों को बहुत हानि होती है। फलतः यह आवश्यक है कि इस हानि से उपजाऊ भूमि को बचाया जाए।

कर्नल ब्रेन ने इस सम्बन्ध में एक कड़ी चेतावनी देते हुए कहा था कि "हम लोगों की आंखों के सामने ही भारत मरुभूमि में परिवर्तित होता जा रहा है।" वास्तविकता यह है कि साधारण कृषक को इतना ज्ञान नहीं है कि वह इस गम्भीर समस्या को जान सके और अपनी उत्पादक भूमि के सबसे अधिक उपजाऊ भाग को बचा सके।

भूमि-क्षरण के लिए कुछ सीमा तक कृषक भी जिम्मेदार है। अधिकतर कृषक भूमि की ढाल पर विचार किए बिना भूमि को जोतते हैं जिससे खेतों की पंक्तियों तथा ढाल-नालियों में कोई मेल नहीं हो पाता। फलतः पानी की गति में काफी वेग हो जाता है और भूमि की उपजाऊ परत आसानी से बहकर चली जाती है। इसके साथ ही यहां के कृषक

पुरुषोत्तमदास माहेश्वरी

फसल काट लेने के बाद भूमि को बिना जोते ही छोड़ देते हैं। परिणामस्वरूप भूमि पर काफी समय तक वर्षा का भयंकर आक्रमण होता रहता है जिससे खेतों की ऊपरी परत कटती जाती है तथा बहकर चली जाती है।

इनके अतिरिक्त भारतीय कृषक भूमि का प्रबन्ध भी सही रूप से नहीं कर पाते। बिना रोक-टोक पशुओं को चरने व भ्रमण करने दिया जाता है। इस तरह से पशुओं के खुरों से परत कट जाती है तथा उसमें दरारें बनती जाती हैं और जब उस पर पानी का बहाव होता है तो ये दरारें काफी चौड़ी होती जाती हैं। इसके साथ ही जंगलों के काट लिए जाने से वर्षा के पानी और भूमि की ऊपरी परत से प्रत्यक्ष सम्बन्ध हो जाता है। जब पानी बरसता है तो इसके साथ मिट्टी कटकर बह जाती है।

भूमि-क्षरण, जिसे कटाव भी कहते हैं दो प्रकार का होता है—(1) नालीवत-क्षरण (गुली इरोजन) और (2) चादरवत-क्षरण (शीट इरोजन)। नालीवत-क्षरण खड्ड वाले क्षेत्रों में होता है। इसमें पानी गहरे एवं संकरीले मार्ग से होकर बहता है। यह खेत को अव्यवस्थित एवं संकीर्ण टुकड़ों में विभक्त कर देता है। इस प्रकार के कटाव के कारण यमुना और चम्बल जैसी बड़ी-बड़ी नदियों का विस्तृत किनारा अब कृषि योग्य नहीं रहा। नालीवत-क्षरण के बारे में योजना आयोग ने कहा है कि "यदि यह क्रिया एक बार प्रारम्भ हो जाती है तो इससे बहुत ही भयंकर क्षति होती है। भूमि बड़ी मात्रा में तथा बहुत तेजी के साथ बहकर गड्ढों में परिणत हो जाती है।"

जब भूमि की ऊपरी परत भारी वर्षा के कारण बहकर चली जाती है तो उसे चादरवत-क्षरण या परतदार कटाव कहते हैं। यह बहुत भयंकर प्रकार का कटाव है जो देश के समस्त मैदानी भागों में होता है। चादरवत कटाव साधारणतया वर्षा की बूंदों की तीव्रता के कारण होता

है। बूंदों के तीव्र गति से गिरने के कारण उर्वरा भूमि का ऊपरी भाग धीरे-धीरे बहकर निकल जाता है। किसानों को परतदार कटाव सरलता से दृष्टिगोचर नहीं होता।

भूमि-क्षरण के दोष

भूमि-क्षरण से अनेक हानियां होती हैं। पंजाब सिंचाई अनुसन्धान संस्थान तथा बम्बई औषधि कृषि अनुसन्धान केन्द्र के अनुसन्धानों से पता चला है कि प्रतिवर्ष कटाव द्वारा प्रति 100 एकड़ पर 1.15 टन मिट्टी की क्षति होती है। शोलापुर के प्रयोगों से यह भी पता चला है कि जो भूमि कटाव के द्वारा बहकर चली जाती है, उसमें उर्वरक तत्वों की मात्रा बहुत अधिक होती है।

डा० मेक्लाकन गोर्न ने भी बतलाया है कि कटाव का प्रभाव इतना भयंकर होता है कि पशुओं के निर्वाह के लिए भी भूमि में कुछ बच नहीं पाता। भूमि कटाव के कारण उपजाऊ मिट्टी पानी के साथ बहकर नदियों की ओर चली जाती है और जब पानी का बहाव कम हो जाता है तब उनके तलों में जमा हो जाती है। इस प्रकार नदियों का तल ऊंचा हो जाता है तथा बाढ़ की सम्भावनाएं बढ़ जाती हैं।

उपाय

भूमि-क्षरण रोकने के उपायों को भूमि संरक्षण के अन्तर्गत लिया जाता है। भूमि संरक्षण के प्रमुख उपाय ढालू भूमि पर मेड़ें या बांध बनाना, नालियों की उपयुक्त व्यवस्था करना, चारागाहों का समुचित प्रबन्ध करना, तटीय कृषि, धारी-धारी में फसलों को बोना, भूमि ढंकने के लिए घास लगाना तथा वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देना आदि है। कुछ प्रमुख उपायों का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :—

1. ढालू भूमि पर मेड़ें या बांध बना देने से पानी की तीव्रता कम हो जाती है तथा भूमि का कटाव रुक जाता है। बंगाल एवं असम की पहाड़ी ढालों पर यह तरीका धान बोने के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है।
2. भूमि-संरक्षण का दूसरा तरीका धारीयुक्त फसलो का बोना है। इसके अन्तर्गत ढालू भूमि को छोटे-छोटे टुकड़ों में एक दूसरे के समानान्तर विभक्त कर दिया जाता है।
3. नदियों में बांध तथा मैदानों को मिलाने के लिए नालियां बनाने से भी भूमि-क्षरण रोका जा सकता है। इस तरीके से मैदानों में अतिरिक्त पानी के बढ़ाव की दिशा को बदला जा सकता है तथा नालियों द्वारा पानी को नदियों में भेजा जा सकता है।
4. पशुओं की चराई पर नियन्त्रण लगाने से भूमि पर घास की हलकी परत को सुरक्षित रखा जा सकता है। इस परत के कारण भूमि-कटाव नहीं हो पाता।
5. गहरी जुताई से भी भूमि-क्षरण को रोका जा सकता है। क्योंकि जुताई से भूमि में पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाती है तथा ऊपरी सतह से पानी का बहना रुक जाता है। जहां भूमि ढलुआं है वहां ढाल की सीधाई में जुताई नहीं की जानी चाहिए।
6. जो भूमि वृक्षों, घास-पात एवं झाड़ियों से आच्छादित रहती है वहां भूमि की पानी सोखने की शक्ति बढ़ जाती है तथा भूमि-क्षरण की समस्या समाप्त हो जाती है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि भूमि संरक्षण के विभिन्न उपायों से भूमि-कटाव की प्रक्रिया को रोका जा सकता है। सर्वप्रथम दिसम्बर, 1953 में भूमि कटाव को रोकने के लिए कदम उठाए गए। योजना आयोग की सिफारिशों के अनुसार खाद्य और कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत एक केन्द्रीय भूमि संरक्षण परिषद की स्थापना की गई। इस परिषद के प्रमुख कार्य भूमि सम्बन्धी अनुसन्धान एवं सर्वेक्षणों की व्यवस्था करना, राज्य एवं नदी घाटी योजनाओं का आयोजन करने में सहायता देना तथा भूमि संरक्षण के लिए कार्यक्रम बनाना, आदि थे।

प्रथम योजनावधि में देहरादून, कोटा, जोधपुर, बेलारी तथा उटकमंड में अनुसन्धान केन्द्र खोले गए। देहरादून केन्द्र पहाड़ी वर्षा से होने वाले कटाव की समस्या की जांच करता है। इसी प्रकार कोटा केन्द्र का प्रमुख कार्य नदियों के किनारों पर निर्मित नालों एवं कटावों की जांच करना है। जोधपुर केन्द्र वनस्पति को उगाकर तथा वन लगाकर मरुभूमि की रोकथाम करने का प्रयोग कर रहा है। बेलारी अनुन्धान केन्द्र में नीलगिरि के पहाड़ी क्षेत्रों के कटाव तथा भारी वर्षा के कारण ढालों पर भूमि की क्षति के विषय में अनुसन्धान हो रहे हैं।

द्वितीय योजना में सभी बड़े-बड़े क्षेत्रों में क्षेत्रीय अनुसन्धान, प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र खोले गए। इस अवधि में 40 लाख एकड़ भूमि में संरक्षण कार्य किए गए। इसमें विभिन्न प्रकार के क्षेत्र, जैसे मरुभूमि एवं तटीय ढालू के क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, खड्ड वाले क्षेत्र और बेकार पड़ी हुई भूमि सम्मिलित की गई।

तीसरी योजना में भूमि संरक्षण के साथ-साथ बारानी खेती को भी महत्व दिया गया। इस अवधि में लगभग 120 लाख एकड़ भूमि पर संरक्षण कार्य किया गया। आगे के कार्यक्रम के अनुसार ऐसा अनुमान है कि सन् 1971 तक 200 लाख एकड़, सन् 1976 तक 400 लाख एकड़, सन् 1981 तक 600 लाख एकड़ और 1986 तक 700 लाख एकड़ भूमि पर संरक्षण कार्य पूरा किया जा सकेगा। ◇●

◇卐◇

खाद पड़े तो खेती, नहीं तो नदी की रेती

"खाद पड़े तो खेती, नहीं तो नदी की रेती" अपने देश में कृषि सम्बन्धी एक बड़ी पुरानी कहावत है। इससे स्पष्ट है कि कृषक प्राचीन समय से खाद को खेती के लिए आवश्यक मानते आए हैं। अधिकांश किसान अपने खेतों में देशी या कम्पोस्ट की खाद भी डालते आए हैं। परन्तु यह बात देशी या कम्पोस्ट की खाद के बारे में ही कही जा सकती है, रासायनिक खाद के बारे में नहीं। रासायनिक खादों की विभिन्नता तथा उपयोगिता के बारे में आज के युग में भी बहुत से कृषक नहीं जानते हैं। वे साधारणतौर पर उसे खेती के लिए लाभदायक मानते हैं मगर ये खादें कितनी अधिक महत्वपूर्ण है ऐसा पूरी तौर से नहीं जानते हैं और पर्याप्त मात्रा में उसे उपयोग करने में हिचकते हैं।

खाद का योगदान

सचाई तो यह है कि खेती में खाद का बहुत बड़ा महत्व है। वैसे तो अच्छी खेती बहुत बातों पर निर्भर करती है परन्तु विशेषज्ञों ने हिसाब लगाकर बतलाया है कि केवल अच्छे बीज से 13 प्रतिशत, सिंचाई से 26 प्रतिशत, खाद के सही उपयोग से 45 प्रतिशत, पौध रक्षा से 6 प्रतिशत तथा उन्नत विधि से 9 प्रतिशत उपज बढ़ती है। इससे स्पष्ट है कि उपज में खाद का योगदान सबसे अधिक, लगभग आधे के बराबर है। इतना अधिक योगदान किसी अन्य वस्तु का नहीं है।

तत्वों का हरण

विशेषज्ञों ने हिसाब लगाया है कि एक किसान जो एक हैक्टर भूमि पर वर्ष में 6 टन चावल तथा 6 टन गेहूं (अर्थात एक एकड़ भूमि पर 60 मन चावल व 60 मन गेहूं) पैदा करता है वह अपनी भूमि से 267 किलो नत्रजन, 125 किलो फास्फोरस, 336 किलो पोटास आदि पोषक तत्वों का तथा 397 किलो लोहा, 6.69 किलो मैंगनीज, 1.03 किलो जस्ता, 0.57 किलो तांबा का हरण करता है। स्पष्ट है कि अगर इसकी पूर्ति न करें तो भूमि कमजोर हो जाएगी और अगली फसल पोषक तत्वों की कमी के कारण कम हो जाएगी।

प्रति हैक्टर उपयोग

अधिक उपज लेने वाले देश इस हरण की पूर्ति कर देते हैं, तभी वे अगली फसल अच्छी ले पाते हैं। सन् 1964-65 में संसार के विभिन्न देश एक हैक्टर भूमि पर निम्न मात्रा में खाद डालते थे।

नीदरलैंड	556. 8 किलो
बेलजियम	500.50 ,,
जापान	304.40 ,,
अमरीका	54.50 ,,
रूस	19.40 ,,
भारत	4.40 ,,

रूपेन्द्र बहादुर

निश्चित है, तबसे तभी देशों ने अच्छी बढ़ोत्तरी की है। अब जापान 399.8 किलो प्रति हैक्टर और भारत 10.3 किलो प्रति हैक्टर तत्वों का प्रयोग करता है। 1965-66 में भारत 4.70 किलो प्रति हैक्टर और 1966-67 में 7.6 किलो प्रति हैक्टर खाद का प्रयोग करता था। उस समय सारे संसार का खाद प्रयोग का औसत 33.55 किलो था। भारत का औसत संसार के औसत का लगभग $\frac{1}{8}$ था।

उपयोग में वृद्धि

अपने देश में खाद का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। निम्नलिखित आंकड़ों से यह स्पष्ट हो जाता है :—

गन्ने की खेती में उर्वरक डालते हुए

वर्ष	खाद का उपयोग (लाख टन में)
1950-51	0.73
1960-61	4.07
1965-66	8.51
1966-67	12.90
1967-68	23.93
1968-69	28.83
1969-70	33.44

सन् 1970-71 में यह बढ़कर 60.43 लाख टन हो गया है। ज्ञातव्य है कि इतना अधिक उपयोग होने पर अब भारत का प्रति हैक्टर उपयोग 10.3 किलो प्रति हैक्टर हुआ है। पिछले 5 वर्षों में जबसे अधिक उपज देने वाली किस्मों का प्रचार हुआ है, खाद का उपयोग विशेष तौर से बहुत बढ़ा है। भविष्य में औसत उपज में बढ़ोत्तरी करने के लिए बहुत अधिक खाद की आवश्यकता होगी।

खाद का उत्पादन

आज देश की खाद की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 26 लाख 89 हजार टन खाद का उत्पादन देश में हो रहा है और 13 लाख 53 हजार टन खाद का आयात किया जा रहा है। दूसरे शब्दों में $\frac{2}{3}$ भाग देश में पैदा हो रहा है और $\frac{1}{3}$ भाग आयात किया जा रहा है। आशा है 1974-75 तक भारत रासायनिक खाद के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। उस समय देश में 40 लाख टन नत्रजन और 15 लाख टन फासफोरस का उत्पादन होने लगेगा। परन्तु क्या उस समय तक देश की खाद की आवश्यकता स्थिर बनी रहेगी ? इस समय देश में 7

लाख टन की मांग प्रति वर्ष बढ़ रही है। कुछ काल बाद यह मांग 10 लाख टन प्रतिवर्ष से भी अधिक बढ़ेगी। ऐसी दशा में अगले 4 वर्षों में हमारी मांग 60 लाख टन और 10 वर्षों में एक करोड़ टन बढ़ जाने की सम्भावना है।

आज अपने देश में सबसे अधिक रासायनिक खाद का उपयोग जम्मू-कश्मीर में होता है—41.62 किलो प्रति हैक्टर। इसके बाद तमिलनाडु, केरल और फिर पंजाब का नम्बर आता है। बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्यप्रदेश, असम का औसत तो भारत के औसत से भी कम है।

सन्तुलित उपयोग

ज्ञात रहे कि खाद का पूर्ण लाभ तभी मिलता है जब उसके प्रमुख तत्वों का सन्तुलित मात्रा में उपयोग हो। नत्रजन खाद का प्रभाव पौधों के बढ़ने पर शीघ्र मालूम हो जाता है। इसलिए कृषक उसका अधिक उपयोग करते हैं। परन्तु खाद के प्रमुख तत्वों नत्रजन, फासफोरिक एसिड तथा पोटाश का सन्तुलित प्रयोग 4 : 2 : 1 के अनुपात से साधारणतया होना चाहिए यद्यपि इस सम्बन्ध में सही जानकारी मिट्टी की जांच से ही पता चलती है। सन 1951-52 में हम इन तत्वों का प्रयोग 16 : 2 : 1 के अनुपात से कर रहे थे। सन 1965-66 में हम 6 : 2 : 1 के अनुपात में प्रयोग कर रहे थे। हमें फास्फोरिक एसिड और पोटाश के उपयोग की मात्रा में बहुत अधिक वृद्धि करनी है। तभी हम सन्तुलित प्रयोग के समीप पहुंच सकेंगे।

दूसरे, अधिक उपज देने वाली किस्में तभी अच्छी फसलें दे सकती हैं जब सभी शस्य क्रियाओं को ठीक प्रकार से अपनाने के साथ उर्वरकों की मात्रा, प्रयोग विधि, समय और प्रणाली का पूरा ध्यान रखा जाए। ऐसी स्थिति में ही हमारी भूमि क्रान्तिकारी उपज देने में समर्थ होगी जिसे 'हरित क्रान्ति' की संज्ञा दी गई है और इसमें रासायनिक खादों का बहुत बड़ा योगदान है। ●

बहन की भैया के नाम पाती

लड़ रहे लड़ाई हैं हम सब, इन खेतों में, खलिहानों में

अमर बहादुरसिंह 'अमरेश'

अपने पापों का पूरा फल पा गया पातकी उत्पाती,
हे विजयी भैया अमर रहो, मैं भेज रही तुमको पाती।
बूढ़ी माता बीमार पड़ी, निसि वासर नींद नहीं आती।
जब याद तुम्हारी करती है, गदगद हो जाती है छाती।
कहती है मेरा लाल अगर, जननी का दूध लजाएगा,
तो मुझको नहीं, लौटने पर मेरी माटी ही पाएगा।
वैधव्य लिए वे जीवन में, क्षण रोती है, क्षण मुसकाती,
हे विजयी भैया अमर रहो, मैं भेज रही तुमको पाती।
मेरी भाभी के आनन पर, इस समय चौगुनी आभा है,
लगता है किसी अहेरी ने, उनको वंशी से बांधा है।
कहती हैं मां के चरणों पर, चूड़ी की खनक चढ़ा दूंगी,
जननी के आंसू आए तो, सेंदुर बारूद बना दूंगी।
वे महाशक्ति के मन्दिर में, देने जाती हैं संझबाती,
हे विजयी भैया अमर रहो, मैं भेज रही तुमको पाती।
जब उषा सुनहरे सपनों में अंगड़ाई लेकर के जगती,
तब छोटी बिटिया की भैया यह बात बड़ी प्यारी लगती।
"लड़ना चाहो, जितना लड़लो, हमसे पूरी तैयारी से,
अब तक है पाला पड़ा नहीं, शायद भारत की नारी से।"
उसकी इन भोली बातों पर, गदगद हो जाती छाती,
हे विजयी भैया अमर रहो, मैं भेज रही तुमको पाती।
लल्ली की शादी रुकी पड़ी, है लल्ला मस्त तरानों में,
लड़ रहे लड़ाई हैं हम सब, इन खेतों में, खलिहानों में।
हमको भारत का मानचित्र, सब ओर दिखाई देता है,
उठती निगाह तो 'ढाका' और जैस्सोर दिखाई देता है।
दूधिया मटर के फूलों पर, मधुमक्खी गीत सुना जाती,
हे विजयी भैया अमर रहो, मैं भेज रही तुमको पाती।
'सोनार बंग की भूमि में, भैया तुम नहीं अकेले हो,
है वहीं तुम्हारी माता भी, जिनके आंचल में खेले हो।
पदमा की लहर संगिनी औ, ये निर्झर साथी सच्चे हैं,
चट्टानें बहन तुम्हारी औ, हिमखण्ड दूधिया बच्चे हैं।
इस एक बहन के भावों को, तुम समझो भारत की थाती,
हे विजयी भैया अमर रहो, मैं भेज रही तुमको पाती।

खेती के राष्ट्रीय प्रदर्शन कार्यक्रम कैसे सफल हों ?

दुर्गाशंकर त्रिवेदी

खेती में आत्मनिर्भरता लाने की हूक किसानों में अब तेजी से बढ़ती ही जा रही है जो कि एक स्वाभिमानी देश की पहली आवश्यकता भी है। इस दिशा में राष्ट्रीय प्रदर्शन कार्यक्रमों की सफलता ने हरित क्रान्ति में एक ओजस्वी वातावरण जरूर बनाया है। लेकिन फिर भी इन प्रदर्शनों का साफल्य अभी भी पूर्णरूपेण नहीं हो पाया है। अभी तक तो होता यह रहा था कि जो भी आता, किसानों को सिर्फ यही भाषण पिलाता था कि उन्हें तौर तरीके बदलने चाहिए। खेती के कामों में नई तकनीक, नए प्रयोग करने चाहिए। यह भाषण बाजी की बातें हवा में कपूर की तरह ही उड़ जाया करती थीं। किसान भी इन्हें सुनकर ऊब उठता था।

लेकिन राष्ट्रीय प्रदर्शन कार्यक्रम अब अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है जो किसानों की मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों, इलाके की आवश्यकताओं, माहौल जलवायु आदि को समझकर वैज्ञानिक तरीकों से उन्हें हल करता है। इस आन्दोलन ने वैज्ञानिक दावों को खुद उनके अपने खेतों पर सच करके दिखलाने की जो भूमिका अपनाई, उससे किसान की आंखें खुलने लगीं। वह इन प्रयोगों के व्यावहारिक गणित को देखने लगा और अब उसका मानस अधिक उत्पादन के इन समीकरणों को हल करने के लिए उत्सुक सा है।

प्रदर्शनों में रासायनिक उर्वरकों, उन्नत किस्म के बीजों और खेती की नई तकनीकों ने जो चमत्कार दिखलाया तो देखते ही देखते किसानों का एक बड़ा हजूम खेती की नई तकनीकों को अपनाने के लिए आगे आने लगा। वैज्ञानिकों को पहली बार लगा कि जिस भारतीय किसान को वे 'लकीर का फकीर' और 'बेवकूफ' मानते थे 'भाग्यवादी' समझते थे वह उनकी अपनी समझने की भूल थी। असल में किसान सिर्फ भाषण बाजी से ऊबा हुआ था। प्रदर्शन कार्यक्रमों के माध्यम से वह इन नई तकनीकों को तुरन्त अपनाने लगा और दकियानूसी रिवाजों को बदलने में सफल हो गया।

आवश्यकता की पूर्ति

असल में इस योजना की शुरूआत एक महान आवश्यकता की पूर्ति है। क्योंकि इस कार्यक्रम द्वारा वैज्ञानिक, प्रसार कार्यकर्त्ता और किसान तीनों एक शृंखला में बंध गए हैं। और प्रयोग हुए तब किसान ने देखा कि जमीन वही है, उसकी मिट्टी भी वही, हवा पानी भी वही और मेहनत भी वही। सिर्फ रासायनिक उर्वरकों और उन्नत बीजों ने जो भी चमत्कार दिखलाया उससे उसकी आस्थाओं को बल मिला है।

1964 में भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के सुयोग्य महानिदेशक डा० स्वामीनाथन ने इस योजना का प्रस्ताव कृषि मंत्रालय के समक्ष रखते हुए महत्वपूर्ण बात कही —"राष्ट्रीय प्रदर्शनों से न केवल वैज्ञानिकों को किसानों के खेतों में यह दिखाने का अवसर मिलेगा कि मुख्य फसलों की उपज को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, बल्कि इससे उनके तथा किसानों के बीच गहरा सम्बन्ध भी स्थापित किया जा सकता है।"

यह एक बहुत बड़ी आवश्यकता की तरफ डा० स्वामीनाथन का इशारा था जो इन कार्यक्रमों के द्वारा पूरी होने लगी है। चौथी पंचवर्षीय योजना में इस परियोजना की पूर्ति के लिए दो करोड़ 49 लाख रुपयों की राशि निर्धारित की गई है तथा 1972-73 तक देश के 100 चुने हुए जिलों में यह लागू कर दी जाएगी।

प्रदर्शनों के उद्देश्य

इन प्रदर्शनों ने भारतीय किसान की युगों से सोई आस्थाओं को हिला दिया है। अधिक उत्पादन के लिए उसमें गर्माहट आई है, उसे हमें बनाए रखकर योजनाओं को कार्यान्वित करना चाहिए तभी बात बनेगी। राष्ट्रीय प्रदर्शन के कुछ प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं :—

1. अधिक उपज देने वाली किस्मों और उर्वरकों का प्रयोग कर भूमि की प्रत्येक इकाई पर सम्भावित उत्पादन और उपज में वृद्धि का किसानों में विश्वास जाग्रत करवाना।
2. प्रत्येक क्षेत्र में दो या तीन फसलें अच्छी तरह से पैदा कर दिखलाना।
3. कृषि क्षेत्र के नए अनुसन्धानों को खेतों तक कम से कम समय में पहुंचाकर जनता को लाभ देना।
4. किसानों की आधुनिक कृषि तकनीकों में दिलचस्पी जाग्रत करना और इसके लिए उन्हें शिक्षित भी करना।
5. किसानों की व्यावहारिक समस्याओं को सुलझाने की दिशा में अनुसन्धानकर्त्ताओं को जानकारी का व्यापक आधार प्रस्तुत करवाना।
6. अधिक उत्पादन में सहयोगी तत्वों की शोध करना।

इस प्रकार राष्ट्रीय प्रदर्शन कार्यक्रमों के इन महत्वपूर्ण उद्देश्यों को देखते हुए हमें आशा करनी चाहिए कि ये अपने

महान उद्देश्यों में अवश्यमेव सफल होंगे । लेकिन उद्देश्य ही सब कुछ नहीं होते, उनकी क्रियान्विति व्यवस्थित हो, इस बात पर हमें ध्यान देना ही होगा, अन्यथा 'वही ढाक के तीन पात' वाली स्थिति बनी रहा करेगी ।

प्रदर्शन कैसे सफल हों ?

चूंकि इन प्रदर्शनों का किसानों की शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम से गहरा सम्बन्ध है, अतः हमें देखना चाहिए कि किस प्रकार ये प्रदर्शन अपने महान उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में तेजी से अग्रसर हो पाते हैं ।

प्रदर्शन के स्थान का चुनाव खूब सावधानी से करना चाहिए । जो स्थान चुने जाएं वह गांव के पास हों, वहां आवागमन के साधन ठीक हों तथा सिंचाई की सुविधा हो । भूमि की उपयुक्तता और क्षमता देखकर ही किस फसल का प्रदर्शन करना है यह तय करना चाहिए । फसल की बुआई, खेत की तैयारी, बीजों का प्रबन्ध व अन्य आवश्यक साधनों का पूर्वानुमान लगा लेना चाहिए और सारी चीजें समय से पूर्व जुटा लेनी चाहिए ।

प्रदर्शन खण्ड कम से कम एक एकड़ तो हो ताकि किसानों को शंका नहीं रहे और खर्च भी अधिक न पड़े । पूरी गतिविधियों पर कृषि प्रसार अधिकारियों को निगाह रखनी चाहिए और किसानों को प्रेमपूर्वक अपनत्व के भाव से बात समझानी चाहिए । खेत में बुआई के बाद के सारे कार्य, जैसे : फसल में उर्वरक या खाद देना, सिंचाई, निराई, पौध संरक्षण अन्य के प्रयोग आदि ठीक समय पर करने चाहिए और आसपास के किसानों को बुलाकर उन्हें क्रियात्मक रूप से प्रशिक्षण देना चाहिए । खुद करके किसान जब लाभ देखेगा तो ललक कर सारी योजनाओं में हिस्सा लेने लग जाएगा ।

जहां तक सम्भव हो किसानों को किसी विशेष दिन प्रदर्शन क्षेत्र बतलाने और उसकी शंकाओं के समाधान की व्यवस्था होनी चाहिए । यदि यह समाधान उनकी क्षेत्रीय बोलियों में करवाया जा सके तो अधिक उत्तम होगा । यदि यह सम्भव नहीं हो तो भी सरल भाषा में उनकी उत्सुकता को समझकर हल बतला देने चाहिए ।

प्रदर्शन खण्डों पर जो भी प्रचार पट्ट लगाए जाएं वे व्यवस्थित रूप से लगे हों ताकि आता जाता किसान उन्हें पढ़कर कुछ जानकारी प्राप्त करले । जितनी जानकारी उसमें अंकित हो वह सही हो। इस बात का पूरा-पूरा ध्यान रखना चाहिए । बेकार टालने के लिए ऐरी-गैरी जानकारी भरा बोर्ड लगाने से कोई सार नहीं निकलेगा । उलटे वह प्रदर्शन कार्यक्रमों की साख को घटाएगा ही ।

प्रदर्शन को देखने आए किसानों की प्रतिक्रियाओं को खासतौर पर विशेषज्ञों और प्रसार कार्यकर्त्तागणों को नोट करना चाहिए क्योंकि उनकी ये बातें बड़ा महत्व रखती हैं । जो उनमें रुचि लें उनकी शंकाओं को सावधानी से सुलझाना चाहिए । उन्हें तकनीकी सलाह और आवश्यक वस्तुएं प्रदान करनी चाहिएं । चूंकि ये प्रदर्शन कम पढ़े लिखे किसानों की आस्थाओं को बनाने बिगाड़ने वाले होते हैं, अतः इस समय काफी सावधानी और जिम्मेदारी महसूस करने वाले विशेषज्ञों को ही इन कामों में लगाना चाहिए ।

प्रदर्शन क्षेत्रों का ठीक ठीक रिकार्ड रखने पर भी हमारी निगाहें होनी ही चाहिए । अतः प्रदर्शन के अनुसन्धान कार्यकर्त्ता बन्धुओं को मिट्टी के विश्लेषण, बुआई, फसल के अंकुरण, कीट व्याधियों के उपचार, उर्वरक देने का समय, मात्रा तथा अन्य सम्बन्धित सारी बातों का ठीक ठीक रिकार्ड और सूचना डायरी में नोट करते रहना चाहिए ।

प्रदर्शन कार्य के बाद कटाई, गहाई और उपज प्राप्ति के आंकड़ों के साथ ही लागत और आय का विश्लेषण होना चाहिए । इसका प्रचार हर सम्भव तरीके से अधिक से अधिक करना चाहिए । आर्थिक लाभ की बात सुनकर दूसरे किसान नई तकनीकों के बारे में विश्वास करना शुरू कर देंगे । असल में इसके प्रचार पर कम ध्यान दिया जाता है । देहाती इलाकों में तो प्रचार नहीं के बराबर ही हो पाता है । हम लोग सिर्फ पत्रिकाओं, अखबारों व रेडियो में एकाध बार ऐसी घोषणा या सूचना प्रकाशित, प्रसारित करवा कर कर्त्तव्य की इति श्री समझ लेते हैं ।

उपेक्षा त्यागें

हम में से हर व्यक्ति का नैतिक दायित्व है कि 'आत्मनिर्भरता' का वातावरण क्रियात्मक रूप से लाने के लिए ऐसे उपादेय कार्यों की तरफ किसानों का रुख मोड़ें, उन्हें प्रेरित करें और इस तरह के प्रदर्शन कार्यक्रमों पर खर्च की जा रही राशि व समय का पूरा पूरा लाभ उठाने के लिए अपने ढंग से पहल करें ।

कृषि क्रान्ति के प्रेरक इस महत्वपूर्ण आयोजन को सफल बनाए बिना हमारा हरित क्रान्ति का स्वप्न पूरा नहीं होगा। स्वप्न पूरा करना ही है तो जुट जाइए इन प्रदर्शनों को सफल बनाने की दिशा में ।

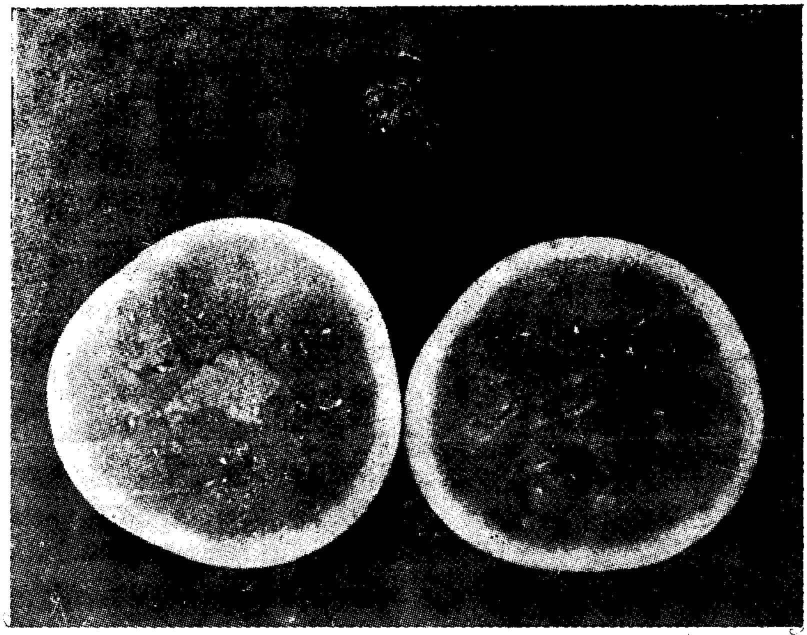

नए तरबूजे-खरबूजे बोकर अधिक आय लें

कृष्णकुमार

कृषि वैज्ञानिक न केवल अनाज की फसलों की उपज में क्रान्ति लाने में जुटे हैं, बल्कि फल सब्जियों की फसलों में भी। उदाहरण के लिए, खरबूजे की राजस्थान की दुर्गापुर मधु, लखनऊ की सर्करा और बतासा, पंजाब हरियाणा की कुटना और आन्ध्र की अनार किस्में ही अब तक किसानों में लोकप्रिय रही हैं। लेकिन किसी में भी वे सभी गुण नहीं, जिन्हें ग्राहक पसन्द करते हों। इनके फल बड़े होते हैं और उन पर रोग कीटों का अधिक प्रकोप होता है। भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान, पूसा के वनस्पति विज्ञान विभाग ने इन समस्याओं के समाधान में सफलता पाई है।

पूसा संस्थान के वैज्ञानिकों के प्रयत्नों के फलस्वरूप खरबूजे की एक नई किस्म पूसा शर्बती का विकास सम्भव हुआ है। इसे भारत की कुराना और अमेरिका की कैंटलूप रेसिस्टेंट किस्मों के संकरण से तैयार किया गया है। इसमें दोनों किस्मों के बढ़िया गुण हैं। इसका फल बढ़िया, गुदेदार और कम बीज वाला होता है। ऊपरी छिलका मध्यम मोटा और उस पर हरे रंग की धारियां होती हैं। इस किस्म के फलों को लाने ले जाने में कोई नुकसान नहीं पहुंचता। चूर्णी फफूंद की बीमारी से भी यह किस्म मुक्त है।

आमतौर पर छोटे और मध्यम आकार (लगभग 5-6 किलो) के तरबूज पसन्द किए जाते हैं। बहुत बड़े (20-30 किलो) तरबूज पसन्द नहीं किए जाते, क्योंकि इन्हें काटकर बेचना पड़ता है। वही तरबूज अच्छा समझा जाता है जो भरोसे का मीठा हो और जिसका गूदा आकर्षक हो। ये सभी गुण अमेरिका से लाई गई शुगर बेबी किस्म में पाए जाते हैं। इसका फल गोल, नीलापन लिए हरे रंग का होता है और फल लगभग 5 किलो वजनी होता है। शुगर बेबी किस्म सब जगह अच्छी साबित हुई है और प्रति बेल 3-4 फल मिल जाते हैं।

पूसा बेदाना, पूसा संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित तरबूज की बीज रहित किस्म है। इसके फल खाने में मीठे, देखने में चमकीले तथा गुलाबी रंग के होते हैं। यह किस्म संकर है, इसलिए इसका बीज सावधानी से लें और बोएं। पूसा बेदाना किस्म के साथ कोई सामान्य किस्म भी बोएं ताकि इनका परागण हो सके और फल भी लग सकें।

अब तक खरबूजे की खेती देश के उत्तरी भाग में यमुना, गंगा, नर्मदा और दक्षिण भाग में कावेरी, कृष्णा, गोदावरी आदि के डेल्टाओं में ही की जाती रही है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं। उन्हें खेतों में अन्य फसलों के साथ चक्र में भी अपना सकते हैं। इनकी खेती के लिए नीचे दिए तरीके अपनाएं।

जिन क्षेत्रों में उत्तरी भारत की तरह सर्दी अधिक पड़ती है वहां तरबूजे-खरबूजे की एक ही फसल नवम्बर-मई में लें। दक्षिण भारत की तरह जिन क्षेत्रों में सर्दी अधिक नहीं पड़ती वहां इसकी दो फसलें नवम्बर-फरवरी और मार्च-जून में ले सकते हैं। उत्तरी भारत में बुआई आलू या किसी अन्य फसल के होने के बाद में करें।

बुवाई से पहले खेत में बनी नालियों या गढ़ों में प्रति हैक्टर 40-50 गाड़ी गोबर कूड़े की खाद या अच्छी तरह सड़ी कोई अन्य खाद डालें। 18 किलो फासफोरिक एसिड भी खेत में डालकर मिट्टी को अच्छी प्रकार मिला दें। आकार और किस्म के आधार पर प्रति हैक्टर 2-3 किलो बीज बोएं।

फसल जमने के 15 दिन बाद खड़ी फसल में प्रति हैक्टर 35-45 किलो नत्रजन और 25 किलो पोटेशियम का भुरकाव करें। इसके 20 दिन बाद इन्हीं उर्वरकों को इतनी ही मात्रा में दुबारा भुरकें।

छोटी बेलों को कद्दू के लाल कीड़े से बचाने के लिए 2.5 प्रतिशत बी-एच-सी या लिंडेन का भुरकाव करें। एफिड कीटों पर नजर रखें। इनकी रोक के लिए मैटासिस्टाक्स या मैलाथियान दवा का छिड़काव करें। घोल बनाने के लिए 10 लिटर पानी में 13-17 सी० सी० दवा मिलाएं। चूर्णी फफूंद की रोकथाम के लिए 0.2 प्रतिशत मोरेस्टन या थिराम या 0.25 प्रतिशत जिनेब दवा का छिड़काव करें। प्रति हैक्टर 30-50 किलो केराथिन दवा का भुरकाव फसल फूलने फलने के समय करें। मक्खियों द्वारा नष्ट किए फलों को निकालते रहें।

अच्छी तरह पके फल ही तोड़ें, क्योंकि कच्चे फल बेचने पर कीमत कम मिलती है। यदि फलों को बहुत दूर भेजना है तो उन्हें कुछ दिन पहले तोड़ लें। ✶

जनजातियों में बढ़ती हुई ऋणग्रस्तता

सूक्ष्म रूप से अध्ययन करने पर यह स्पष्ट जाहिर हो जाता है कि ऋण की सुविधा हमारे देश में सदियों पूर्व से चली आ रही है। यह बात सही है कि ज्यों ज्यों हम सभ्यता की दौड़ में आगे बढ़ते जा रहे हैं, नए नए वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुसन्धान हो रहे हैं, हमारे समाज में ऋण लेने एवं देने की प्रथा सीमित से व्यापक होती जा रही है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार हम यह निष्कर्ष आसानी से निकाल सकते हैं कि ऋण की सुविधा प्राचीन भारत में भी थी। उन्होंने ऋण के सम्बन्ध में विवेचना करते हुए यह लिखा है कि राज्य किसी भी व्यक्तिगत कार्य के लिए ऋण देता था और जब उचित समय पर नहीं लौटाया जाता था तो राज्य व्यक्ति को दण्ड देता था। चर्वाक् ने अपने दर्शन में भी व्यक्त किया है कि "यावत् जीवेत् सुखम् जीवेत् ऋणं कृत्वा घृतम् पिवेत्" स्पष्ट रूप से इस दर्शन में उस समय के वातावरणों की छाप है। आज देश के बहुत बड़े बड़े निर्माण एवं विकास कार्यों में हम मित्र देशों से ऋण सहायता ले रहे हैं।

गैर जनजातीय समाज में ऋण की बात कोई नवीन नहीं, लेकिन अब तो जनजातीय क्षेत्रों में भी इसका व्यापक रूप से प्रचार और प्रसार हो रहा है। बात यह है कि जब ये जनजातीय लोग जंगली एवं सरल जीवन तक सीमित थे, वे ऋण सम्बन्धी समस्या से अछूते थे। लेकिन बढ़ती हुई आबादी, आधुनिक फैशन परस्ती, यातायात के सुगम साधन, शिक्षा का प्रचार आदि ने इसे काफी बढ़ावा और बल दिया है। यह बात सही है कि पहले गैर-जनजातियों में ऋण का चलन अपेक्षाकृत अधिक व्यापक था, लेकिन अब तो जनजातीय भी इस दौड़ में काफी आगे निकल चुके हैं। जनजातीय समाज में ऋण ग्रस्तता पर अनुसन्धान से यह तथ्य उजागर हो गया है।

ऋण के सम्बन्ध में विशेष जानकारी प्राप्त करने के पहले हमें यह जान लेना उचित होगा कि ऋण किसे कहते हैं? ऋण क्या है? संक्षेप में कोई भी वस्तु या पैसा सूद पर निश्चित समय के लिए लेना ही ऋण है।

ऋणग्रस्तता के कारण

जनजातियों की ऋणग्रस्तता के बहुत से कारण हैं जिनमें से कुछ ये है :

(क) जंगलों की समाप्ति—साधारणतः ऐसा पाया गया है कि अधिकांश जनजातियों का निवास स्थान जंगल और पहाड़ हैं। प्रारम्भिक काल से ही ये लोग आधुनिक समाज से दूर एकान्त

लक्ष्मीभूषण प्रसाद

जंगल एवं पहाड़ों में अपना जीवन निर्वाह करते रहे हैं। उन्हें जंगल एवं पहाड़ों से खाने-पीने, रहने-सहने वगैरह के साधन मिल जाते थे। जंगलों से कन्द, मूल और फल लेना लकड़ी काटना, पत्ता चुनना, पेड़ों से मधु एवं छत्ते प्राप्त करना वगैरह इन जंगली जातियों के आर्थिक पहलू के आधार थे। लेकिन ज्यों ज्यों सभ्यता, संस्कृति एवं विज्ञान का विकास हुआ, ये जंगल पहाड़ धीरे धीरे समाप्त होते गए। ऐसी परिस्थिति में जंगल में रहनेवाली जातियों की आर्थिक स्थिति पर एक धक्का सा लगना स्वाभाविक सा है। परिस्थिति यह है कि जो जंगल जनजातियों के आर्थिक जीवन की धुरी थे, वे अब नष्ट होते जा रहे हैं या हो गए हैं। फलतः उनकी आर्थिक स्थिति गिरी और ये लोग भी ऋण प्राप्ति के लिए बाध्य हो गए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जंगल की समाप्ति से उनकी माली हालत काफी बिगड़ गई है और वे अब धीरे धीरे ऋणग्रस्तता का शिकार होते जा रहे हैं।

(ख) शोषण—बुनियादी बात तो यह है कि जंगल दिन ब दिन कटते जा रहे हैं, लेकिन जो बच भी सके हैं, वहां पर ठेकेदार लोगों का साम्राज्य है। ये ठेकेदार लोग जंगलों को ठेके पर सरकार से खरीद लेते हैं और उस क्षेत्र में मनमानी करते हैं। एक तो इन जंगलों में जनजातियों के आने जाने, लकड़ी काटने, कन्दमूल फल वगैरह तोड़ने शिकार करने इत्यादि पर प्रतिबन्ध लगा ही, साथ ही साथ उनका शोषण भी शुरू हुआ। चूंकि इस क्षेत्र में जीविका का कोई अन्य साधन नहीं, अतः ठेकेदार मनमानी मजदूरी देकर इन्हें काम पर लगाते हैं जिससे उनके परिवारों का भरण पोषण नहीं हो पाता है। ऐसी परिस्थिति में वे लोग ठेकेदार से उधार पैसे लेकर अपनी जरूरत की चीजों को प्राप्त करते हैं। संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि जनजातियों का जंगल के ठेकेदार द्वारा शोषण करना ही उनकी ऋणग्रस्तता का प्रमुख कारण है।

घरेलू उद्योगों का ह्रास—जंगलों की समाप्ति से घरेलू उद्योगों का ह्रास होने लगा। जनजातियों का रोजी कमाने का दूसरा जरिया घरेलू उद्योग था। ये लोग जंगलों से लकड़ी काटकर लाते थे और तरह तरह के सामान तैयार करते थे, जैसे चारपाई तैयार करना, कृषि के छोटे मोटे औजार बनाना वगैरह। इन चीजों को वे घरेलू व्यवहार में भी लाते थे और उन्हें बेचकर अपनी रोजी भी कमाते थे। इसके अतिरिक्त पत्ता चुनना, पत्ता बनाना, रस्सी तैयार करना, चटाई

बनाना, डलिया बनाना आदि भी इनका धन्धा था पर अब इनके उत्पादन के लिए कच्चा माल ही उपलब्ध नहीं होता। फलतः उनके लिए अब घरेलू उद्योग को जीवित रखना एक समस्या है। कुछ लोग अभी भी इस कार्य में लगे हैं लेकिन उन्हें कच्चे माल के लिए काफी मूल्य चुकाना पड़ता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जंगलों की समाप्ति से जनजातियों की रोजी का साधन भी समाप्त होता जा रहा है।

इन घरेलू उद्योगों के अतिरिक्त भी सूअर एवं मधुमक्खी पालन भी इनका एक धन्धा था, लेकिन जगह के अभाव, चारे के कमी और जंगलों के कठोर नियमों के कारण इनका यह धन्धा भी नष्ट होता जा रहा है।

कृषि की ओर

इन जंगली जातियों के लिए जंगल ही जीवन यापन का आधार था। ये जंगलों से भोजन एवं आवास की चीजें आसानी से प्राप्त कर लेते थे, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने खेती का धन्धा प्रारम्भ किया। इन क्षेत्रों में कृषि कार्य काफी कठोर था और इसके लिए अधिक पूंजी लगाने भी भी जरूरत थी। अतः उन्हें ऋण प्राप्त करने के लिए बाध्य होना पड़ा।

बए कृषिकर

आजादी प्राप्त करने से पहले जनजातियों को अपनी जमीन के लिए नाममात्र लगान देना पड़ता था। लेकिन अब लगान में काफी परिवर्तन हुआ। अतः इनकी ऋणग्रस्तता का एक कारण यह भी है।

सरकारी सहायता

हमारे देश में इन जनजातियों की संख्या लगभग 80 लाख है। अतः पिछड़े समाज की विकास की दृष्टि से कैसे अवहेलना की जा सकती थी। अतः सरकार का ध्यान इनकी दशा सुधारने की ओर गया। करोड़ों रुपये बांटे गए। मुफ्त इलाज, मुफ्त शिक्षा तथा इनके रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए विकास कार्य शुरू किए गए।

जनजातियों की ऋणग्रस्तता के विभिन्न कारणों की चर्चा करने के बाद हम यहां यह उल्लेख कर देना उचित समझते हैं कि इन क्षेत्रों में ऋण के कौन कौन से स्रोत उपलब्ध हैं। साधारण रूप से ऋण के स्रोतों को हम दो प्रधान भागों में विभाजित कर सकते हैं—पहला सरकारी और दूसरा गैर सरकारी।

सरकारी ऋण

सरकार की ओर से ऋण की अनेकानेक सुविधाएं उपलब्ध हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी सुविधानुसार कृषि, सिंचाई, व्यवसाय, उद्योग, मकान वगैरह के लिए सरकार से ऋण ले सकता है। ये सुविधाएं कुछ निश्चित नियम के साथ प्रायः सभी ग्राम जनता को उपलब्ध हैं। जनजातियों को अपेक्षाकृत ऋण की विशेष सुविधाएं दी गई हैं। सरकार बहुत ही कम सूद पर जनता को ऋण देती है। ऋण प्राप्ति के अनेक स्रोत हैं, जैसे कृषि विभाग, सहकारी समिति आदि। इसके अलावा, अब कुछ वर्षों से सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं जीवन बीमा निगम से भी लोगों को आसानी से ऋण प्राप्त हो जाता है। पिछले कई वर्षों में सरकार ने ऋण की अनेक सुविधाएं प्रदान की हैं और ऋण प्राप्ति को काफी सरल और सुलभ बना दिया है।

फिर भी सरकारी ऋण का क्षेत्र काफी व्यापक और महत्वपूर्ण है, और देश की अधिकांश जनता उससे लाभ उठा सकी है।

गैर सरकारी स्रोत

गैर सरकारी स्रोतो में प्रमुख हैं महाजन, गांव के जमींदार या कोई व्यक्तिगत संस्था। महाजन लोग मनमानी सूद पर कर्ज देते हैं जिसे व्यक्ति को अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए लेना पड़ता है। गांव के जमींदार रुपया के अलावा अनाज सवाई के रूप में देते हैं। व्यापारी कर्ज के रूप में रुपये देते हैं और मनमानी भाव पर किसानों से अनाज ले लेते हैं। ये व्यापारी नकद रुपये के अलावा खाने-पीने की वस्तु वगैरह भी मनमानी भाव पर उधार देते हैं। रांची के जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी मिशनरियों द्वारा कर्ज का व्यापक प्रचार हुआ है और इससे ऋणग्रस्तता को काफी बढ़ावा मिला है। अभी भी इन क्षेत्रों में बीस प्रतिशत लोग मिशनरियों के ऋणों से ग्रस्त हैं।

संथाल परगना क्षेत्र में लगभग 80 प्रतिशत संथाल महाजन एवं गांव के बड़े किसानों के चंगुल में हैं। फैशनपरस्ती, शिक्षा प्रचार, यातायात की सुविधा आदि ने इनमें भी आधुनिकता की लहर पैदा कर दी है और ये कर्ज ले लेकर अपना शौक पूरा करते हैं। स्थिति यह है कि इनके पास आय के साधन तो सीमित हैं लेकिन खर्च के प्रकार दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। जनजातियों की ऋणग्रस्तता पर अध्ययन में यह पाया गया है कि 17 से 19 प्रतिशत जनजातीय लोग ऋणग्रस्त हैं। अध्ययन के आधार यह भी ज्ञात हुआ है कि असम एवं उत्तरप्रदेश में यह समस्या काफी गम्भीर है। सिर्फ मध्यप्रदेश की जनजातियों में ऋणग्रस्तता अभी कुछ कम है। त्यौहारों, विवाह, जन्म एवं मृत्यु संस्कार में उनको काफी खर्च करना पड़ता है। वे कीमती कपड़े, आभूषण एवं बर्तनों का उपयोग करने लगे हैं, नए नए आराम की चीजों की ओर भी उनका झुकाव बढ़ता जा रहा है। वैसे ऋण का वास्तविक उद्देश्य होता है कि वे उसे विकास कार्यों में लगाए पर होता यह है कि वे उसे अपनी शानशौकत बढ़ाने और ब्याह-शादियों आदि में खर्च कर डालते हैं। अतः वे दिनोंदिन ऋणग्रस्तता के भी शिकार होते जा रहे हैं।

卐

सहायक विकास अधिकारी श्री द्विवेदी

आजमगढ़ जनपद में विकास खण्ड घोसी के सहायक विकास अधिकारी (कृषि) श्री केदारनाथ द्विवेदी अपने अथक परिश्रम, अटूट निष्ठा और अगाध देश सेवा के लिए ग्रामीणों के बीच अत्यन्त लोकप्रिय और आत्मीय बन गए हैं। पूरे बस्ती जनपद में उन्हें सर्वोत्तम ग्रामसेवक का पद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हो चुका है और उसके लिए उन्हें पुरस्कार भी मिल चुका है। श्री द्विवेदी के प्रयास से उनके कार्यक्षेत्र की गांव सभा महादेवरी ने 1960-61 में अधिक अन्न उपजाओ अभियान में 45 मन प्रति एकड़ औसत पैदावार लेने के लिए सम्पूर्ण उत्तरप्रदेश की ग्रामसभाओं को चुनौती दी।

गोरखपुर में 1955-56 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा योजना के अन्तर्गत वे ग्राम सेवक पद पर चुने गए। 1 जुलाई, 1955 से 18 माह की अवधि के लिए प्रथम प्रशिक्षण केन्द्र लखना (इटावा) से ग्राम सेवक का प्रशिक्षण उन्होंने प्राप्त किया। प्रशिक्षण काल में उनका कार्य तथा व्यवहार श्रेष्ठ रहा। उन्होंने परीक्षा 'अ' श्रेणी में पास की तथा स्वायत्त मैनेजमेंट और कापहसबेण्ड्री में विशेष योग्यता प्राप्त की।

2 अक्टूबर, 1956 को जब देश के तमाम ग्रामीण अंचलों में राष्ट्रीय प्रसार सेवा केन्द्र स्थापित किए गए उसी समय बस्ती जनपद में राष्ट्रीय प्रसार सेवा केन्द्र बेसरहा में 30 नवम्बर सन् 1956 को उनकी नियुक्ति ग्रामसेवक पद पर की गई। एक वर्ष भी नहीं बीत पाया कि भलुहा और मदरहना गांव जो उनके कार्यक्षेत्र में स्थित थे, विकास कार्यों के लिए एक अनुपम दर्शनीय गांव बन गए। उनकी कार्यकुशलता के आधार पर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नियोजन) बस्ती ने जनपद से निकट रोडसाइड पर स्थित विकास क्षेत्र कप्तानगंज में उनका स्थानान्तरण कर दिया। इस विकास क्षेत्र में अन्य ग्रामसेवकों के साथ प्रतिस्पर्धात्मक भाव से काम करने में उन्हें और अधिक उत्सुकता हुई। इस विकास क्षेत्र में उनकी नियुक्ति महाराजगंज ग्रामसेवक क्षेत्र में की गई। वहां अदम्य उत्साह और लगन के साथ कार्य में वे लगे रहे। क्षेत्रीय जनता का विश्वासपात्र बनने में उन्हें केवल दो तीन माह लगे। फलतः रबी अभियान 1959-60 में पूरे ग्रामसेवक क्षेत्र में उन्हें इतनी विशिष्ट उपलब्धि मिली कि वे पूरे बस्ती जनपद के सर्वोत्तम ग्रामसेवक घोषित किए गए और 150 रुपए के जिला स्तरीय पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। कार्य के आधार पर ही जनवरी, 1960 में दिल्ली में आयोजित विश्व कृषि प्रदर्शनी में उन्हें जिले के ग्रामसेवकों में प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हुआ।

1961-62 में मिनिस्टीरियल कम्यूनिटी डेवलपमेंट प्रोजक्ट स्कीम के अन्तर्गत उन्हें 750 रुपए का पुरस्कार दिया गया।

प्रान्त के योग्य ग्रामसेवकों में से दो वर्ष की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लखनऊ में एक प्रतियोगिता हुई जिसमें कुल चुने जाने वाले सात ग्रामसेवकों में श्री केदारनाथ द्विवेदी की दूसरी पोजीशन थी। फलस्वरूप 1962-63 और 1963-64 दो वर्ष के लिए स्नातक डिग्री के समकक्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें राज्य सरकार की ओर से पूरे वेतन तथा 60 रुपए प्रति माह स्ट्राइपेंड तथा दो वर्ष की स्टडी लीव देकर बलवन्त विद्यापीठ रूरल इंस्टीच्यूट बिचपुरी (आगरा) भेजा गया।

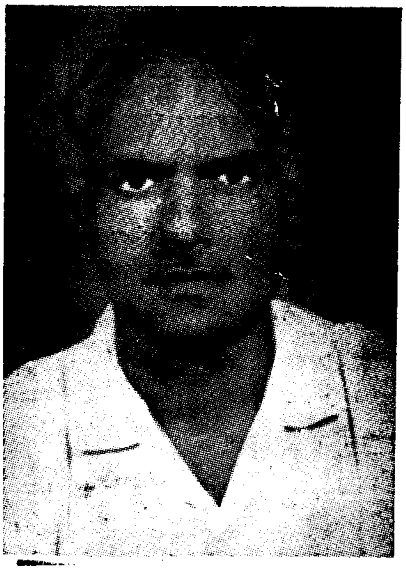

उच्च शिक्षा कोर्स पास करके लौटने के बाद एक वर्ष तक वे मूलपद पर ही कार्य करते रहे परन्तु उनके उत्साह में किसी प्रकार की कमी नहीं आई। 25 मार्च सन् 1964 को रीजनल स्तर पर गोरखपुर में सहायक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में योग्य ग्रामसेवकों की पदोन्नति के लिए एक इण्टरव्यू किया गया। उसमें वे कृषि ए० डी० ओ० पद के लिए चुने गए। 1-4-65 को उन्हें सहायक विकास अधिकारी कृषि के पद पर बस्ती जनपद में ही विकास क्षेत्र बहादुरपुर में नियुक्त किया गया और विकास क्षेत्र में कचूरे, क्योंचा, राजपुर, बेइली, मुस्तफाबाद तथा गोसपुर गांवों में 'हरित क्रान्ति' लाने में उन्होंने जी जान लगा दी। सम्प्रति वे जून 71 से आजमगढ़ जनपद में विकास खण्ड घोसी में सहायक विकास अधिकारी कृषि के पद पर कार्यरत हैं। 'यहां भी कृषि जगत में एक [illegible] लाने के लिए सतत प्रयत्नशील हैं।' ऐसा उनका संकल्प है।

हम स्वयं मंहगाई बढ़ाते हैं

सुलेमान टाक

ज्ञानपुरी की चौपाल अब पुरानी न रह कर सूचना केन्द्र बन चुकी है। प्रतिदिन सायंकाल दिनभर के कार्यों से निवृत्त ग्रामीण एकत्र होते हैं। समाचारपत्र पढ़ते हैं। रेडियो से देश-विदेश के ताजे समाचार सुनते हैं। ज्ञानपुरी में निरक्षरता का समूल निवारण कर ज्ञान गंगा बहाने वाले मास्टरजी तथा ग्रामसेवक जी से लोग ग्राम सुधार तथा कृषि की उन्नति जैसे विषयों पर चर्चा करते हैं, विचार विमर्श कर कई समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं।

किस दिन किस विषय पर चर्चा हो, यह तो कुछ भी तय नहीं रहता। संयोगवश आज खबरें सुनने के बाद सूचना केन्द्र के बरामदे में मास्टर त्रिलोकचन्द के साथ बैठे थे दीनू, अहमद, जीवन, रोशन, किशन आदि। भारतीय सेनाओं के शौर्य और पराक्रम की प्रशंसा कर रहे थे, इसी बीच अहमद विषयान्तर सा करता हुआ ठाकुर किशनसिंह को सम्बोन्धित कर कहने लगा—'न जाने हमारा देश आर्थिक मोर्चे पर कब विजय प्राप्त करेगा। दादा भाई। न जाने खुदा कितना बुरा समय दिखाएगा। तौबा! खुदा की पनाह, बाजार भावों का हाल ही अजीब है, सभी वस्तुओं की कीमतें जैसे आसमान को छू लेने की होड़ लगाए हैं।

किशनसिंह तो भूतपूर्व जागीरदार ठहरे। राजा महाराजाओं के प्रिवीपर्स छिन जाने के बाद तो सरकार के मानों शत्रु ही बन गए हैं। वे बोले—यह सरकार ही ऐसी है। गरीबी हटाने का ढोल तो कई वर्षों से पीटे जा रही है पर गरीबी जड़ जमाती ही जा रही है। अरे कहीं नारों से गरीबी दूर होगी? कहती है मंहगाई नहीं बढ़ेगी, बात बन्द नहीं होती उससे पहले बाजार भाव छलांग लगा लेते हैं।

ठाकुर किशनसिंह की ठकुराई तो अब थी नहीं, लेकिन उसके व्यक्तित्व में ठकुराई अब भी थी। उसकी बात में साथ बैठे कई लोग हां में हां मिलाने लगे। पराए दोष दर्शन में कौन कुशल नहीं। मंहगाई का दोष सरकार पर मढ़ने को सभी उत्सुक। सभी तत्पर। रोशन बोला—"ठाकुर साहब! दो टूक साची बात फरमाई आप। गरीब मेंगाई री चाकी में पिस्या जा रह्या, पर राज माइ बापरी तो नीन्द केती उड़े।"

"भई! सच कहूं तो अंधेर नगरी चौपट राजा। कहने को तो जनता का राज पर पिसी जा रही है जनता ही।" बिरजू भला क्यों पीछे रहता। मार ही दिया ताना सरकार पर।

यह तो ठीक है कि मंहगाई बढ़ती जा रही है पर यह कैसे कि बिगड़ी बात के लिए सरकार को ही दोषी ठहराया जाए। मास्टर त्रिलोक को यह बात जंची नहीं। वह जानता है प्रजा ही राजा है। जनता की सरकार है और जनता चलाती है इसे अपने ही कल्याण के लिए। मंहगाई के लिए सरकार पर ही कीचड़ उछालने वालों को अपने दोष दिखाना चाहता था वह। उसने बात काटी "तुम सब व्यर्थ ही सरकार पर कीचड़ उछाले जा रहे हो यारो।"

"अरे! अरे! मास्टरजी, यह क्या? यह क्या कहा आपने?" मंडली से एक बोला। मास्टरजी की ओर संकेत करते हुए दूसरा बोला—"सरकारी नौकर भई! दिन को रात और रात को दिन भी कह देना पड़ता है, नौकरी को सुरक्षित रखने के लिए इन लोगों को।"

मास्टरजी ने देख लिया तो व्यंग बाण बिरजू बरसा रहा था। वे बोले—"नहीं नहीं बिरजू। ऐसी तो बात नहीं है कि सरकारी नौकर होकर मैंने अपनी जीभ को भी गिरवी रख दिया हो। हमारा देश श्रेष्ठतम प्रजातन्त्र का उदाहरण है। यहां नागरिकों को अपने विचार प्रकट करने की पूर्ण स्वतन्त्रता है किन्तु प्रजातन्त्र के नागरिक से यह आशा की जाती है कि उसकी आलोचना स्वस्थ हो, उसके साथ ही साथ हमें पराए दोष दर्शन में ही न लगे रह कर आत्मालोचन करना चाहिए। व्यक्ति सुधर जाएगा, तब उसे समाज और सरकार में केवल दोष ही दोष नहीं नजर आएंगे और स्वतः समाज सुधर जाएगा।"

अहमद चाचा। एक सुलझा हुआ आदमी। मास्टर त्रिलोक की बात सुन ही नहीं समझ भी रहा था। समर्थन सूचक सिर हिलाता हुआ बोला—"सच है मास्टरजी 'जो' मन देखा आपना मुझसे बुरा न कोय।"

"सच है, अहमद। ठीक ही कहा है—मुझसे बुरा न कोय" मास्टर त्रिलोक गदगद होकर बोला।

अहमद ने पूछा "मास्टरजी। यह तो सच है कि व्यक्ति को अपने दोष भी देखने चाहिए लेकिन मंहगाई का दोष हमारे सिर पर क्यों?"

अब त्रिलोक को अपनी बात कहने का अवसर हाथ आ ही गया। वे कहने लगे "देखो अहमद। हमका मतलब है वस्तुओं के उपभोक्ता हम ग्राहक और, दूसरे हैं विक्रेता अर्थात् व्यापारी।"

"वाह गुरुजी। वाह। आप तो सचमुच ही सरकार का पक्ष लेने लगे। उल्टा चोर कोतवाल......अहमद तो चौंक कर बोला कि बीच में ही मास्टर त्रिलोक बोल उठा—"अहमद। मेरी तो सुनो। वास्तव में उपभोक्ता भी बड़ा दोषी है जो बाजार में किसी वस्तु की जरा सी कमी की बात सुनकर खामख्वाह की बनावटी कमी से इतना शंकित हो जाता है कि मानो अमुक वस्तु का दुनिया से नामोनिशान ही उठ जाने वाला है। हम सचमुच बड़े बेसब्र हो उठते हैं। उदाहरण के लिए ज्यों ही भनक पड़ती है कि शक्कर का राशनिंग होने वाला है। हम शक्कर की खरीद के लिए दौड़ पड़ते हैं चाहे हमारे घर में महीने भर तक के लिए पर्याप्त शक्कर की मात्रा उपलब्ध ही क्यों न हो, हम बिना आगा पीछे विचारे 5-10 किलो शक्कर और खरीद कर रख लेना चाहते हैं।" अपनी बात कहते हुए ठाकुर किशनसिंह की ओर मुंह कर उसने प्रश्न सा किया "क्यों किशनजी, गलत है मेरी बात?" इन शब्दों के साथ ही मास्टर त्रिलोक मुस्करा उठा।

पर किशनजी, किशनजी बेचारे अवाक से रह गए। दोषी जो थे। कल ही शहर से दस किलो शक्कर भावी राशनिंग की आशंका से खरीद लाए थे। कुछ सम्भल कर बोले—"मास्टरजी, क्या बताएं, रोजमर्रा की चीज है। कल हाथ न आए तो चाय कैसे पिएं?"

"किशनजी। बस यही निर्मूल शंका है मंहगाई का एक मूल कारण" त्रिलोक कहने लगा, "भई। बात यह है कि जब हम एक साथ किसी वस्तु को आवश्यकता से अधिक खरीदना चाह कर उसकी मांग में वृद्धि कर देते हैं तब पूर्ति में कमी पैदा हो जाती है। अर्थशास्त्र का नियम है कि जब पूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है तो वस्तुओं के भाव बढ़ जाते हैं। यही भाव वृद्धि मंहगाई कहलाती है। बाजार में वस्तु की मात्रा सीमित होती है। अमुक वस्तु की मात्रा की पूर्ति में एकदम वृद्धि नहीं लाई जा सकती। जब मांग सामान्य मांग से एकदम अधिक हो जाती है तो व्यापारी अपने उपलब्ध स्टाक से अधिकाधिक लाभ उठाने के लिए दामों में वृद्धि कर देते हैं क्योंकि वह उपभोक्ता की इस कमजोरी को जानता है कि उपभोक्ता तो इस बात से शंकित है कि आगामी दिनों में अमुक वस्तु मिलेगी ही नहीं। अतः वह किसी भी कीमत पर खरीदने को तैयार हो जाता है। बस फिर व्यापारी की तो चांदी ही चांदी। वे लोग जिनके पास खरीदने को धन उपलब्ध है वे मांग में वृद्धि करके भाव बढ़ा देते हैं और बेचारे गरीब पिस जाते हैं।"

अब तक सुनता जा रहा अहमद फिर बोला—"इसका मतलब तो यह हुआ मास्टरजी कि हमें अमुक वस्तु का खरीदना बन्द ही कर देना चाहिए।"

"नहीं। नहीं। अहमद। ऐसी बात नहीं" त्रिलोक कहने लगा "मेरा मतलब यह है कि बाजार में एकदम कृत्रिम रूप से मांग नहीं बढ़ने पाए अर्थात् हम अपनी समान्य जरूरत से अधिक किसी भी वस्तु का स्टाक जमा करने के लिए खरीद नहीं करें। जब मांग नहीं बढ़ेगी तो भाव भी ऊंचे नहीं जाएंगे।"

अहमद, बिरजू आदि अब मास्टरजी की बात को समझ चुके थे। बोले—"सचमुच हम भी अनावश्यक मांग बढ़ाकर भावों को ऊंचा चढ़ा देते हैं। अब वास्तव में हमें भी संयम रखना ही चाहिए।"

"लेकिन मास्टरजी।" किशनसिंह बोला, "ज्यादा दोषी तो व्यापारी है जो सरकारी भावों के निश्चित हो जाने के बाद भी अधिक दाम लेने से बाज नहीं आते।"

"सच है कि व्यापारी निर्धारित भावों की लगाम में नहीं रहते, क्योंकि उनका ध्येय लाभ, केवल अधिकतम लाभ होता है और वे उपलब्ध वस्तु को बाजार से हटाकर अमुक वस्तु की कमी दिखा देते हैं और चुपके चुपके ऊंची कीमतों पर बेचने लगते हैं लेकिन हम उपभोक्ता चाहें तो उनकी चाल विफल कर सकते हैं" मास्टर त्रिलोक ने कहा।

किशनसिंह तपाक से बोला—"हमारे पास ऐसी क्या पावर है कि व्यापारी को हम दबा दें।"

त्रिलोक ने भी अविलम्ब उत्तर दिया "रोक क्यों नहीं सकते? बाजार से माल का स्टाक हटाकर कृत्रिम रूप से पूर्ति कम कर देना सामाजिक दृष्टि से अनैतिक कार्य है और अगर हम निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर खरीदने को तैयार रहते हैं तो अनैतिकता को बढ़ावा देते हैं। इस दशा में सर्वप्रथम तो उपभोक्ता को चाहिए वह कुछ त्याग करे। वह त्याग यह कि वह अपनी अमुक वस्तु की मांग का प्रतिस्थापन कर ले और एक वस्तु विशेष के स्थान पर उसी के समान अन्य वस्तु का उपभोग शुरू कर दे, उदाहरणार्थ शक्कर के स्थान पर गुड़ का उपभोग करे जिससे अपने आप ही शक्कर की मांग में अस्वाभाविक वृद्धि नहीं होगी, व्यापारी अपने स्टाक को अधिक समय तक रोकना नहीं चाहता। अतः सामान्य मांग बनी रहने की स्थिति में एक दम मूल्यों का ड्योढ़ा दुगुना होना सम्भव नहीं होगा।"

"वाह मास्टरजी। यह तो बड़ा अच्छा तरीका सुनाया।" किशनसिंह प्रसन्न होकर बोला।

"एक और भी उपाय है" त्रिलोक ने कहा तो उत्सुकता से सभी बोले "बताओ जी गुरू जी।"

त्रिलोक बोला—"उपभोक्ताओं को चाहिए कि सरकार द्वारा निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर वस्तुएं बेचने वाले व्यापारियों की सम्बन्धित अधिकारियों से शिकायत करें।"

इस बात पर धीरज कुछ उग्र और निराश सा होकर बोला—"मास्टरजी! चोर कुत्ते सब एक हैं। शिकायत विकायत सब धरी रह जाती है। किसी के खिलाफ कभी कार्यवाही होते तो देखा नहीं हमने।"

"देख भई धीरज।" त्रिलोक बड़े ही धैर्य और नम्रता से उत्तर देने लगा—

शेष पृष्ठ 25 पर]

खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता

देश ने स्वाधीनता प्राप्ति के बाद 25 वें वर्ष में क्रय शक्ति और आहार रुचि को ध्यान में रखते हुए खाद्यान्न उत्पादन में आत्म-निर्भरता प्राप्त कर ली है। इसलिए अपने आप से यह प्रश्न करना स्वाभाविक ही है कि कृषि को अब कौन सी दिशा दी जाए। जिस गति से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है उस से यह स्पष्ट है कि कुछ ही वर्षों में यहां की जनसंख्या 60 करोड़ से भी अधिक हो जाएगी। इसको देखते हुए खाद्यान्न उत्पादन में अपेक्षाकृत स्थायित्व और काफी मात्रा में सुरक्षित भंडार रखना अनिवार्य है ताकि हमेशा के लिए भुखमरी और अकाल से छुटकारा पाया जा सके। ज्योंही देश की उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी, फसल नियोजन में उचित परिवर्तन करके खराब मौसम के कारण कुल उपज में होने वाली कमी को बिना किसी कठिनाई के रोका जा सकेगा। कृषि की भावी रूपरेखा के सबसे महत्वपूर्ण पहलू होने चाहिए—उत्पादन में स्थिरता, अच्छे किस्म के अन्न, कृषि क्षेत्र में समृद्धि, रोजगार की सम्भावनाएं, राष्ट्रीय आत्म-निर्भरता और सबसे अधिक एक दूसरे पर निर्भर करने वाले और सदैव सम्वर्द्धनशील प्राणियों के जीवन में पौधों, पशुओं और मनुष्यों का सुखद सह-अस्तित्व।

हमें आने वाले कल के लिए ऐसी सम्भावनाओं को आज की वास्तविकताओं के सन्दर्भ में देखना है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सभ्यता की देन—उद्योग, सड़क और मकानों के निर्माण, लवणता और क्षारीयता और कई प्रकार से धरती के क्षरण के कारण खेती योग्य जमीन का क्षेत्रफल बड़ी तेजी से घटता जा रहा है। इसके अलावा, जनसंख्या प्रतिवर्ष लगभग 2.5 प्रतिशत की रफ्तार से बढ़ रही है और इसके लिए जरूरी है कि कम धरती में अधिक से अधिक अन्न उगाया जाए। दूसरा यह कि कीटनाशक दवाइयों और उवर्रकों आदि का यदि सही इस्तेमाल न किया जाए तो मनुष्यों और पशुओं के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है और आगे चलकर अनाज के उत्पादन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तीसरे, औद्योगीकरण के कारण मनुष्यों

एम० एस० स्वामीनाथन

का स्थान मशीनें, लेती जा रही हैं, जिससे अधिक लोगों के लिए रोजगार जुटाने का उत्तरदायित्व कृषि पर ही आता है। चौथे, कपास और पटसन की फसलों के विकल्प जल्दी ही तैयार किए जा रहे हैं, जो काफी लोकप्रिय हैं। इन दोनों फसलों के लिए बहुत सारे मजदूरों की जरूरत होती है और इसके अलावा अति वृष्टि वाले क्षेत्रों के लिए कपास बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। इसका मतलब है कि कपास जैसी फसलों के मामले में प्राकृतिक और संश्लेषित रेशों की उत्पादन मात्रा निर्धारित कर दी जानी चाहिए। पांचवें, विक्रयशील देशों में कृषि के तरीकों में तेजी से विकास होने के कारण व्यापार सम्बन्धी नीति, बाजारों में बीजों की मांग और निर्यात सम्भावनाओं का सूक्ष्मता से अध्ययन किया जाना चाहिए। अन्त में, जहां खेती के नए-नए तरीके निकलते चले जा रहे हैं और सहकारी फसल प्रबन्ध की नीति अपनाई जा रही है, वहां शिक्षा की वर्तमान प्रणाली हर तरह से उचित सिद्ध हुई है।

इस सन्दर्भ में चार प्रकार की समस्याओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

सबसे पहली समस्या आत्मनिर्भरता की है। हाल की घटनाओं ने सिद्ध कर दिया है कि केवल आर्थिक दृष्टि से आत्म निर्भर राष्ट्र ही अपनी राजनीतिक स्वतन्त्रता को बनाए रह सकता है। बेकार फेंकी जाने वाली वस्तुओं का सदुपयोग करने के कई तरीके हैं। फास्फेट उर्वरक की कमी को पूरा करने के लिए इस्पात उद्योग में, जो इस्पात बेकार फेंका जाता है, उसे पीस कर चूरा किया जाता है और आम्लीय मिट्टी में मिलाकर इसका सदुपयोग किया जाता है। इस्पात कचरे का वार्षिक उत्पादन लगभग 12 लाख टन है और इससे 54,000 टन फास्फोरस मिल सकता है। इसके अलावा इससे चूना भी मिलता है जो लगभग 14 लाख टन कैल्शियम कार्बोनेट के बराबर होता है। फास्फोरस के अन्य महत्वपूर्ण स्रोत हैं—राजस्थान के राक फास्फेट के भंडार और लकादीव, मिनिकाय और अरब सागर के द्वीपों की रेत, जिसमें काफी मात्रा में फास्फोरस होता है।

हाल के अनुसन्धानों से पता चला है कि नीम और करंज के बीजों के लाइपिडों को उर्वरक के साथ मिलाने से अमोनिया उर्वरकों के नाइट्रीकरण की प्रकिया धीमी हो जाती है और इस प्रकार उर्वरक के घुल कर बह जाने आदि से होने वाला नाइट्रोजन का नुकसान कम हो जाता है। इसी प्रकार कई ऐसी दूसरी वस्तुएं हैं जिनका उपयोग हम नहीं करते परन्तु भविष्य में कृषि के लिए इनका लाभ उठा सकते हैं।

दूसरी समस्या तिलहन के उत्पादन

की है। आजकल मनुष्य के आहार में अरण्डी और सूर्यमुखी से प्राप्त होने वाले वनस्पति तेलों के इस्तेमाल की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। अरण्डी के तेल में लगभग 70 प्रतिशत लिनोलेनिक अम्ल होता है, जो असंपृक्त होता है और रक्त सीरम में कोलेस्टेरल की मात्रा घटाने में मदद करता है। अरण्डी को 50,000 हैक्टेयर में बोया जाता है, जो कि दुनिया में सबसे अधिक है। वर्ष में इसके कुल 80,000 टन बीजों का उत्पादन होता है। महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, मैसूर और तमिलनाडु में इसका उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। इसी प्रकार फसलों के अदल-बदल कर बोने में बीच-बीच में सूरजमुखी की खेती भी की जा सकती है।

एक अन्य समस्या कपास के रेशों की किस्म में सुधार लाने की है। संश्लिष्ट रेशे का मुकाबला करने के लिए कपास के रेशे में कई खूबियों जैसे मजबूती, टिकाऊपन और चिकनापन आदि का विकास करना होगा। हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि रेशे की बनावट में एकरूपता और किस्म में सुधार अपेक्षाकृत सरल और कम खर्चीली रासायनिक भौतिक प्रक्रियाओं से किया जा सकता है। इस समय हम अमरीका से जो कपास मंगा रहे हैं उसके रेशे की लम्बाई 11/16" से 13/16" तक है। महाराष्ट्र, गुजरात और आन्ध्र प्रदेश में 1" से 11/16" लम्बाई के रेशे वाली वी 1007, वी-147, एम सी यू-1, पी आर एम-72, कृष्णा और देवीराज की कपास की किस्मों तथा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, मैसूर में हाइब्रिड 4 और तमिलनाडु में एम सी यू-4 और एम सी यू-5 किस्मों की 11/16" से 13/16" लम्बे रेशे वाली कपास की खेती करने से विदेशों से कपास मंगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

इनके अलावा, एक और समस्या खेती करने वाले समुदायों में तकनीकी जानकारी बढ़ाने की है। इसके लिए शिक्षा को नई आवश्यताओं के अनुरूप बनाने की जरूरत है। इसके लिए कृषि पोलिटेकनिक, तकनीकी सहायता के लिए अल्पकालीन आवासीय पाठ्यक्रम, ग्रामीण लोगों के लिए उनकी व्यावसायिक रुचियों और आवश्यकताओं के लिए साक्षरता कार्यक्रम तथा जन सम्पर्क साधनों, विशेष रूप से रेडियो, फिल्म और टेलीविजन के माध्यम से लोगों को तकनीकी जानकारी देने की आवश्यकता है।

कृषि के क्षेत्र में तेजी से विकास होने की काफी सम्भावना है। इसके लिए हमारे पास तकनीकी जानकारी भी है। आवश्यकता तो केवल लगन से काम करने और पुराने तरीकों को छोड़ने की है।

◇卐◇

हम स्वयं मंहगाई बढ़ाते हैं........ [पृष्ठ 23 का शेषांश]

"बात यह है कि सर्वप्रथम तो हम सही ढंग से शिकायत नहीं करते। शिकायत करनी चाहिए ठोस आधारों पर। फिर कमजोरी हमारी यह है कि हम अन्याय का विरोध और सचाई को प्रकट करने में भी मुंह मोड़ते हैं 'और मुझे क्या' की धारणा रखते हैं। दूध के उफान की तरह हम में जोश आता है, हम शिकायत लिख देते हैं पर शिकायत भेजते हैं गुमनाम।"

अहमद बोला—"मास्टरजी। आप तो सचमुच अन्तर्यामी हैं। वास्तव में हम लोग ऐसा ही करते हैं। पिछले वर्ष हमने एक रिश्वतखोर पुलिसमैन की शिकायत गुमनाम ही भेज दी थी। शायद तभी उसका कुछ नहीं बिगड़ा।"

मास्टरजी बोले—लो बात ठिकाने पर आ गई। और इतना ही नहीं। हम शिकायत अपने नाम से भेज देते हैं पर जब जांच का समय आता है तो बयानों के लिए सामने आने से कतराने लग जाते हैं और इस प्रकार सारे मामले को ढीला कर देते है। बस बेचारे अधिकारी ऐसे एक पक्षीय मामले के बारे में करें भी तो क्या?"

मास्टरजी की बात सुनकर सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे। सबके हृदय में कोई इतना अवश्य बोल रहा था कि "हम ही दोषी हैं।"

मास्टरजी ने पूछा "क्यों मित्रो? मेरी बात अच्छी नहीं लगी?" अहमद ने उत्तर दिया—"बात कड़वी भले ही हो मास्टर जी पर है कुनैन की तरह गुणकारी भी। वास्तव में हम उपभोक्ता अनावश्यक खरीद न करें और वस्तु विशेष के उपभोग का ही आग्रह न करें तथा चोर बाजारियों का विरोध कर उन्हें दण्डित कराने के लिए निडर होकर तत्पर रहें तो मंहगाई की चपेट से काफी राहत पा सकते हैं। वास्तव में दोषी सरकार नहीं, पहले हम स्वयं दोषी हैं। सच है "मुझसे बुरा न कोय।"

◇●◇

देश में लघु उद्योगों की प्रगति

यद्यपि 1960-61 से ही देश में लघु उद्योग बराबर प्रगति कर रहे हैं, किन्तु 1965-66 के बाद इस क्षेत्र में हुई प्रगति विशेष उल्लेखनीय है। 1960-61 में इन उद्योगों में कुल 58 लाख व्यक्ति काम कर रहे थे, किन्तु अगले पांच वर्षों में यह संख्या बढ़ गई और 65 लाख से भी अधिक लोगों को रोजगार मिलने लगा।

इसी तरह 1966 में उद्योग महानिदेशालय में 1 लाख 21 हजार 619 छोटे कारखाने पञ्जीकृत थे जो 1970 के अन्त तक बढ़कर 1 लाख 90 हजार 727 हो गए। इस प्रकार 1967 से 1970 के वर्षों में 17,009 प्रतिवर्ष की दर से कारखानों की संख्या में वृद्धि हुई।

1969-70 में देश के छोटे कारखानों में 36 अरब 70 करोड़ रु० के माल का उत्पादन हुआ। 1966-67 में उद्योगों में सुस्ती आ जाने के बावजूद पिछले 2-3 वर्षों में छोटे कारखानों की संख्या में 11 प्रतिशत की औसतन वृद्धि हुई है। 1965-66 से पहले छोटे उद्योगों में औसतन वृद्धि 8 प्रतिशत के करीब हुई। यह वृद्धि इसलिए हुई है कि सरकार ने छोटे उद्योगों के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया है।

वित्तीय सहायता

कुछ वस्तुओं का उत्पादन छोटे उद्योगों के लिए सुरक्षित कर दिया गया है। 44 नई वस्तुएं भी लघु उद्योगों के लिए सुरक्षित की जा रही हैं। इनमें अनेक तरह की आधुनिक उपभोक्ता वस्तुओं के साथ-साथ मशीनें आदि भी शामिल हैं, क्योंकि अब लघु उद्योग अच्छे स्तर की सामग्री के उत्पादन में समर्थ हैं।

पिछले दो तीन सालों में बैंकों तथा अन्य संस्थाओं से मिलने वाली आर्थिक सहायता से लघु उद्योगों के विकास में बहुत मदद मिली है। 1966 के मार्च के अन्त तक स्टेट बैंक तथा अन्य बैंकों ने छोटे कारखानों को कुल 90 करोड़ 76 लाख रु० के ऋण दिए थे, किन्तु बैंकों पर सामाजिक नियन्त्रण और बाद में उनके राष्ट्रीयकरण के बाद इन कारखानों को मिलने वाले कर्ज में बहुत वृद्धि हो गई। मार्च 1970 के अन्त तक लघु उद्योगों को दिए गए ऋणों की राशि 3 अरब 93 करोड़ 89 लाख रुपए हो गई थी।

कच्चा माल

आयातित कच्चा माल अधिक उदारता से सप्लाई करने से भी लघु उद्योगों के विकास में सहायता मिली है। 196 -65 में उपकरण, पुर्जे तथा कच्चा माल आयात करने के लिए छोटे कारखानों को कुल 13 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा दी गई थी। यह विदेशी मुद्रा बाद के वर्षों में निरन्तर बढ़ती गई। 1969-70 में 65 करोड़ 6 लाख रुपए और 1970-71 में 80 करोड़ रुपए के लगभग विदेशी मुद्रा छोटे कारखानों को दी गई।

सहायक उद्योग

लघु उद्योगों की प्रगति में सहायक उद्योगों के विकास की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सरकारी क्षेत्र के बड़े कारखानों को सहायक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कहा गया है। इसके लिए बड़े कारखानों को अपनी आवश्यकता के पुर्जों और उपकरणों के लिए अपने ही कारखानों में सहायक उद्योग स्थापित करने का सुझाव दिया गया है। इसलिए अब नए औद्योगिक लाइसेंसों के लिए आवेदन करने वाले बड़े उद्योगों से इन उपकरणों और पुर्जों के नाम पूछे जाते हैं, जिनका उत्पादन सहायक उद्योग में सम्भव है। इस प्रयास से सहायक उद्योगों के विकास में काफी मदद मिली है। 1969-70 में 10,000 सहायक उद्योगों द्वारा बाजार में अपना माल बेचने के अलावा अपने बड़े कारखानों को 27 करोड़ 80 लाख रुपए की कीमत का माल सप्लाई किया गया। इन उद्योगों में एक लाख से भी अधिक लोगों को रोजगार मिला।

सभी राज्यों में छोटे कारखाने भिन्न भिन्न आधारों पर बने हुए हैं। बहुत से कारखाने स्थानीय कच्चे माल पर आधारित हैं और वे स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुएं बनाते हैं। 285 लघु उद्योग बस्तियों में से 131 शहरों में हैं, 92 उन शहरों में हैं जहां की आबादी 50,000 तक है तथा 62 ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। इन औद्योगिक क्षेत्र में लगे हुए छोटे कारखानों में मार्च, 1970 को

समाप्त होने वाले साल में 129 करोड़ रुपए के मूल्य के माल का उत्पादन हुआ और लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार मिला।

देहातों में लघु उद्योगों के विकास के लिए भारत सरकार ने ग्रामीण उद्योग कारखाना कार्यक्रम चालू किया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 34,000 गांवों के लिए 49 कारखाने खोले गए हैं। इन कारखानों में 1969-70 में 1 लाख 16 हजार लोगों को काम दिया गया और 10 करोड़ 12 लाख रुपए की कीमत का सामान तैयार किया गया।

अपना धन्धा

प्रशिक्षित इन्जीनियरों में बेरोजगारी देश की बहुत गम्भीर समस्या है। यदि इन इन्जीनियरों को छोटे उद्योगों में काम दिया जाए तो लघु उद्योग का वर्तमान स्तर भी सुधारा जा सकता है और उत्पादन को और बेहतर व आधुनिक बनाया जा सकता है। इन इन्जीनियरों की योग्यता का उपयोग करने और उन्हें अपना धन्धा शुरू करने योग्य बनाने के उद्देश्य से इनके लिए लघु उद्योग स्थापित करने के प्रशिक्षण की योजनाएं तैयार की गई हैं। चौथी योजना में 6,000 ऐसे इन्जीनियरों को प्रशिक्षण देने के लिए 1 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

इन्जीनियरों के अलावा छोटे उद्योगपतियों और छोटे कारखानों के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के औद्योगिक विकास संगठन के प्रयासों से भी बहुत लाभ हुआ है। 1965-66 से पहले एक वर्ष में प्रबन्ध कार्य का प्रशिक्षण औसतन 1,500 व्यक्तियों को दिया जाता था, किन्तु अगले 2-3 वर्षों में यह संख्या बढ़ा दी गई और औसतन 3,700 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाने लगा। यह प्रशिक्षण कारखानों में प्रबन्ध सम्बन्धी क्षमता बढ़ाने में बहुत सहायक सिद्ध हुआ है। ●

बुनियादी साहित्य प्रतियोगिता

क्या आप सामुदायिक विकास से सम्बन्धित किसी विषय पर सरल शैली में लिख सकते हैं?

यदि हां, तो यहां 1,000 रुपए जीतने का अवसर है।

नवमी अखिल भारतीय बुनियादी साहित्य प्रतियोगिता के लिए भारतीय नागरिकों से रचनाएं आमन्त्रित की जाती हैं। रचना का आकार 10,000 शब्दों से अधिक न हो, पाण्डुलिप (या मुद्रित पुस्तकें) निम्नलिखित विषयों पर हों :—

1. सामुदायिक विकास और पंचायतीराज, उनकी भावी भूमिका के विशेष सन्दर्भ सहित (नाटकों के लिए)।
2. विकास के वाहन के रूप में ग्रामीण संस्थान
3. ग्रामीण रोजगार के अवसर
4. सामुदायिक विकास में युवकों का सहयोग
5. एक आदर्श पंचायत—इसे आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए?
6. महिला मण्डलों के सहयोग से अच्छा पोषण
7. सामुदायिक विकास कार्यक्रम और जन सहयोग
8. स्वयंसेवी संस्थाएं और सामुदायिक विकास
9. जन सामान्य का हिमायती—सामुदायिक खण्ड
10. महिलाएं और सहकारिता
11. सहकारिता द्वारा सिंचाई
12. सहकारियों के माध्यम से रोजगार के अवसर
13. छोटे किसान की सेवा में सहकारियां
14. ग्रामीण सहकारियों के सदस्यों के लिए शिक्षा।

भाषाएं : असमी, बंगला, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, सिन्धी, तमिल, तेलुगू, और उर्दू।

पुस्तकों के रूप में जो रचनाएं भेजी जाएं वे पर्याप्त रूप से सचित्र हों।

कापीराइट : पुरस्कृत रचनाओं का कापीराइट एकमात्र भारत सरकार को प्राप्त होगा।

प्रवेश शुल्क : प्रति रचना 3 रुपए—क्रास्ड भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा भुगतान किया जाए।

अन्तिम तिथि : 15 अप्रैल, 1972

प्रतियोगिता के नियमों के सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिए और प्रविष्टियां भेजने के लिए :—

निदेशक (बुनियादी साहित्य),
कृषि मन्त्रालय,
(सामुदायिक विकास और सहकारिता विभाग),
कृषि भवन, नई दिल्ली-1।

कृषि पण्डित श्री बोन्द्रे

हरिश्चन्द्र सिंह

स्वतन्त्रता के बाद देश में जो आमूल चूल परिवर्तन हुआ है, उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपने आप देखा जा सकता है। कुछ क्षेत्रों में जो परिवर्तन हुआ है, जो प्रगति हुई है, उसे देखकर विदेशी भी दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं। उन्होंने मुक्तकंठ से उसकी प्रशंसा की है। कृषि और उद्योग के क्षेत्र में जो आशातीत सफलता मिली है, उपरोक्त कथन के साक्षात् प्रमाण हैं। इन दोनों क्षेत्रों में प्रगति के कारण जहां हमारी अर्थव्यवस्था को बल मिला है, वहां हमारे जीवन स्तर में सुधार हुआ है।

कृषि के क्षेत्र में हरी क्रान्ति लाने वाले हमारे गांव के भोले-भाले किसान हैं, जिन्होंने न केवल अपने अथक परिश्रम वरन् नए बीज खाद और कृषि के आधुनिक तरीकों को अपनाकर यह अनूठा कार्य सम्पन्न किया है। कृषि पण्डित श्री बोन्द्रे भी ऐसे एक किसान हैं। महाराष्ट्र राज्य के बुलढ़ाना जिले के चिखाली नामक गांव के निवासी श्री बोन्द्रे को सन् 1970-71 के लिए अखिल भारतीय गेहूं प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने पर केन्द्रीय सरकार ने कृषि पण्डित की उपाधि से विभूषित कर तीन हजार रुपए का नकद पुरस्कार दिया है। उन्होंने प्रति हैक्टर 16 किलोग्राम गेहूं का रिकार्ड उत्पादन किया था।

श्री बोन्द्रे नम्र स्वभाव और मधुर वाणी से सबका मन मोह लेते हैं। उनकी बातों में हास्य का पुट होता है, जिससे लोग हंसते-हंसते लोटपोट हो जाते हैं। वे अपने फार्म में जी तोड़ परिश्रम से काम करते हैं। सुबह तड़के उठकर अपने काम में लग जाते हैं। कुदाल-फावड़ा से काम करने में बड़ा मजा आता है। इसमें ही वे अपना बड़प्पन समझते हैं। श्री बोन्द्रे अपने मजदूरों के साथ मालिक की तरह नहीं, अपितु एक साझीदार की तरह काम करते हैं। उनके इस सुन्दर व्यवहार से मजदूर बहुत प्रसन्न रहते हैं।

रमेश राजभाउ बोन्द्रे

श्री बोन्द्रे ने इण्टर साइन्स तक शिक्षा प्राप्त की है। कालेज छोड़ने के तुरन्त बाद वे कृषि के कामों में बड़ी लगन से लग गए। उनके पिता की हार्दिक इच्छा थी कि उनका पुत्र कृषि क्षेत्र में कुछ महान गौरवशाली कार्य करे, जिससे उसे ख्याति प्राप्त हो। अपने पिता की प्रेरणा से ही आपने कृषि में रुचि लेकर काम करना शुरू किया। गेहूं, अंगूर, ज्वार, रुई और गन्ना की खेती में उनकी मुख्य रूप से रुचि है।

श्री बोन्द्रे ने 'राष्ट्रीय बीज निगम' के नवीनतम गेहूं के बीज कल्याण सोना 227 को अपने फार्म में बोया था। तीन बारउसकी भरपूर सिंचाई की। रासायनिक खाद में गोबर की खाद मिलाकर खेत में डाली। फसल के कीड़े मकोड़ों से बचाव के लिए कीटनाशक दवाओं का अच्छी तरह से छिड़काव किया। राज्य के कृषि अधिकारियों के तकनीकी ज्ञान और सलाह से भी उन्हें बहुत लाभ हुआ था।

आपको सन् 1969-70 के लिए राष्ट्रीय गेहूं प्रतियोगिता में पच्चीस सौ रुपए का नकद पुरस्कार मिला था। इसके अतिरिक्त उन्हें सन् 1962-63 के लिए गुड़ का रिकार्ड उत्पादन करने पर आठ सौ रुपए का प्रथम राजकीय पुरस्कार भी मिला था।

उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय फार्म यूथ विनिमय योजना के अन्तर्गत चुना गया था। इससे विदेशों, विशेषकर अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रान्स, इटली और मध्यपूर्व के देशों में भ्रमण करने का मौका मिला। इन देशों में रहकर उन्होंने वैज्ञानिक और आधुनिक उपकरणों का निकट से निरीक्षण किया। अन्य बहुत सी चीजों को देखा और स्वदेश लौटने पर अपने अनुभवों का अच्छी तरह लाभ उठाया।

केन्द्रीय एवं राज्य सरकारें देश में हरी क्रान्ति लाने के लिए भागीरथ प्रयत्न कर रही हैं। श्री रमेश बोन्द्रे ने अपने परिश्रम और लगन से कृषि क्षेत्र में जो अद्वितीय सफलता प्राप्त की है, उससे देश के सभी किसान भाइयों को हरी क्रान्ति लाने की प्रेरणा मिलेगी।

* *

हार और ललकार

विनोद विभाकर

महाभारत के समय की बात है। संजय ने सिन्धुराज के साथ होनेवाली लड़ाई में पीठ दिखा दी। वह हार कर अपने घर की ओर भाग चला। उसकी मां विदुला को मालूम हुआ तो उसने दुर्ग के सभी दरवाजे बन्द करा दिए। संजय ने जब अपने दुर्ग का दरवाजा खटखटाया तो उसकी मां ने भीतर से पूछा--"कौन है?"

"मैं संजय हूं मां," उसने थके स्वर में कहा।

"यहां किसलिए आया है?"

"एक मां का बेटा घर में रहने के अलावा और किसलिए लौट कर आ सकता है मां" संजय ने आश्चर्य से कहा—"दरवाजा खोलो। कई दिन से सोया नहीं। थका हूं और आराम करना चाहता हूं।"

"तुझ कायर के आराम करने के लिए दरवाजा खोलूं, ताकि तू इस पवित्र दुर्ग की भूमि को अपवित्र कर सके," संजय की मां विदुला भड़क उठी—"क्या हार कर लौटने से पहले तुझे चुल्लू भर पानी नहीं मिला जिसमें डूब कर मर जाता? दुश्मन को पीठ दिखाकर मेरे मुंह पर कालिख पोतते, मेरे दूध को लजाते तुझे शर्म नहीं आई? मुझे तो शक है कि तू मेरा बेटा है भी या नहीं।"

"तुम चाहती हो मां कि मैं वहां मर जाता?"

"यह तो मेरे लिए गौरव की बात होती, संजय। तब मेरी छाती गर्व से फूल जाती।"

"यह क्या कह रही हो, मां! बेटा यों सहज ही नहीं मिल जाता। बड़े भाग्य से मिलता है। उसे पाने के लिए न जाने किन-किन देवी देवताओं की मनौती करनी पड़ती है। एक तुम हो जो अपने इकलौते जिगर के टुकड़े के मर जाने पर खुश होती।"

"वीर माता ऐसे कायर बेटे के पाने की कामना नहीं करती जो शत्रु के भय से भाग खड़ा हो, अपनी मर्यादा से अधिक महत्व अपनी जान को दे। वह ऐसा पूत जनना चाहती है, जो जिन्दगी और मौत में कोई अन्तर न समझे। शत्रु के पराक्रम का दृढ़ता से उत्तर दे सके। उसके आघात पर प्रत्याघात कर सके। अपमान की जिन्दगी बसर करने की अपेक्षा मौत को बेहतर समझे।"

"लड़ाई में हार तो होती ही है, मां" संजय ने सफाई पेश की—"दो में से एक तो हारता ही है। दोनों नहीं जीत सकते।"

"युद्ध में हार जीत होती है, यह ठीक है। लेकिन बहादुर सिपाही हार कर कभी वापस नहीं लौटते। जो वीर हैं वे हार सकते हैं। हारकर गुलामी की जिन्दगी बसर नहीं कर सकते।"

"लगता है कि तुम्हारा दिल पत्थर का बना है, मां" संजय ने आखिरी बार कोशिश की—"जो युद्ध में मरने के लिए ललकार रही हो। अगर मैं नहीं रहा तो तुम किसके लिए जिओगी?"

"तू चाहता है कि मेरा दिल मोम का बना होता, ताकि तुझे लड़ाई में हार कर आने के बाद अपनी गोद में छिपा लेती। अपने हाथ से बना गर्म हलवा खिलाती," विदुला ने व्यंग्य से कहा—"अरे पगले। समर भूमि में तलवार से तलवार बजते देखकर तो तू डरकर मेरी गोद में छिपने के लिए यहां भाग आया। लोहे की कड़ाही में कलछी से हलुवा चलाते समय होने वाली आवाज को सुनकर यहां से कहां भाग कर जाता?"

"ठीक कहती हो, मां! यहां से डरकर भागने पर मुझे छिपने के लिए कहां जगह मिलती? कितने शर्म की बात है कि एक क्षत्रिय सिंहनी की गोद में पलकर जवान हुआ उसका बेटा इस तरह मैदान छोड़कर भाग आए।" अपनी मां के मर्मभेदी शब्द सुनकर लज्जित होते हुए संजय ने कहा—'अपनी कायरता के लिए तुझसे क्षमा मांगता हूं। हमारी आनेवाली पीढ़ी इससे सबक लेगी। यह सुनकर गर्व से सिर उठा लेगी कि जब उसका एक पूर्वज पराजित होकर दुर्ग में लौटा था तो उसकी मां ने उसे अन्दर दाखिल नहीं होने दिया। ताने दे देकर फिर से लड़ने के लिए उत्तेजित किया। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसी वीर माता मिली जिसे बेटे की जान से अधिक आन प्यारी है। तेरी सौगन्ध खाकर कहता हूं, मां। शत्रु को शिकस्त देकर लौटूंगा या वहीं प्राण त्याग दूंगा।"

"तू अपनी पराजय के कलंक को धोने के लिए तैयार हो गया है संजय, यह मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। यह ले तलवार और कवच! जिस दिन तू विजय पताका उड़ाता हुआ लौटेगा, उस दिन देखना कि तेरी पत्थर दिल मां के हृदय में तेरे लिए कितना स्नेह और श्रद्धा होगी!"

SIEMENS

सीमेन्स 'पम्पमास्टर' कहता है...

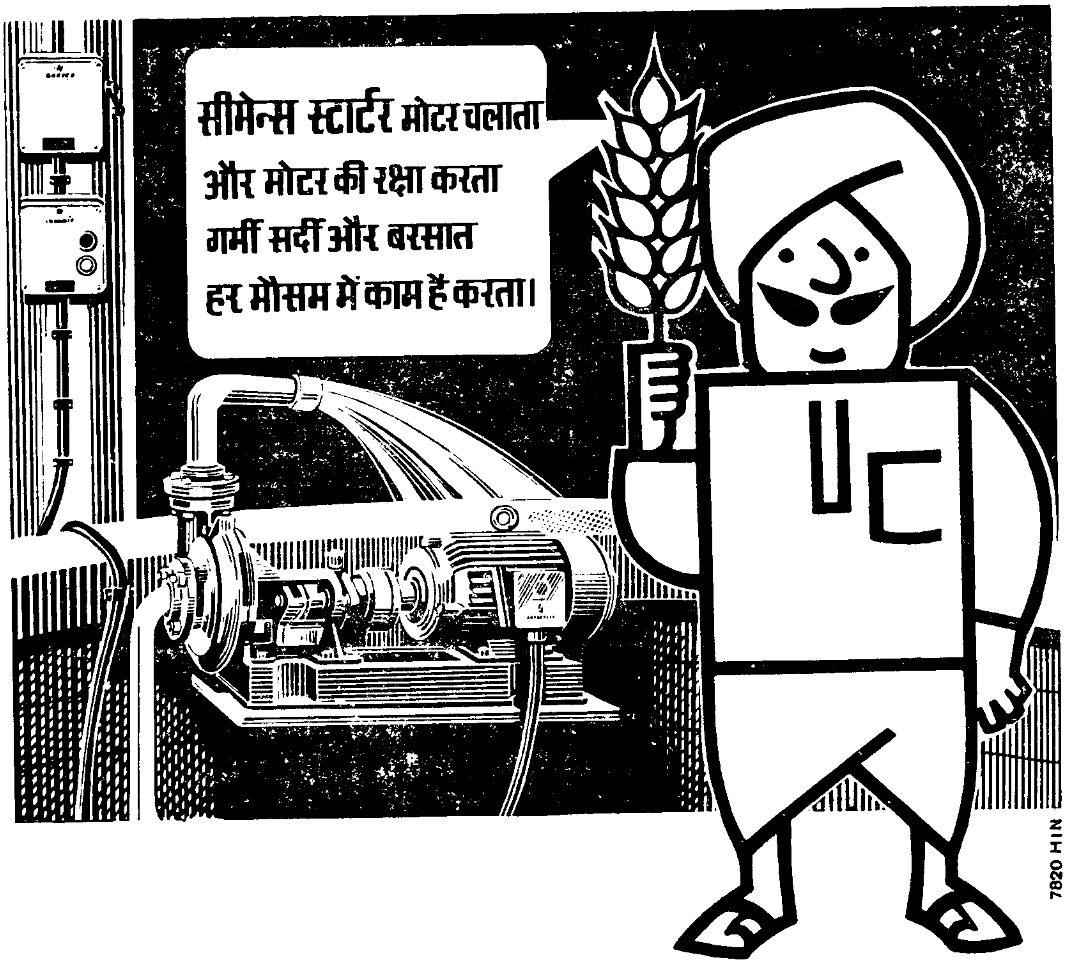

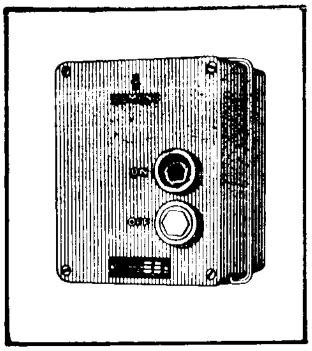

सीमेन्स स्टार्टर मोटर की ओवरलोड और सिंगल फ़ेज़िंग जैसे हर खतरे से पूरी रक्षा करता है।
क्यों कि, इस में संवेदनशील ओवरलोड रिले रहता है, जिसे पुशबटन के संचालन से कोई बाधा नहीं पहुँचती। इसके अलावा, स्टार्टर में "चॅटर फ़्री" कॉण्टैक्ट लगे रहते हैं, जो बिजली के कम दबाव पर भी खटखटाते नहीं।

सीमेन्स स्टार्टर का साथी है सीमेन्स स्विचफ़्यूज़ यूनिट, जो स्टार्टर और मोटर को शॉर्ट सर्किट से बचाता है। सीमेन्स स्टार्टर और सीमेन्स स्विचफ़्यूज़ यूनिट यानि— आप के पम्पिंग सेट के संरक्षण की पूरी गारन्टी।

पम्पिंग सेट के सभी यंत्रों के लिए एक ही नाम—सीमेन्स।

सीमेन्स इण्डिया लि. • बम्बई • कलकत्ता • मद्रास • नई दिल्ली • अहमदाबाद • बंगलूर • हैदराबाद • लखनऊ

कहानी

न्याय

जगदीशप्रसाद "कौशिक"

आज पंचायतघर में असाधारण जमघट था, गांव के बूढ़े और युवक अपना-अपना काम छोड़कर पंचायत घर में इकट्ठे हो रहे थे। सबके मन उत्सुकता से भरे हुए थे, क्योंकि आज दीनू महतो के विरुद्ध चल रहे मुकदमे का फैसला होना था। यूं तो पंचायत की हर बैठक में गांव के छोटे-मोटे झगड़ों के निर्णय होते ही रहते थे। लोगों को इनसे कोई विशेष लगाव नहीं होता था। झगड़े से सम्बन्ध रखने वालों के बिना और कोई अपना काम छोड़कर पंचायत की बैठक देखने तक नहीं जाता था, परन्तु आज के फैसले के लिए लोगों की उत्सुकता इसलिए थी, क्योंकि यह मुकदमा पंचायत के सरपंच के एक अभिन्न मित्र दीनू महतो के विरुद्ध था, सब लोग जनते थे कि दीनू महतो अपराधी है, इसलिए वह देखना चाहते थे कि सरपंच महोदय क्या करेंगे। कर्त्तव्य और भावना दोनों में से एक का रूप आज उजागर होना था।

दीनू महतो उसी गांव का रहने वाला था, उसके पुरखों और नरसी सरपंच के पुरखों में कई पीढ़ियों से प्यार चलता आ रहा था, दोनों घरों के पास गुजारे योग्य भूमि थी, खेत साथ-साथ थे, साझे का कुआं था। नरसी रावत के पिता को आवश्यकता होती तो वह दीनू महतो के पिता को काम के लिए बुला लेते थे, दीनू महतो के पिता को आवश्यकता होती तो वह नरसी महतो के पिता की सहायता ले लेते थे। दोनों परिवारों में दांत काटी रोटी थी।

एक अकेला, दो ग्यारह हो जाते हैं। दोनों परिवारों के मेल के कारण गांव के दूसरे परिवार प्रायः उनसे दबते थे। नरसी और दीनू का बचपन एक साथ बीता। चौथी श्रेणी तक दोनों एक साथ पढ़े। प्राइमरी के आगे स्कूल गांव के निकट नहीं था। अतः पढ़ाई बन्द हो गई और दोनों खेती बाड़ी के काम में घर वालों का हाथ बटाने लगे। जब दीनू की आयु 16 वर्ष के लगभग थी तो निमोनिया से उसके पिता की मृत्यु हो गई। बुरे दिन पूछकर नहीं आते। पिता की मृत्यु के 6 महीने पश्चात् दीनू की मां पागल हो गई और कुएं में गिर कर मर गई और दीनू को अनाथ बना गई। इस सदमे से दीनू का मन बिलकुल उचाट हो गया, कामकाज से उसका जी ऊब गया और उसने खेती बाड़ी का काम छोड़ दिया। रावत परिवार ने उसे समझाने का बहुत यत्न किया, परन्तु मर्ज बढ़ता गया ज्यूं-ज्यूं दवा की, वाली बात हो गई। दीनू शराब पीने लग गया, उसे कुछ ऐसे साथी मिल गए, जिनके मेल से दीनू के जीवन की गाड़ी विनाश के गढ़े के किनारे पहुंच गई, वह अफीम भी खाने लग गया, रावत परिवार ने उसे समझाने का बहुत यत्न किया परन्तु कुछ सफलता न मिली। नरसी की शादी हो चुकी थी उसके पिता की आंखें खराब हो गई थीं। काम काज का सारा भार नरसी के कन्धों पर आ पड़ा था।

नरसी अपने परिश्रम और अच्छे बर्ताव के कारण गांव की आंखों का तारा बन गया। सारा गांव हर साझे के काम में नरसी को अपना अगुआ चुनता था। कई परिवार अपनी उलझी हुई घरेलू समस्याएं भी नरसी रावत के बताए अनुसार ही हल करते थे। दीनू कर्ज लेता रहा, उसकी सारी भूमि गांव के साहूकार राधाकृष्ण के पंजे में चली गई थी। शराब और अफीम ने दीनू को कंगाल बना दिया था। उसने कई बार अपनी जमीन नरसी रावत को लेने को कहा था, परन्तु उसने यह कह कर नाही कर दी थी कि तुम मेरे सगे भाई के समान हो। मैं तुम्हारे गले पर छुरी नहीं चला सकता। तुम सुधर जाओ; अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अपने जीवन से खिलवाड़ मत करो। परन्तु दीनू बहुत दूर जा चुका था, जहां से लौटना आसान नहीं था। वह कई-कई महीने घर से बाहर रहता, और जब कभी आता, तो नरसी के घर ही रहता। नरसी रावत उसे दस, बीस रुपए दे देता और वह फिर चला जाता, कोई पता नहीं कहां? और क्यों?

उसे बिछुड़ते देख नरसी रावत बहुत रोता, जैसे अपने ही किसी सगे सम्बन्धी से बिछुड़ रहा हो, वह उसे सगे भाई का प्यार देता चला आ रहा था। उसकी रहन रखी जमीन छुड़वाने की चिन्ता भी उसे दिन रात लगी रहती थी। परन्तु दीनू इस बार जो गया, फिर तीन वर्ष तक नहीं लौटा, नरसी को चिन्ता हुई, कहीं उसे कुछ हो न गया हो।

पंचायत के चुनाव आ गए। गांव के बहुत सारे लोगों ने नरसी रावत को सरपंच पद के लिए खड़ा कर दिया, वह तो इसके लिए इच्छुक नहीं था। परन्तु लोगों के प्यार और विश्वास के आगे आखिर उसे झुकना ही पड़ा। मुकाबले में एक और आदमी था जिसे नरसी रावत की जनप्रियता सहन नहीं थी। अधिकांश लोग नरसी रावत के साथ थे, परन्तु मुकाबला तो मुकाबला होता है। वैसे भी दूसरा प्रतिद्वन्द्वी बड़ा चालाक

था। उसने जोड़-तोड़ आरम्भ कर दिया। चुनाव में पांच दिन शेष रह गए। दोनों ओर से खूब जोर शोर से-प्रचार हो रहा था। अब नरसी रावत ने भी इस चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था।

नरसी रावत अपनी चौपाल में बैठा था कि अचानक दीनू महतो आ गया। दोनों मित्र बड़े प्रेम से मिले। प्रेम के आंसुओं की नदियां बह निकलीं। दीनू चुनाव सम्पन्न होने तक वहीं रहा और नरसी रवत के पक्ष में जोर शोर से प्रचार किया। आखिर चुनाव का दिन आ गया। लोग देख रहे थे कि दीनू किस तरह गांव के बूढ़े, स्त्री, पुरुष मतदाताओं को अपनी पीठ पर लाद-लाद कर मतदान केन्द्र पर पहुंचा रहा था। उसकी आज की हिम्मत के आगे जवानी भी शर्मिन्दा सी हो रही थी। सारा दिन वह मशीन की भांति काम करता रहा। शाम को परिणाम घोषित हो गया, और नरसी रावत बहुत अधिक वोटों से जीत गया। सारी रात नरसी की चौपाल पर खुशियों की बहार छाई रही।

प्रातःकाल नरसी रावत ने देखा तो दीनू की चारपाई खाली पड़ी थी। सोचा बाहर गया होगा, परन्तु दिन चढ़ता गया, दीनू न आया, नरसी बहुत उदास हो गया, परन्तु क्या कर सकता था?

नरसी रावत के न्याय की धाक सारे गांव पर जम गई। वह सच्चे को सच्चा और झूठे को झूठा कहने से बिल्कुल नहीं डरता था। उसकी देखरेख में गांव ने बड़ी उन्नति की, मिडिल स्कूल बन गया, सहकारी समिति बन गई, गलियां पक्की हो गई, गांव का नक्शा ही बदल गया।

और अचानक एक दिन गांव के साहूकार राधाकृष्ण ने पंचायत में मुकदमा दर्ज करवाया कि पिछली रात 10 बजे के लगभग दीनू ने आकर मेरे से 50 रुपए मांगे। जब मैंने उसे रुपए देने में आनाकानी की तो उसने मुझे गालियां दीं और पीटा भी। मेरे साथ हुए इस दुर्व्यवहार का उचित दण्ड उसे दिया जाए। दीनू कहीं भागा नहीं, वह अपनी चौपाल में ही पड़ा है।

आज उसी झगड़े का निर्णय होना था। अधिकांश लोगों को विश्वास था कि नरसी सरपंच दीनू को कोई दण्ड नहीं देगा, क्योंकि पक्की मित्रता सच्चा न्याय करने में दीवार का काम देगी। इसी कारण पंचायत घर में तिल धरने को स्थान नहीं था। राधाकृष्ण और दीनू उपस्थित थे। कार्यवाही आरम्भ हुई। सेठ के बयान लिए गए, फिर दीनू से इस बारे में पूछताछ हुई। उसने सारी कहानी को सच्चा बताया और अपने जुर्म को स्वीकार करते हुए कहा कि जिस साहूकार ने मेरी सारी जमीन चांदी के चन्द सिक्कों के बदले हथिया ली है, वह मुझे 50 रुपए न दे, यह मैं सहन नहीं कर सका।

दीनू महतो! कुछ भी हो, तुम्हें गाली देने और मार पीट करने का कोई अधिकार नहीं था। तुम पंचायती कार्यवाही कर सकते थे, तुम्हारा यह कुकर्म नागरिकता के माथे पर कलंक है, पंचायती राज की मान्यताओं की खुले आम अवहेलना है। सरपंच नरसी रावत बोलता ही जा रहा था और लोग अवाक् सुन रहे थे।

दीनू महतो! तुम दोषी हो, इसका दण्ड तुम्हें अवश्य भुगतना होगा, इतना कहकर नरसी महतो ने पंचों के साथ कुछ देर तक विचार विमर्श किया और अन्त में निर्णय सुना दिया कि दीनू महतो पर इस अभद्र व्यवहार के लिए 25 रुपए जुर्माना किया जाता है और यह राशि आज ही पंचायत कोष में जमा करनी होगी और सेठ राधाकृष्ण से अभी भरी पंचायत में माफी मांगनी होगी। लोकराज में किसी को भी किसी का अपमान करने का अधिकार नहीं है, यदि उसे कोई शिकायत हो तो वह संवैधानिक कार्यवाही कर सकता है।

जब दीनू महतो ने सेठ राधाकृष्ण से क्षमा मांगली तो पंचायत की बैठक उठ गई, और शाम को लोगों ने सुना, कि दीनू महतो के नाम से सरपंच नरसी रावत ने पंचायत कोष में अपनी ओर से 25 रुपए जमा करवा दिए, दीनू के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी।

सामुदायिक विकास और पंचायती राज पर रूपक प्रतियोगिता

पाण्डुलिपियां भेजने की अन्तिम तिथि 15 अप्रैल, 1972 तक बढ़ा दी गई है।

निदेशक (बुनियादी साहित्य),
सामुदायिक विकास और सहकारिता विभाग,
कृषि भवन, नई दिल्ली।

नीलगिरी में सहकारी चाय का कारखाना

अवनीन्द्रकुमार विद्यालंकार

छोटे उद्योगों की रक्षा और तरक्की एकमात्र सहकारिता से ही सम्भव है, यह सत्य नीलगिरि के सहकारी चाय के कारखानों ने प्रदर्शित कर दिया है। यह न केवल बड़ों की प्रतियोगिता से टक्कर लेने की क्षमता रखता है, प्रत्युत पूंजी की कमी की समस्या को हल करता है। सहकारिता के कारण उत्पादन बढ़ता है। उत्पादन बढ़ने से वेतन व मजदूरी भी बढ़ती है। बिचौलियों के न होने से उनको मिलने वाला लाभ सहकारी कारखाने के सदस्यों को मिलता है। सहकारी कारखाना चलने के साथ नफा नहीं देता। किन्तु यदि इसमें तीन चार साल घाटा सहने की क्षमता हो या उत्पन्न की जा सके तो दांत निकलने के समय में कष्ट को पाकर शिशु जैसे स्वस्थ हो बराबर बढ़ने लगता है, उसी प्रकार सहकारी कारखाना भी 'दन्त कष्ट' को पारकर स्थिरता से समृद्धि के मार्ग पर बढ़ने लगता है। सहकारिता वैयक्तिक संकल्प और उपक्रम वृत्ति को बढ़ाती है, घटाती नहीं है। इसके साथ निष्ठा और निष्काम सेवा की भावना भी उत्पन्न करती है। यदि सदस्यों में इन दो तत्वों की कमी होगी और लोभ वृत्ति का अधिकार होगा तो सतत प्रगति सम्भव न होगी। समाज सेवा व जन सेवा की भावना सहकारी संस्था के सदस्यों और नेताओं में होना आवश्यक है। उनकी भावना होनी चाहिए, उनका मूलमन्त्र होना चाहिए :

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत् ॥

'बहुजन हिताय' काम करने की प्रेरणा सतत जाग्रत रखनी चाहिए। जब संस्था के सदस्य वैयक्तिक लाभ के उद्देश्य से नहीं वरन 'बहुजन हिताय' की भावना से काम करते हैं तो कार्यकर्त्ताओं को पुरुषार्थ करने की प्रेरणा मिलती है। पहले के वर्षों का घाटा और सारा देय पूरा करने के बाद सहकारी कारखाना लाभ देने लगता है। यह अनुभव है नीलगिरि के आठ सहकारी चाय कारखानों का।

सहकारी चाय फैक्टरियों की संख्या भारत भर में एक दर्जन से अधिक नहीं है। इनमें से आठ तो तमिलनाडु में है, दो हिमाचल प्रदेश में और असम और केरल में एक एक है। सहकारी चाय फैक्टरी चलाना सहकारी चीनी कारखानों के समान लाभप्रद है यह नीलगिरि की चाय फैक्टरियों का इतिहास बताता है।

तमिलनाडु की आठों सहकारी चाय फैक्टरियां नीलगिरि जिले में स्थापित हैं। 1970-71 में इन्होंने 6 लाख रुपए का लाभ दिया है।

इस छः लाख रुपए की राशि को तुच्छ न समझना चाहिए। यह विशुद्ध लाभ है जो विकास रिबेट देने, मूल्य ह्रास फण्ड में 22.5 लाख रुपए जमा करने और पिछले सब वर्षों का घाटा पूरा करने के बाद बचा है। इन तीनों बातों पर ध्यान देने से ही ज्ञात होगा कि सहकारी चाय फैक्टरियों का संचालन कितने मनोयोग और कार्यपरायणता की भावना एवं दृढ़ विश्वास के साथ किया गया। 1970-71 में इन फैक्टरियों ने 1.62 करोड़ रुपए के मूल्य की चाय बेची।

सहकारी फैक्टरियों के लाभ देने से तमिल सरकार का संशय दूर हो गया है। उसने अब और दो सहकारी चाय फैक्टरियां लगाने की अनुमति प्रदान की है। इसके अतिरिक्त अन्य चार की स्थापना का प्रस्ताव विचाराधीन है। सहकारी चाय फैक्टरी की स्थापना में चाय बोर्ड सहायता देता है। उससे इन प्रस्तावित फैक्टरियों के लिए 1.50 करोड़ रुपए की सहायता मांगी गई है।

छोटे चाय उत्पादकों की सुरक्षा और इनको शोषण से बचाने के विचार से सहकारी क्षेत्र में चाय फैक्टरियां स्थापित की गई थीं। इनकी दैनिक उत्पादन क्षमता दस टन तैयार चाय है। यह नीलगिरि जिले में उत्पन्न कुल चाय का दस प्रतिशत है। सहकारी चाय फैक्टरियों की उत्पादन क्षमता दुगुनी हो गई है क्योंकि एक नया शोषक (ड्रायर) लगाया गया है। इन आठ फैक्टरियों के सहकारी उत्पादक सदस्यों की संख्या 3200 है। इन उत्पादकों का चाय बागान 8600 एकड़ में फैला हुआ है। इनकी चुकता पूंजी 47.8 लाख रुपए है। इन सहकारी समितियों की विशेषता है कि इन पर किसी का किसी किस्म का पावना नहीं। इन पर किसी एजेंसी या संस्था का एक पैसा भी बकाया नहीं है। इन्होंने जो कर्ज लिया उसका भुगतान ठीक समय कर दिया है। इन फैक्टरियों के संयन्त्र (प्लांट) अत्यधिक अच्छे हैं। इनके निरुपयोगी और पुराना होने पर इनकी जगह नई मशीन लगाने के लिए इनके पास बचत का पर्याप्त कोष है।

सहकारी चाय फैक्टरियों का ध्यान विस्तार की ओर गया है। इस उद्देश्य से एक केन्द्रीय सहकारी चाय फैक्टरी समिति की स्थापना की गई है। इसका

शेष पृष्ठ 36 पर]

केन्द्र के समाचार

समुद्री पानी से खेती

भावनगर स्थित केन्द्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसन्धान संस्थान के दो वैज्ञानिकों डा० अय्यर और डा० कुरियान ने दावा किया है कि उन्होंने समुद्री पानी से सींच कर रेतीले तट पर बाजरा और गेहूं उगाने में सफलता पाई है। समुद्री पानी में नमक का भाग कम करके या उसे बरसाती पानी में मिलाकर इजरायल और रूस में खेतों में डाला गया और इस प्रकार खेती करने के प्रयोग किए गए। लिबिया में भी समुद्री पानी का उपयोग करने के प्रयत्न जारी हैं। लेकिन एशिया में इस तरह का प्रयोग भारत में पहली बार किया गया है।

सहकारी कार्यक्रम

चतुर्थ योजना के सहकारी कार्यक्रमों पर पुनर्विचार के बाद केन्द्रीय सरकार ने देश में विशेष रूप से छोटे किसानों के लिए सहकारी संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए नए कार्यक्रमों की घोषणा की है।

सरकार छोटे किसानों के लिए ग्राम दरों से ब्याज की दरें कम करने के प्रस्ताव पर सक्रियतापूर्वक विचार कर रही है। सरकार ने कमजोर केन्द्रीय सहकारी बैंकों के 'पुनर्वास' के लिए भी, जो भारी घाटे आदि के कारण बेकार हो गए, नए कार्यक्रमों पर विचार किया।

संकर टैपियोका की नई किस्में

केन्द्रीय कन्द कृषि अनुसन्धान संस्थान ने दक्षिणी राज्यों में संकर टैपियोका की तीन नई किस्में जनवरी-फरवरी में बोने के लिए जारी की हैं। एच-97, एच-165 और एच-226 नाम की ये किस्में पिछले कुछ वर्षों में लगातार अनुसन्धान के बाद तैयार की गई हैं।

इन्हें केरल कृषि विभाग के सहयोग से तैयार किया गया है। इन किस्मों के बीज अभी कुछ चुने हुए किसानों को दिए जाएंगे। ऐसी आशा की जाती है कि इन किस्मों को व्यापक बुवाई के बाद टैपियोका की पैदावार के क्षेत्र में क्रान्ति आ जाएगी। केरल में टैपियोका को बहुत पसन्द किया जाता है।

एच-97 किस्म की पैदावार एक हेक्टेयर में 25 से 40 टन तक हो सकती है। इसकी फसल लगभग 10 महीनों में पक जाती है।

दूसरी किस्म एच-165 की पैदावार एक हेक्टेयर में 35 से 45 टन तक हो सकती है। यह बहुत जल्दी पक जाती है। इसकी साल में एक से अधिक फसलें भी हो सकती हैं।

तीसरी किस्म एच-266 की पैदावार 30 से 40 टन प्रति हेक्टेयर है।

तीनों किस्में अधिक पैदावार देती हैं और बीमारियों तथा कीटाणुओं से भी कम प्रभावित होती हैं।

केन्द्रीय भण्डार निगम

केन्द्रीय भण्डार निगम ने 1970-71 के दौरान अपना कारोबार काफी बढ़ाया और इस वर्ष सबसे अधिक लाभ कमाया। भण्डारों में औसत संग्रह इस वर्ष 15 प्रतिशत रहा, जो कि अब तक सबसे अधिक है। संग्रह की जाने वाली वस्तुओं में केवल अनाज और खाद आदि कृषि सम्बन्धी वस्तुएं ही नहीं थीं बल्कि 200 से अधिक वस्तुएं थीं। इस वर्ष इसकी गतिविधियों का भी काफी विस्तार हुआ।

कीटाणुनाशकों का उत्पादन

पिछले पांच वर्षों में अच्छे स्तर के कीटाणुनाशक रासायनिक पदार्थों का उत्पादन दुगुना हो गया है। 1970 में देश में 24,296 टन कीटाणुनाशकों का उत्पादन हुआ, जबकि 1965 में यह मात्रा 12,185 टन थी। चालू वर्ष में 26,000 टन कीटाणुनाशकों का उत्पादन होने का अनुमान है और आशा है कि यह मात्रा चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक बढ़कर दुगुनी हो जाएगी। इस उद्योग में 6 करोड़ से अधिक रुपए लगे हुए हैं। इस उद्योग में अधिक धन लगाना पड़ता है तथा इसमें अनुसंधान की काफी आवश्यकता है। इसके साथ ही इसका व्यापारिक स्तर पर उत्पादन करने से पहले मांग भी बनानी पड़ती है।

परिवार नियोजन

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मन्त्रालय ने 1971-72 वर्ष के दौरान कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में कर्मचारियों का योगदान प्राप्त करने के लिए उन्हें अतिरिक्त पुरस्कार देने की घोषणा की है। 5-5 हजार रु० के तीन पुरस्कार अधिकतम बन्ध्यकरण आपरेशन करने और लूप लगाने वाले डाक्टरों को दिए जाएंगे। प्रति केस पर फीस पाने वाले गैर सरकारी डाक्टर, सरकारी डाक्टर और नौकरी करने वाले डाक्टर, जिन्हें प्रति केस फीस तो नहीं मिलती लेकिन उनके लिए एक निश्चित संख्या में केस निपटाना आवश्यक है, को इन तीन पुरस्कारों में से एक-एक पुरस्कार दिया जाएगा।

जिले के परिवार नियोजन अधिकारियों को उत्तम कार्य के लिए साढ़े सात हजार, पांच हजार और तीन हजार रुपए के तीन पुरस्कार दिए जाएंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में काम करने वाले चिकित्सा अधिकारियों को भी पांच हजार, तीन हजार और दो हजार रुपए के तीन पुरस्कार दिए जाएंगे। ◇

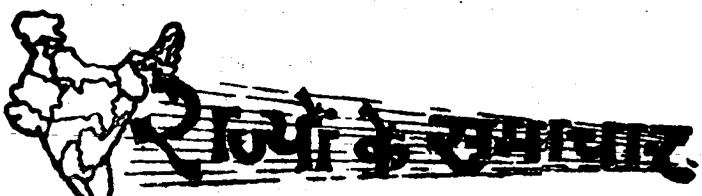

उत्तरप्रदेश

महिलाओं को अनुदान

राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में गरीब एवं निराश्रित महिलाओं तथा नैनीताल, अलमोड़ा, टेहरी गढ़वाल, पोड़ीगढ़वाल और देहरादून जिलों के जवानों की गरीब तथा निराश्रित विधवाओं को पुनर्वासन हेतु सिलाई की मशीनें तथा अन्य दस्तकारी और साज-सज्जा खरीदने के लिए सहायक अनुदान प्रदान करने हेतु एक लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की है।

नलकूपों का निर्माण

लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य में नलकूपों का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष के पिछले 6 महीनों में 222 नए नलकूप बनाए गए, 35 को मरम्मत हुई तथा 214 का विद्युतीकरण किया गया। इनके अतिरिक्त 285 नलकूप विद्युतीकरण के लिए तैयार थे। ज्ञातव्य है कि राज्य सरकार ने किसानों को सिंचाई की सुविधाएं सुलभ करने के उद्देश्य से विभिन्न नलकूप प्रायोजनाओं के लिए इस वर्ष 978.60 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं तथा 800 नए नलकूप विभिन्न क्षेत्रों में निर्मित होंगे।

खरीद

भारतीय खाद्य निगम ने किसानों से औसत अच्छे किस्म का बाजरा, मक्का और ज्वार 55 रुपए प्रति क्विण्टल से खरीदने की घोषणा की है। निगम तृतीय श्रेणी के धान की भी खरीद 54 रुपए प्रति क्विण्टल के भाव पर करेगा। यह खरीद किसानों को मूल्य संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से की जा रही है। खाद्य निगम खरीफ की इन फसलों की खरीद मुख्यतः उत्तरप्रदेश सहकारी संघ और उसकी सहकारी समितियों के माध्यम से करेगा। विगत पांच वर्षों से भारतीय खाद्य निगम मूल्य संरक्षण नीति के अनुसार किसानों को सहायता देता चला आ रहा है और आगे भी सुविधा प्रदान करता रहेगा जिससे किसानों को अपनी पैदावार का उचित मूल्य मिलता रहे। किसानों को यह भी छूट है कि यदि खुले बाजार में उन्हें संरक्षण मूल्य से अधिक कीमत मिले तो वे अपना गल्ला वहीं बेच सकते हैं।

दिल्ली

प्रशिक्षण संस्थान

राज्य में नेत्र-विहीन बच्चों की समुचित शिक्षा-दीक्षा का ध्यान रखते हुए दिल्ली प्रशासन ने 1969-70 में महारानी बाग में एक स्कूल की स्थापना की थी। इस समय इस स्कूल में 40 बच्चे हैं और इस पर एक लाख दस हजार रुपया इस वर्ष खर्च किया गया है।

नेत्र-विहीन बालकों की शिक्षा में रत स्वयंसेवी संस्थानों की सहायता के लिए दिल्ली प्रशासन ने अनुदान की मात्रा को 1968-69 की 24 हजार 500 रुपए की राशि को बढ़ाकर अब 46 हजार 200 रुपए कर दिया है और नेत्र-विहीनों के पुनर्वास की समस्या पर प्रशासन पूरा पूरा ध्यान दे रहा है। प्रशासन उन संस्थाओं को जो अपंगों और नेत्र-विहीनों को काम पर लगाती हैं, पारितोषिक भी देता है।

बाल आहार केन्द्र

कमला नगर क्षेत्र में दिल्ली प्रशासन के समाज कल्याण विभाग की ओर से खुल रहे एक बाल आहार केन्द्र का उद्घाटन किया गया।

यहां 200 बालकों को इस योजना से लाभ पहुंचेगा। प्रशासन का यह प्रयत्न है कि निर्बल और निर्धनों के बालकों को पौष्टिक आहार के अभाव में पीड़ित नहीं होने दिया जाएगा। शीघ्र ही अन्य दो केन्द्र इस क्षेत्र में और खोले जाएंगे।

मध्यप्रदेश

किसानों को प्रशिक्षण

कृषक प्रशिक्षण केन्द्र इन्दौर ने जून 1971 से 15 जनवरी तक जिले के 211 किसानों को प्रशिक्षण दिया है। उन्हें पांच-पांच दिन के आठ सत्रों में विपुल उत्पादन किस्मों की फसलों की खेती के सम्बन्ध में मार्गदर्शन तथा प्रशिक्षण दिया गया। इसी तरह से 35 ग्रामों में 700 कृषक चर्चा मण्डल गठित किए गए। एक अन्य योजना के अन्तर्गत 650 किसानों को एक दिन की अवधि के 22 शिविरों में प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त 192 कृषि प्रदर्शन खण्ड भी आयोजित किए गए।

रज्जी धान के लिए खाद

राज्य में वारास्योनी स्थित ग्रामसेवक प्रशिक्षण केन्द्र के मुख्याध्यापक के अनुसार चावल की मिलों में धान कूटने से पहले पहली और दूसरी छान से इकट्ठी की गई छीजन धान की फसल के लिए अच्छी खाद होती है।

इस छीजन को इस इलाके में रज्जी बोलते हैं। इसमें 3.77 प्रतिशत नाइट्रोजन, 0.92 प्रतिशत फोस्फोरिक एसिड और 1.92

प्रतिशत पोटाश होता है। इसमें नाइट्रोजन कम्पोस्ट के मुकाबले 6 गुना होता है।

अच्छी तरह से सड़ी हुई रज्जी नई के मुकाबले अच्छी होती है। यह 3 रुपए से लेकर 5 रुपए प्रति बैलगाड़ी के हिसाब से बिक जाती है।

राजस्थान

ग्रामसेवक प्रतियोगिता

विभिन्न जिलों से प्राप्त सूचना के आधार पर राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति ने 1970-71 की ग्राम एवं ग्रामसेवक प्रतियोगिताओं के परिणाम घोषित कर दिए हैं।

ग्राम प्रतियोगिता के अन्तर्गत राज्य स्तर पर कोटा जिले की पंचायत समिति, लाड़पुरा का ग्राम कैथून, प्रथम घोषित कर दिया गया।

ग्रामसेवक प्रतियोगिता के अन्तर्गत राज्य स्तर पर नागौर जिले की डेगाना पंचायत समिति के श्री हुक्माराम चौधरी को प्रथम तथा कोटा जिले की लाड़पुरा पंचायत समिति के श्री गिरिराजप्रसाद को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है।

टोंक पंचायत समिति के श्री देवीनारानण अग्रवाल को तृतीय घोषित किया गया है।

भूमि परीक्षण सेवा

कृषकों द्वारा कम से कम उर्वरक का उपयोग कर कृषि उत्पादन में वृद्धि करने, उर्वरक के प्रयोग एवं भूमि की व्यवस्था को समझाने के लिए राजस्थान में भूमि परीक्षण के लिए 5 प्रयोगशालाएं कार्य कर रही हैं।

अब तक यह निष्कर्ष निकाले गए हैं कि भूमि परीक्षण के आधार पर किए गए उर्वरकों के उपयोग से उत्पादन में वृद्धि हुई और कृषकों को अपनी उपज से और अधिक लाभ प्राप्त हुए हैं।

खेती में अब देशी के स्थान पर संकर बीजों का प्रयोग बढ़ाने पर जोर दिया जाता है क्योंकि उनमें पोषक तत्व अधिक होते हैं। इस स्थिति में मिट्टी परीक्षण की भूमिका और भी प्रमुख हो गई है, खासतौर पर जहां उर्वरकों का सही उपयोग किया जाना हो।

प्रयोगशालाओं की इस शृंखला में आवश्यक साधन सामग्री तथा दृश्य एवं श्रव्य साधनों से सज्जित एक और चल प्रयोगशाला जोड़ी गई है। यह चल इकाई ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण करती है और कृषकों को मौके पर ही भूमि परीक्षण का लाभ देती है।

◇★◇

नीलगिरी में सरकारी चाय का कारखाना........ [पृष्ठ 33 का शेषांश]

नाम रखा गया है, "इण्डस्ट्रियल कोआपरेटिव सर्विस सोसायटी" (औद्योगिक सहकारी सेवा समिति)। यह नई स्थापित समिति उत्पन्न चाय की हाट व्यवस्था करेगी, चाय उत्पादकों को उपज बढ़ाने के विषय में परामर्श देगी और उपाय बताएगी। फर्टीलाइजर और कीट विनाशक का पद्धति पूर्ण उपयोग करने के विषय में जानकारी देगी। चाय की पत्तियों को समय समय पर तोड़ने के विषय में सावधान करेगी।

प्रति एकड़ उपज बढ़ी है। दो चार साल पहले प्रति एकड़ चाय की उपज 1000 किलोग्राम थी। आज यह बढ़कर 3500 किलोग्राम है। चाय की पत्ती उपजाने वालों की मजदूरी भी बढ़ी है। पहले दिहाड़ी 20 से 30 पैसा थी। दो साल पहले तक यह स्थिति थी। अब 82 पैसा प्रति किलोग्राम मजदूरी है। चाय की खेती करने के तरीके में भी सुधार हुआ है। फलतः कोचीन नीलामी में सहकारी चाय फैक्टरियों की चाय को मध्यम स्थान दिया है।

सहकारिता प्रणाली विशुद्ध रूप से भारतीय है। सहकारिता की भावना किसान में अत्यन्त प्राचीनकाल से विद्यमान है। घाघ कवि कह गया है:

"यक्सर खेती यक्सर भार
घाघ कहै ये साहूकार॥

अकेला व्यक्ति या अकेला परिवार सफल किसानी नहीं कर सकता। तीज पर लड़की को नैहर बुलाने के पीछे भी सहकारिता की भावना काम करती है। खेती का काम इन दिनों बढ़ जाता है। छोटा परिवार उस बड़े काम के बोझ को उठा नहीं सकता। मजदूर नौकर चाकर पर काम छोड़ा नहीं जा सकता। क्योंकि खेती में मिनटों की देरी भारी नुकसान पहुंचा देती हैं। अतः जितने सहायक हाथ मिल जाएं उतने थोड़े हैं। खेती और खेती उद्योग में सहकारिता के लिए विशाल क्षेत्र है। क्या इसका उपयोग शीघ्र न करना चाहिए?

प्रकाशन विभाग

(सूचना और प्रसारण मन्त्रालय)

नए प्रकाशन

(अक्तूबर—दिसम्बर 1971)

सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय (खण्ड 40)	7.50
भारत के गौरव (आठवां भाग)	3.00
ईसप की गीत-कथाएं (भाग 1) (लेखक निरंकार देव सेवक)	3.25
स्वतन्त्रता के मार्गदर्शक—दादाभाई नौरोजी (लेखक : सूरज नारायण मुंशी)	1.25
भारत में अंग्रेजी राज (द्वितीय खण्ड) (तृतीय मुद्रण) लेखक : सुन्दरलाल	12.50
स्वतन्त्र भारत के बढ़ते कदम	2.00
चौथी पंचवर्षीय योजना 1969-74 (प्रश्नोत्तर)	1.00
गांधी कथा (लेखक : एस० डी० सावन्त, एस० डी० बादलकर) (द्वितीय संस्करण)	2.50
संगठन में बल (तृतीय मुद्रण)	1.50

डाक खर्च मुफ्त। तीन रु० से अधिक मूल्य की पुस्तकें वी० पी० पी० से भेजी जा सकती हैं।

निदेशक
प्रकाशन विभाग

नई दिल्ली : पटियाला हाउस
कलकत्ता : आकाशवाणी भवन
बम्बई : बोटावाला चैम्बर्स, म० फिरोजशाह मेहता रोड
मद्रास : शास्त्री भवन, 35, हैडोस रोड।

निदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-1 द्वारा प्रकाशित तथा गंगा प्रिंटिंग प्रैस, सदर बाजार, दिल्ली-6 द्वारा मुद्रित।

Regd. No. D-28

अपने वतन को

पाकिस्तानी सैनिकों के जुल्मों से पीड़ित होकर भारत आए लगभग एक करोड़ शरणार्थियों में से अबतक 90 लाख बंगला देश पहुंच चुके हैं। अब वे गणराज्य बंगला देश में निडर होकर शान्ति और सुरक्षा के वातावरण में रह सकेंगे और अपने सुखद तथा सुन्दर भविष्य का निर्माण कर सकेंगे।